रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/99 REGISTERED NO. DL—33001/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 22, 1999 (ज्येष्ठ 1, 1921)
No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 22, 1999 (JYAISTHA 1, 1921)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग

केन्द्र 1, विश्व व्यापार केन्द्र

कफ परेड, कोलाबा

मुंबई–400005, दिनांक 20 अप्रैल 1999

सबर्भ : बैंपविवि० सं० बीसी० 30/12.01.001/98–99—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 1 मार्च 1999 की अपनी अधिसूचना सं० बैंपविवि० बीसी० 16/12.01.001/98–99 का प्रतिस्थापन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) रखा जाने वाला औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात 8 मई, 1999 से आरंभ पखवाड़े से 10.00 प्रतिशत होगा ।

खिज़र अहमद,
कार्यपालक निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

मुंबई, दिनांक अप्रैल 1999

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल, 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल, 1954 की अधिसूचना सं० एफ० (8) 70/बी 5 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं० 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के नियम 18 के अनुसरण मार्च 1999 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची दी गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्द्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है । नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल मुख्य लेखाकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई को सूचित करें ।

सूची दो भागों में विभाजित की गई है । भाग "क" में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग "ख" में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है :—

सूची "क"

प्रतिभूतियों का क्रमांक	मूल्य रु०/ग्राम	किसके नाम से जारी की गई	ब्याज धारित किए जाने की तारीख	डुप्लिकेट जारी करने/भुगतान मूल्य की अदायगी के लिए दावेदारों के नाम	जारी किए गए आदेश की सं० तथा तारीख
1	2	3	4	5	6
—कुछ नहीं—					

सूची "ख"

प्रतिभूतियों का क्रमांक	मूल्य रु०/ग्राम	किसके नाम से जारी की गई	ब्याज धारित किए जाने की तारीख	डुप्लिकेट जारी करने/भुगतान मूल्य की अदायगी के लिए दावेदारों के नाम	जारी किए गए आदेश की सं० तथा तारीख
1	2	3	4	5	6
स्वर्ण बांड 1998 (मुंबई सर्किल)					
बीबाय 000738	499 ग्राम स्वर्ण	1. गांधी राजेश मुकुन्दलाल और 2. गांधी वेला राजेश	3-5-1993 (अवधि समाप्ति पर देय)	1. गांधी राजेश मुकुन्दलाल और 2. गांधी वेला राजेश	मामला सं० 20-4-2079 महा प्रबंधक के दि० 29-1-1999 के आदेश तथा केन्द्रीय कार्यालय डायरी सं० 657 दिनांक 30-1-99

1	2	3	4	5	6
		10% राहत बांड 1995 (ब्याज अर्धवार्षिक) (नागपुर सर्किल)			
एनजी 000058	रु० 1,00,000	सी०बी०जी० पिल्लाई एवं प्रशांत पिल्लाई	16-1-1998	सी०बी०जी० पिल्लाई एवं प्रशांत पिल्लाई	सी०ओ० 263 ए 5 जनवरी, 1999
		9% राहत बांड 1993 (भायखला सर्किल)			
बीसी 01322 से बीसी 01332	प्रत्येक रु० 1,00,000/-	जयंती नटवर पारेख एवं नटवर मूलचंद पारेख (मृत)	8-11-1994	जयंती नटवर पारेख	06.25.22 दि० 3-2-1999
बीसी 01557 से बीसी 01569	प्रत्येक रु० 1,00,000/-	जयंती नटवर पारेख एवं नटवर मूलचंद पारेख (मृत)	28-12-1994	---वही---	---वही---
बीसी 01570 से बीसी 01573	प्रत्येक रु० 1,00,000/-	नटवर मूलचंद पारेख (मृत) जयंती नटवर पारेख	---वही---	---वही---	---वही---
		3% परिवर्तन ऋण 1946 (कलकत्ता सर्किल)			
सीए 062672	5,000/-	भारतीय इम्पीरियल बैंक	15-3-1956 को समाप्त 19वां अर्धवर्ष तक का ब्याज अदा किया गया है	सीताराम लोहिया	फाइल सं० 2619 दिनांक 1-2-99 का महा प्रबंधक का आदेश देखें। दिनांक 1-2-99 का डीबाई सं० एल सी ओ-103/98-99
सीए 382479	5,000/-	हरि सिंह	ब्याज अदा नहीं किया गया है	हरि सिंह	फाइल सं० आई-2428 दिनांक 1-2-99 का महा प्रबंधक का आदेश देखें डीबाई सं० एल सीओ-104/98-99
सीए 382480	3,000/-	---वही---	दिनांक 15-3-82 को समाप्त 71वां अर्धवर्ष तक का ब्याज अदा किया है	---वही---	---वही---

एम० ए० आहूजा
कृते मुख्य महा प्रबंधक

बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय

मुंबई–400021, 9 अप्रैल, 1999

सं० पी : आई० आर० : साह : 031—बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श और केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ :

1. ये विनियम बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधित) विनियम, 1999 कहे जा सकेंगे ।

2. वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. विनियम 38 के लिए बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"नीचे यथा उपबन्धित 38, अधिकारी की जमा सभी छुट्टियां, त्यागपत्र, सेवोनिवृत्ति, मृत्यु, सेवोन्मुक्ति, पदच्युत या समाप्ति पर समाप्त हो जाएंगी ।

परन्तु जब तक यह कि जहां अधिकारी बैंक की सेवा से सेवानिवृत हो गया हो तो उसे अर्जित छुट्टी, जिसे उसने संचित की थी, की किसी अवधि, 240 दिनों से अधिक नहीं, की परिलब्धियों के बराबर राशि भुगतान किए जाने की पात्रता होगी ;

परन्तु यह और कि जहां अधिकारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु की तारीख को उसकी जमा अर्जित छुट्टी, 240 दिनों से अधिक नहीं, की अवधि के लिए परिलब्धियों के बराबर राशि उसके कानूनी प्रतिनिधियों को देय होगी ।

पाद टिप्पणी : इसके अंगीकरण के बाद, पहली बार उपर्युक्त विनियमों में संशोधन किए गए हैं ।

ए० पी० फडणीस
उप महाप्रबंधक (कार्मिक)

बैंक ऑफ बड़ौदा

सामान्य विनियम : 1998

केन्द्रीय कार्यालय
3, बालचंद हीराचंद मार्ग
बैलार्ड पियर
मुम्बई–400001 ।

प्रधान कार्यालय
बड़ौदा हाउस
मांडवी
बड़ौदा–390006 ।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य विनियम 1998

दिनांक 22 अप्रैल, 1999

सं० सीओ : एलईजी–एमटीयू–91/410—बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 19 में प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग करते हुए बैंक ऑफ़ बड़ौदा का बोर्ड भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् और केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के अनुसार, निम्न नियम बनाता है—यथा

अध्याय—1

परिचय

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(i) इन विनियमों को बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य विनियम 1998 कहा जाएगा ।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं

इन विनियमों में जब तक कि विषय या संदर्भ या उसके निहितार्थ से अन्यथा विपरीत न हो ।

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अन्तरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) होगा ।

(ख) "बैंक" से अभिप्रेत अधिनियम के अन्तर्गत गठित निगमित निकाय 'बैंक ऑफ़ बड़ौदा' होगा ।

(ग) "बोर्ड" से अभिप्रेत अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत गठित बोर्ड होगा ।

(घ) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत बोर्ड का अध्यक्ष होगा ।

(ङ) "समिति" से अभिप्रेत बोर्ड द्वारा गठित समिति से होगा ।

(च) "कार्यकारी निदेशक" से अभिप्रेत पूर्ण कालिक निदेशक होगा, जो प्रबंध निदेशक न हो ।

(छ) "महाप्रबंधक" से अभिप्रेत बैंक के महाप्रबंधक से होगा ।

(ज) "प्रबंधन समिति" से अभिप्रेत योजना के उपबंध 13 के अन्तर्गत गठित समिति से होगा ।

(झ) "प्रबंध निदेशक" से अभिप्रेत बैंक के प्रबंध निदेशक से होगा ।

(ञ) "रजिस्टर" से अभिप्रेत शेयरधारकों का रजिस्टर, जिसमें बैंक की एक या एक से अधिक बहियां हों, होगा और इसमें अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2 जी) के अन्तर्गत शेयरधारकों द्वारा कम्प्यूटर पासापी एवं डिस्केट्स के रूप में रखा गया रजिस्टर भी शामिल होगा ।

(ट) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत निम्नलिखित के लिए बैंक द्वारा नियुक्त व्यक्ति से होगा ।

(i) इश्यू से संबंधित निदेशकों से आवेदन प्राप्त करना ।

(ii) आवेदनों का विधिवत् रिकार्ड रखना, निदेशकों से प्राप्त धन और प्रतिभूतियों के लिए प्रदत्त धन का विधिवत् रिकार्ड रखना; और

(iii) निम्नलिखित कार्यों में बैंक की सहायता करना—

(क) स्टाक एक्सचेंज से परामर्श करके प्रतिभूतियों के आवंटन का आधार निर्धारित करना ।

(ख) प्रतिभूतियों के आवंटन के लिए पात्र व्यक्तियोंकी सूची को अन्तिम रूप देना ।

(ग) इश्यू से संबंधित आवंटन पत्रों, धन वापसी आदेशों या प्रमाणपत्रों और अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों की जांच करना और भेजना ।

(iv) बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित इसी प्रकार के अन्य कार्य ।

(ठ) "योजना" से अभिप्रेत राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 से है ।

(ड) "शेयर" से अभिप्रेत बैंक के शेयर पूंजी में शेयर से है ।

(ढ) "शेयर अन्तरण एजेंट" में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) कोई व्यक्ति जो बैंक की ओर से बैंक द्वारा जारी प्रतिभूतियों के धारकों का रिकार्ड रखता हो और इसकी प्रतिभूतियों के अन्तरण और मोचन से संबंधित सभी मामलों पर कार्य करता है ।

(ii) उप-बंध (i) में उल्लिखित गतिविधियों को निष्पादित करने वाला बैंक का कोई विभाग या प्रभाग (चाहे इसे जिस भी नाम से जाना जाए) ।

(ण) अध्याय iii में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली और अभिव्यक्तियों, जिन्हें इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु जिन्हें जमाकर्ता अधिनियम 1996 (1996 का अधिनियम 22) में परिभाषित किया गया है । उनमें उपर्युक्त अधिनियम में दर्शाए गए सम्बद्ध अर्थ का समावेश होगा ।

(त) प्रयुक्त होनेवाली अन्य अभिव्यक्तियों और जिन्हें इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है । किन्तु अधिनियम या योजना में प्रयुक्त किया गया है । उनमें अधिनियम या योजना में निर्धारित सम्बद्ध अर्थों का समावेश होगा ।

अध्याय—II
शेयर और शेयर रजिस्टर

3. शेयर का स्वरूप

बैंक के शेयर, इन विनियमों/नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप चल सम्पत्ति एवं अन्तरणीय होंगे ।

4. शेयर पूंजी के प्रकार

(i) अधिमानी शेयर पूंजी से आशय बैंक की शेयर पूंजी के एक भाग से है जो कि निम्न दोनों शर्तों को पूरा करती हो :—

(क) जहां तक लाभांश का प्रश्न है, इसमें निर्धारित दर से गिने गये या निर्धारित राशि का भुगतान करने के अधिमानी अधिकार होते हैं जो कि या तो आयकर से मुक्त हो सकते हैं या उसके अध्याधीन हो सकते हैं ।

(ख) जहां तक पूंजी का प्रश्न है, दूसरे पूंजी के पुनर्भुगतान का परिसमापन करना होता है या होगा, प्रयुक्त पूंजी या प्रयुक्त की जाने वाली पूंजी की राशि के पुनर्भुगतान का अधिमानी अधिकार चाहे इनमें से एक को या दोनों को निम्नराशि के भुगतान करने का अधिमानी अधिकार हो । यथा

(क) उपबंध (क) में उल्लिखित राशि से सम्बन्धित परिसमापन की तारीख या पूंजी पुनर्भुगतान की तारीख तक बकाया अप्रयुक्त कोई भी राशि ।

(ख) केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से बोर्ड द्वारा निर्धारित कोई भी निश्चित प्रीमियम या किसी निश्चित मान में प्रीमियम ।

(ii) "इक्विटी शेयर पूंजी" का अभिप्राय सभी शेयर पूंजी से है जो कि अधिमान्य शेयर पूंजी नहीं है ।

(iii) "अधिमान्य शेयर" और "इक्विटी शेयर" अभिव्यक्तियों का अर्थ तदनुरूप लिया जाए ।

5. रजिस्टर में दर्ज किए जाने वाले विवरण

(i) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 (एफ) के अनुरूप शेयर रजिस्टर बनाकर उसका रखरखाव किया जाएगा और उसे अद्यतन किया जाएगा ।

(ii) अधिनियम की धारा 3 उपधारा 2 (एफ) में उल्लिखित विवरणों के अतिरिक्त मण्डल द्वारा निर्धारित अन्य विवरणों को रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा ।

(iii) किसी शेयर की संयुक्त धारिता के मामले में, उप विनियमन (i) के अनुरूप उनके नामों और अन्य विवरणों को इस प्रकार की संयुक्त धारिता के पहले नाम के तहत् सामूहिक रूप में लिखा जाए ।

(iv) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 (जी) के प्रावधानों के अनुरूप, भारत से बाहर रहने वाले शेयर धारक को भारत में अपने पते की सूचना बैंक को देनी होती है और इस पते को रजिस्टर र्ज किया जाना चाहिए और अधिनियमों और इसके विनियमों के लिए इस पते को उसका पंजीकृत पता समझा जाना चाहिए ।

(v) बैंक को प्राप्त होने वाले किसी न्यास के नोटिस उसके अभिव्यक्त आशय या उसके निहितार्थ या आन्वयिक को बैंक रजिस्टर में दर्ज न किया जाए ।

6. शेयरों और रजिस्टरों पर नियंत्रण

अधिनियम और इसके विनियमों के प्रावधानों और समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप बैंक के प्रधान कार्यालय में रजिस्टर रखा जायेगा और वहीं उसका रखरखाव किया जाएगा और इसे बोर्ड नियंत्रण में रखा जाएगा और शेयर की शेयर धारिता के रूप में पंजीकृत की पात्रता से सम्बन्धित बोर्ड का निर्णय अन्तिम माना जाएगा ।

7. वे पार्टियां जो शेयर धारक के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकती ।

(i) जब तक इन विनियमों में अन्यथा उल्लिखित न हों, वे सभी व्यक्ति जो संविदा करने के पात्र न हों । शेयर धारक के रूप में पंजीकृत होने के पात्र नहीं हैं और इस संबंध में बोर्ड का निर्णय सब पर लागू होगा और अन्तिम होगा ।

(ii) फर्म के मामले में, शेयर वैयक्तिक भागीदार के नाम से दर्ज होने चाहिए और अत: कोई भी फर्म शेयर धारक के रूप में दर्ज होने की पात्र नहीं है ।

8. कम्प्यूटर पद्धति आदि में शेयर-रजिस्टर का रखरखाव ।

(i) अधिनियम की धारा 3 की उप धारा 2 (एफ) के अन्तर्गत रजिस्टर में दर्ज किए जाने वाले आवश्यक विवरण जिन्हें विनियम 5 में उल्लिखित के साथ पढ़ा जाए, अधिनियम की धारा 3 की उप धारा 2 (जी) के अनुसार प्रधान कार्यालय में रखे जाने वाले कम्प्यूटर चुम्बकीय/आप्टिकल/मैगनेटो-आप्टिकल मीडिया में डिस्केट्स, फ्लापी, कार्ट्रिज या अन्य प्रकार से (इसके बाद मीडिया कहा जाएगा) के रूप में रखें जाएं और इनका बैक-अप समय-समय पर अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक द्वारा या अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा इस कार्य के लिए महाप्रबंधक स्तर के पदनामित अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार लिया जाए (जिसे बाद में "पदनामित अधिकारी" कहा जाएगा) ।

(ii) अधिनियम की धारा 3 (बी) के अन्तर्गत शेयर रजिस्टर में दर्ज किए जाने वाले आवश्यक विवरण, जमाकर्ता अधिनियम 1996 की धारा 11 के साथ पढ़ा जाए, इलेक्ट्रानिक प्रारूप में या उसमें उल्लिखित स्वरूप में रखे जाए ।

9. कम्प्यूटर पद्धति की सुरक्षा के लिए उपाय

(i) विनियम 8 (1) में उल्लिखित पद्धति, जिसमें आंकड़े संग्रहित किए गए हैं, तक पहुंच, ऐसे व्यक्तियों जिन्हें इक्यू का रजिस्टर और/या शेयर अन्तरित करने वाले एजेन्ट्स जैसा भी अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या पदनामित अधिकारी द्वारा और पासवर्ड द्वारा यदि कोई हो प्राधिकृत किया गया हो, तक सीमित रखी जाए और इलेक्ट्रानिक सिक्यूरिटी नियंत्रण सिस्टम को उपयुक्त व्यक्ति की अभिरक्षा में गोपनीय रखा जाए ।

(ii) प्राधिकृत व्यक्ति की पहुंच को कम्प्यूटर सिस्टम के माध्यम से पुस्तिका में दर्ज किया जाए और इस पुस्तिका को अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक या पदनामित अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए पदनामित अधिकारियों/व्यक्तियों के पास सुरक्षित रखा जाए ।

(iii) अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या पदनामित अधिकारी द्वारा निर्धारित नियमित अन्तराल पर शेयर धारक के रजिस्टर में परिवर्तन करते हुए अंतरणीय माध्यम पर बैक-अप की प्रतियां ली जाएं । इनमें से कम से कम एक प्रति उस परिसर के सिवाय अन्य जगह रखी जाए जहां पर प्रोसेसिंग का कार्य होता है, यह प्रति आगे से सुरक्षित कमरे में रखी जाए जहां ताले की व्यवस्था हो और उपयुक्त तापमान हो । इन दोनों जगहों पर पहुंच, अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या पदनामित अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी तक ही सीमित रखी जाए । प्राधिकृत व्यक्ति जगह पर रखे गए मैन्युअल रजिस्टर में अपनी पहुंच दर्ज करे ।

(iv) प्राधिकृत व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि वह बैक-अप के आंकड़ों का मिलान आंकड़ों की सत्यता के लिए उपयुक्त साफ्टवेयर का उपयोग करके कम्प्यूटर सिस्टम के आंकड़ों से करें । इस परिचालन के परिणाम को इस उद्देश्य के लिए रखे रजिस्टर में दर्ज किया जाए ।

(v) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के लिए यह उपयुक्त होगा कि वे तकनीकी विकास को ध्यान में रखते हुए और/या स्थितियों की आवश्यकताओं के कारण या अन्य किसी कारणों से कम्प्यूटर सिस्टम में शेयर धारकों के रजिस्टर को रखे जाने की गोपनीयता का अनुपालन करने की दृष्टि से विशिष्ट या सामान्य आदेश द्वारा इस संबंध में जारी अनुदेशों को संशोधित करें या उनमें और अनुबंध शामिल करें ।

10. संयुक्त धारक के अधिकारों का उपयोग

यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तब रजिस्टर में जिसका नाम प्रथम है उस व्यक्ति को शेयर के अंतरण को छोड़कर मतदान, लाभांश प्राप्त करने, नोटिस भेजे जाने या बैंक से संबद्ध अन्य मामलों में उसका एकल धारक समझा जाएगा ।

11. रजिस्टर का निरीक्षण

(i) जहां रजिस्टर रखा जाता है वहां विनियम 12 के तहत उसे बन्द किए जाने के मामले को छोड़कर अन्य स्थिति में कारोबार के घंटों के दौरान किसी भी शेयर-धारक द्वारा निःशुल्क निरीक्षण हेतु खुला रहेगा, परन्तु बोर्ड उचित प्रतिबंध लगा सकता है फिर भी प्रत्येक कार्य दिवस में कम से कम दो घंटे तक के समय हेतु निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी ।

(ii) कोई भी शेयरधारक चाहे तो रजिस्टर में प्रत्येक प्रविष्टि का सारांश निःशुल्क ले सकता है या कम्प्यूटर प्रिन्ट ले सकता है या यदि वह उसकी प्रति चाहे या रजिस्टर की कम्प्यूटर प्रिन्ट अथवा उसका कोई भाग चाहे तो आवश्यक प्रति हेतु प्रत्येक 100 शब्द या उसके भाग के लिए रु० 5/– की दर से राशि का पूर्व भुगतान करने पर उन्हें यह दिया जाएगा ।

(iii) ऊपर विनियम (II) में जो कुछ कहा गया है उससे असम्बद्ध रहते हुए सरकार को किसी भी विधिवत् प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह रजिस्टर की किसी भी प्रविष्टी की प्रति लें या रजिस्टर की प्रति या उसका कोई भाग उसे प्रस्तुत किया जाए ।

12. रजिस्टर बन्द करना

बैंक जब अपनी राय में यह आवश्यक समझे तब कम से कम 7 दिनों की पूर्व सूचना देने के बाद भारत में प्रसारित न्यूनतम 2 अखबारों में विज्ञापन देने के बाद शेयरधारकों का रजिस्टर प्रतिवर्ष कुल 45 दिनों परन्तु किसी एक समय अधिकतम 30 दिनों तक की किसी भी अवधि या अवधियों के लिए बन्द कर सकता है ।

13. शेयर प्रमाणपत्र

(i) प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्र पर शेयर प्रमाणपत्र संख्या, विभेदक संख्या, जितने शेयरों हेतु प्रमाणपत्र जारी किया गया है, वह संख्या तथा जिसे यह जारी किया जाता है उस शेयर-धारक का नाम, बोर्ड द्वारा निर्धारित रूप में होंगे ।

(ii) प्रत्येक शेयर प्रमाण पत्र बोर्ड के संकल्प के अनुसरण में सामान्य सील के तहत जारी किया जायेगा और उस पर दो निदेशकों तथा बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन से नियुक्त अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे ।

परन्तु निदेशकों के हस्ताक्षर मुद्रित, अंकित, लिथोग्राफित होंगे या उसकी छाप होगी या बोर्ड द्वारा इस दृष्टि से दिये गये निदेशानुसार अन्य यांत्रिक प्रक्रिया से अंकित किये हुए हो सकते हैं ।

(iii) इस प्रकार मुद्रित, अंकित, लिथोग्राफित या अन्य ढंग से अंकित हस्ताक्षर उसी प्रकार वैध होंगे जैसे कि हस्ताक्षरी ने उचित ढंग से अपने हस्ताक्षर किये हों ।

(iv) कोई भी शेयर प्रमाणपत्र तब तक वैध नहीं होंगे जब तक उस पर इस प्रकार से हस्ताक्षर किये गये हों, इस प्रकार हस्ताक्षरित, शेयर प्रमाणपत्र वैध होंगे और उसी प्रकार इस बात से असम्बद्ध रहते हुए बाध्यकारी होंगे कि उनका जारी किये जाने से पहले कोई भी व्यक्ति जिसके हस्ताक्षर उन पर हों वह बैंक की ओर से शेयर प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति नहीं रहता है ।

(v) इस प्रकार किये गये प्रमाण पत्र जिन पर उप खण्ड (ii) में दर्शाये गये अनुसार प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर हो और प्रमाणपत्र जारी किये जाते समय उसकी मृत्यु हो जाये तब बैंक जो उससे सर्वाधिक उचित प्रतीत हो ऐसी किसी पद्धति से प्रमाणपत्र पर ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर को रद्द कर देगा और अन्य किसी प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर उस पर चिपका देगा इस प्रकार जारी किये गये प्रमाणपत्र वैध होंगे ।

14. शेयर प्रमाणपत्र जारी करना ।

(i) किसी शेयर धारक को शेयर प्रमाणपत्र जारी करने समय बोर्ड के लिये यह उपयुक्त होगा कि वह शेयर धारक के नाम से किसी एक अवसर पर दर्ज प्रत्येक 100 शेयर अथवा इनके गुणकों के लिये प्रमाणपत्र जारी करे तथा इससे अधिक शेयरों की संख्या लेकिन जो सौ से कम हो के लिये एक अतिरिक्त शेयर प्रमाणपत्र जारी करे ।

(ii) यदि दर्ज किये जाने वाले शेयरों की संख्या 100 से कम है तो सभी शेयरों के लिये एक प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा ।

(iii) यदि कई व्यक्तियों द्वारा एक अथवा अधिक शेयर संयुक्त रूप में रखे गये हैं तो बैंक एक से अधिक शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिये बाध्य नहीं होगा तथा शेयर के लिये एक प्रमाणपत्र की डिलीवरी संयुक्त शेयर धारकों में से किसी एक को पर्याप्त होगी ।

15. शेयर प्रमाणपत्रों का नवीनीकरण

(i) यदि कोई शेयर प्रमाणपत्र कट-फट गया हो अथवा खराब हो गया हो तो बोर्ड अथवा बोर्ड के द्वारा गठित समिति इस प्रकार के प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने पर इसे रद्द करने का आदेश दे सकती है तथा इसकी एवज में नया प्रमाणपत्र जारी कर सकती है ।

(ii) यदि कोई शेयर प्रमाणपत्र खो गया हो अथवा नष्ट हो गया हो तो बोर्ड अथवा इसके द्वारा गठित समिति ऐसी क्षतिपूर्ति के लिये जमानत सहित अथवा जमानत के बिना जैसा कि वे उचित समझें तथा दो समाचारपत्रों में उक्त सूचना के प्रकाशन एवं बैंक को लागत प्रभार एवं व्ययों के भुगतान पर खो गये अथवा नष्ट हो गये प्रमाणपत्र की एवज में पात्र व्यक्ति को डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी कर सकते है।

16. शेयरों का समेकन एवं उप विभाजन

शेयरधारक/शेयरधारकों के लिखित आवेदन पर बोर्ड अथवा उसके द्वारा गठित समिति उसे समेकन/उपविभाजन के लिये प्रस्तुत शेयरों को यथास्थिति समेकित अथवा उपविभाजित कर सकती है तथा इनकी एवज में नये प्रमाणपत्र जारी कर सकती है इसके लिये बैंक को इसकी लागत, प्रभार तथा व्ययों का भुगतान करना होगा।

17. शेयरों का अन्तरण

(i) बैंक के शेयरों का प्रत्येक अन्तरण एक लिखत-सलग्न फार्म "ए" अथवा बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमोदित ऐसे अन्य प्रारूप फार्म के द्वारा होगा तथा यह सम्बन्ध शेयर प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए अन्तरणकर्ता और अन्तरिती द्वारा अथवा की ओर से निष्पादित किया जायेगा जो कि विधिवत स्टाम्पयुक्त एवं विनांकित होगा।

(ii) अन्तरण लिखत तथा शेयर प्रमाणपत्र बैंक के प्रधान कार्यालय को प्रस्तुत किये जायेंगे तथा अन्तरणकर्ता को तब तक ऐसे शेयरों का धारक माना जायेगा जब तक कि अन्तरिती का नाम शेयर में दर्ज न कर दिया जाये।

(iii) बैंक की अंतरण लिखत तथा शेयर प्रमाणपत्र अंतरण दर्ज करने के अनुरोध सहित प्राप्त होने पर बोर्ड अथवा बोर्ड के द्वारा गठित समिति उक्त अंतरण लिखत तथा शेयर प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार तथा/अथवा शेयर अंतरण एजेंट को इस आशय के सत्यापन के उद्देश्य से भेज देंगे कि तकनीकी अपेक्षाओं का पूर्णतया अनुपालन किया गया है। रजिस्ट्रार तथा अथवा शेयर एजेंट अंतरण लिखत तथा शेयर प्रमाणपत्र यदि हो, को पुनः प्रस्तुत करने के लिए अंतरिती को लौटा देगा, बशर्ते :

(क) अंतरण लिखत बैंक को विधिवत् स्टाम्पयुक्त तथा यथोचित रूप से निष्पादित कर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत की गई हो तथा इसके साथ शेयर प्रमाण-पत्र जिससे कि यह संबंधित है संलग्न किया गया हो एवं बोर्ड द्वारा मांगे जा सकने वाले ऐसे अंतरण-कर्ता के अधिकार को दर्शानेवाले अन्य प्रमाण जिससे अंतरण किया जा सके, विनेख प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया हो।

(ख) रजिस्ट्रार इस आशय से संतुष्ट हो कि अंतरिती व्यक्ति अंतरण लिखित में अंकित शेयरों के लिए बैंक का शेयर धारक होने के योग्य है।

(iv) बोर्ड अथवा बोर्ड द्वारा गठित समिति द्वारा यदि उक्त अंतरण को विनियम संख्या 19 के तहत रजिस्टर करने से मना किया गया हो तो बोर्ड समिति इस अंतरण को रजिस्टर करेंगे।

18. अंतरण आस्थगित (सस्पेंड) करने का अधिकार

बोर्ड अथवा बोर्ड द्वारा गठित समिति रजिस्टर बन्द रहने की अवधि के दौरान अंतरण दर्ज नहीं करेगी।

19. बोर्ड का शेयरों के अंतरण को दर्ज करने से मना करने का अधिकार

(i) बोर्ड निम्नलिखित में से किसी एक अथवा अधिक कारणों से (न कि किसी अन्य कारण से) अंतरिती के नाम से किसी शेयर को अंतरित करने से मना कर सकता है।

(क) शेयरों का अंतरण अधिनियम अथवा विनियमों के तहत अथवा किसी अन्य नियम के विरुद्ध हो अथवा इस प्रकार के अंतरणों को दर्ज करने संबंधी नियम की किसी शर्त का अनुपालन न किया गया हो।

(ख) बोर्ड की राय में शेयरों का अंतरण बैंक के हितों अथवा जनहित के विरुद्ध हो।

(ग) शेयर के अंतरण पर न्यायालय, न्यायधिकरण अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किसी नियम के तहत प्रभावी आदेश जिस पर अभी रोक लगी हो।

(घ) भारत में बाहर स्थित कोई कंपनी या व्यक्ति अथवा ऐसे नियम जो भारत में लागू नहीं है के तहत् संस्थापित कोई कम्पनी अथवा ऐसी कंपनी की कोई शाखा भले ही वह भारत से बाहर स्थित हो या नहीं हो अंतरण की अनुमति मिलने पर बैंक के शेयर प्राप्त या अर्जित कर सकेगी तथा इस प्रकार का कुल निवेश प्रदत्त पूंजी के 20% से अधिक अथवा केन्द्र सरकार द्वारा राजकीय गजट में अधिसूचना जारी कर यथानिर्दिष्ट हो जाएगा।

तथापि, उपरोक्त उप विनियम (1) (सी) के गठन मना करने संबंधी उल्लिखित अधिकारों का उपयोग बोर्ड द्वारा गठित समिति कर सकेगी।

(ii) बोर्ड बैंक के शेयर अंतरण संबंधी लिखित अंतरण दर्ज करने हेतु उसे प्रस्तुत किए जाने पर अपनी राय देगा कि इस प्रकाश का रजिस्ट्रेशन उप विनियम (1)

के तहत किसी कारण से मना किया जा सकता है अथवा नहीं ।

(क) यदि इसके द्वारा यह राय व्यक्त की गई हो कि ऐसा रजिस्ट्रेशन मना नहीं किया जाए, रजिस्ट्रेशन दर्ज कर दिया जाए तथा

(ख) यदि इसके द्वारा यह राय व्यक्त की गई हो कि ऐसा रजिस्ट्रेशन उल्लिखित उप नियम (i) के तहत् किसी कारण से मना किया जाए तो अंतरणकर्ता तथा अंतरिती को अंतरण फार्म प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों में लिखित रूप में नोटिस दिया जाए ।

20. मृत्यु, दिवालियापन आदि की स्थिति में शेयरों का प्रेषण

(i) किसी शेयर के मृतक शेयरधारक के निष्पादकों अथवा प्रशासकों अथवा इच्छा पत्र (प्रोबेट) धारक अथवा वसीयतनामें के साथ या इसके बिना प्रशासन पत्रों अथवा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग 4 के तहत जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र अथवा किसी कानूनी प्रतिवेदन के धारक अथवा किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पक्ष में मृतक धारक द्वारा अपने जीवितकाल में अन्तरित वैध प्रलेख निर्धारित किया गया, को ही बैंक द्वारा ऐसे शेयर का अधिकार विलेख होने की मान्यता दी जाएगी ।

(ii) दो अथवा अधिक शेयर धारकों के नाम से रजिस्टर्ड शेयरों के मामले में, एक अथवा अधिक उत्तरजीवी तथा अन्तिम उत्तरजीवी की मृत्यु के बाद उसके निष्पादक अथवा प्रशासक अथवा अन्य व्यक्ति जिसके पास इच्छा (प्रोबेट) पत्र अथवा वसीयत सहित अथवा इसके बिना प्रशासनिक पत्र अथवा उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र अथवा शेयर के लिए उत्तरजीवियों के संदर्भ में कोई अन्य कानूनी प्रतिवेदन अथवा वह व्यक्ति जिसके पक्ष में शेयर अन्तरण संबंधी वैध प्रलेख ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया गया हो तथा मृतक व्यक्ति के जीवनकाल के दौरान रहे ऐसे उत्तरजीवी व्यक्ति को ही बैंक द्वारा ऐसे शेयर का अधिकार (टाइटल) होना माना जाएगा।

(iii) बैंक ऐसे निष्पादकों अथवा प्रशासकों को तब तक मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं होगा जब तक कि वे सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय से यथास्थिति प्रोबेट अथवा प्रशासनीय पत्र अथवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त न कर लें ।

तथापि यदि बोर्ड किसी मामले में अपने विवेक के अनुरूप उचित समझे तो बोर्ड प्रोबेट अथवा प्रशासन पत्र अथवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र अथवा कोई अन्य कोई कानूनी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से छूट दे सकता है, इसके लिए क्षतिपूर्ति अथवा अन्य शर्तें जो बोर्ड उचित समझे रखी जा सकती हैं ।

(iv) ऐसे किसी व्यक्ति जो शेयरधारक की मृत्यु के बाद शेयर के लिए पात्र हुआ हो तथा ऐसे किसी व्यक्ति, जो शेयरधारक के दिवालियापन, धनशोधन अक्षमता अथवा परिसमापन के फलस्वरूप शेयर के लिए पात्र हुआ हो को बोर्ड द्वारा अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे :—

(क) ऐसे शेयर के लिए शेयरधारक के रूप में रजिस्टर करना,

(ख) इस प्रकार के शेयर जिससे कि अधिकार प्राप्त किया गया है, अन्तरित करना ।

21. शेयरधारक रजिस्ट्रेशन के लिए अयोग्य होना

व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य/अन्यों के साथ संयुक्त रूप में रजिस्टर्ड शेयरधारक का यह दायित्व होगा कि किसी शेयर के संबंध में रजिस्टेशन के लिए अयोग्यता की सूचना बोर्ड को दे दी जाए ।

22. शेयरों के संदर्भ में धनराशि की मांग

बोर्ड समय-समय पर शेयरधारकों से उनके पास पड़े शेयरों की बकाया राशि की, जब भी उपयुक्त समझे मांग कर सकता है तथा प्रत्येक शेयरधारक प्रत्येक मांग की राशि का बोर्ड द्वारा नियत व्यक्ति तथा नियत स्थान पर भुगतान करेगा । मांग राशि का किस्तों में भुगतान हो सकता है ।

23. संकल्प-दिनांक से राशि की मांग

धनराशि के लिए मांग उस समय से मानी जाएगी जब से कि बोर्ड ने इस प्रकार की मांग के लिए अधिकृत करने का संकल्प पारित किया हो तथा इस दिनांक को अथवा बोर्ड द्वारा नियत किसी आगामी दिनांक को दर्ज शेयरधारकों को इस राशि का भुगतान करना होगा ।

24. राशि की मांग हेतु नोटिस

प्रत्येक मांग के लिए न्यूनतम 30 दिन का नोटिस दिया जाएगा जिसमें भुगतान-समय का उल्लेख हो लेकिन इस प्रकार की मांग के भुगतान समय से पूर्व बोर्ड शेयरधारकों को लिखित नोटिस देते हुए इसे वापस भी ले सकेगा ।

25. राशि की मांग के भुगतान समय की अवधि बढ़ाना

बोर्ड समय-समय पर एवं अपने विवेक से सभी अथवा किसी भी शेयरधारक का उनके निवास स्थल की दूरी अथवा किसी अन्य कारण से भुगतान के लिए नियत समय की अवधि बढ़ा सकेगा, लेकिन किसी भी शेयर धारक को इस प्रकार अवधि बढ़ाए जाने हेतु कोई अधिकार नहीं होगा ।

26. संयुक्त धारकों के उत्तरदायित्व

शेयर के संयुक्त धारक मांग राशि के भुगतान के लिए संयुक्त रूप से अथवा अलग-अलग उत्तरदायी होंगे ।

27. नियत समय पर अथवा किस्तों द्वारा मांग राशि का भुगतान

यदि किसी शेयर निर्गम की शर्तों अथवा अन्य कारणों से कोई राशि किसी नियत समय पर अथवा नियत समय

पर किस्तों द्वारा देय है तो ऐसी प्रत्येक राशि अथवा किश्त का भुगतान बोर्ड द्वारा विधिवत की गई मांग के रूप में की जाएगी। जिसके लिये कि उपयुक्त नोटिस दिया गया हो मांग राशि संबंधी सभी प्रावधान सम्बद्ध राशि अथवा किस्त के अनुरूप होंगे।

28. जब मांग राशि अथवा किश्त पर ब्याज देय हो

यदि किसी मांग अथवा किस्त भुगतान संबंधी राशि का भुगतान के लिए नियत दिनांक को भुगतान न किया गया हो तो विद्यमान धारक अथवा शेयर आवंटियों (जिसके लिए कि राशि की मांग की गई है अथवा शेयर किस्त देय होगी) बोर्ड द्वारा समय समय पर नियत दर से इस राशि पर भुगतान के लिए नियत दिनांक से वास्तविक भुगतान की दिनांक तक की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करेगा, लेकिन बोर्ड को इस प्रकार के ब्याज की पूरी राशि अथवा उसके अंश में छूट का विवेकाधिकार होगा।

29. शेयरधारकों द्वारा मांग राशि का भुगतान न करना

किसी भी शेयरधारक द्वारा उसके पास व्यक्तिगत रूप में अथवा किसी व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में प्राप्त शेयर पर समस्त मांग राशि प्रभारित व्ययों एवं ब्याज राशि यदि कोई हो का पूर्णतया भुगतान न कर दिए जाने तक उसे किसी प्रकार का लाभांश देय नहीं होगा तथा न ही उस पर शेयरधारक का कोई अधिकार हो सकेगा।

30. मांग राशि अथवा किस्त भुगतान न होने पर नोटिस

यदि कोई शेयरधारक किसी शेयर की समस्त अथवा आंशिक राशि अथवा किस्त अथवा देय कोई अन्य राशि—मूल अथवा ब्याज का भुगतान के लिए नियत दिनांक तक भुगतान नहीं कर पाता है तो बैंक तत्पश्चात् ऐसी किसी भी समय अवधि अर्थात मांग राशि अथवा किस्त अथवा किसी आंशिक राशि का भुगतान बकाया रहने अथवा सम्बद्ध कोई निर्णय (जजमेंट) अथवा डिक्री पूर्णतया अथवा आंशिक रूप में बकाया रहने पर ऐसे शेयरधारक अथवा हस्तांतरण के फलस्वरूप शेयर के अधिकार प्राप्त व्यक्ति को मांग राशि अथवा किस्त अथवा इसका अंश अथवा अन्य राशि जो कि बकाया हो का अर्जित ब्याज तथा सभी व्यय (कानूनी अथवा अन्य) जो कि भुगतान न होने के कारण बैंक द्वारा किए गए हों, के लिए नोटिस जारी कर सकता है।

31. जब्ती (फोरफीट) का नोटिस

जब्ती के नोटिस में किसी एक दिन जो कि नोटिस की दिनांक से 14 दिन से कम नहीं होगा तथा स्थान जिस/जिन पर कि इस मांग राशि अथवा किस्त अथवा आंशिक राशि अथवा अन्य राशि एवं उपरोक्त ब्याज का भुगतान किया जाना है का उल्लेख होगा। नोटिस पर इस बात का भी उल्लेख होगा कि नियत समय एवं स्थान पर भुगतान न होने की स्थिति में शेयर, जिसके लिये राशि मांगी गई थी अथवा किस्त देय थी को जब्त किया जा सकेगा।

32. चूक होने पर जब्त किए जाने वाले शेयर

यदि उपरोक्तानुसार ऐसे किसी नोटिस की आवश्यकताएं पूरी नहीं की जाती हैं तो जिनके बारे में ऐसा नोटिस दिया गया हो ऐसे किसी भी शेयर को उसके बाद इस आशय के बोर्ड के संकल्प के द्वारा जब्त किया जा सकता है जिससे संबंधित सभी कॉल राशि या किस्तों, ब्याज और व्यय या उनसे संबंधित कोई भी बकाया राशि का भुगतान न किया गया हो, ऐसी जब्ती में जब्त किए गए शेयरों से संबंधित तमाम घोषित किए गए लाभांश का समावेश होगा परन्तु जब्ती से पहले वास्तव में अदा कर दिए गए लाभांश का समावेश नहीं होगा।

33. रजिस्टर में जब्ती की प्रविष्टि

जब विनियम 32 के तहत किसी शेयर को जब्त किया जाता है तब इसे जब्ती की तारीख के साथ रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।

34. जब्त किए गए शेयर बैंक की संपत्ति होंगे जिन्हें बेचा जा सकेगा

इस प्रकार जब्त किया गया शेयर बैंक की संपत्ति समझा जाएगा और उन्हें उन शर्तों पर और उस तरीके से बेचा जा सकेगा। पुनः आवंटित किया जा सकेगा या किसी व्यक्ति को बोर्ड द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुरूप दिया जा सकेगा।

35. जब्ती को रद्द करना

विनियम 32 के तहत् इस प्रकार जब्त किए गए शेयरों को बेच देने, पुनः आवंटित करने या किसी अन्य प्रकार से निपटाने से पूर्व बोर्ड उसके द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत इस जब्ती को रद्द कर सकता है।

36. शेयर धारक जब्ती के समय बकाया राशि और ब्याज के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।

जिनके शेयर जब्त किए गए हैं ऐसा कोई भी शेयर-धारक चाहे जब्ती हुई हो या नहीं, बैंक को सभी काल राशि, किस्तें, आय एवं व्यय तथा जब्ती के समय ऐसे शेयर से संबंधित अन्य राशि या बकाया राशि तथा बोर्ड द्वारा विनिर्धारित दर पर उस पर ब्याज के साथ भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा और तत्काल भुगतान करेगा और बोर्ड पूरी राशि या उसके किसी भाग के भुगतान को प्रवर्तित कर सकता है।

37. आंशिक भुगतान जब्ती को नहीं रोकेगा

किसी शेयर के बारे में कॉल राशियों या बकाया अन्य राशियों के लिये बैंक के पक्ष में निर्णय या डिक्री अथवा

कोई भी भुगतान या उसके तहत की संतुष्टि अथवा शेयर धारक से समय-समय पर बकाया राशि का मूलराशि के रूप में या ब्याज के रूप में या किसी हिस्से में भुगतान अथवा बैंक द्वारा ऐसी किसी राशि के भुगतान के बारे में दी गई छूट इस विनियम के तहत शेयरों की ऐसी जब्ती को नहीं रोकेगा।

38. शेयरों की जब्ती से बैंक के विरुद्ध सभी दावे समाप्त हो जाते हैं।

शेयरों की जब्ती के समय शेयर से संबंधित बैंक के विरुद्ध के सभी हित तथा सभी दावों और मांगों तथा शेयर से संबद्ध सभी अन्य प्रासंगिक प्राधिकारों का समावेश हो जाता है परन्तु इन अधिकारों में ऐसे अधिकार शामिल नहीं होंगे जिन्हें स्पष्ट रूप से छोड़ दिया गया हो।

39. जब्त हो जाने पर बिक्री पुनः जारी करने, पुनः आवंटन या निपटान पर मूल शेयरों का अमान्य हो जाना।

पूर्ववर्ती विनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत शेयरों की बिक्री पुनः आवंटन या अन्यथा निपटान होने पर संबद्ध शेयरों के संबंध में मूल रूप से जारी किए गए प्रमाण-पत्र रद्द हो जाएंगें और अमान्य बन जाएंगें। और प्रभावी नहीं रहेंगे (सिवा इसके कि बैंक द्वारा मांग किए जाने पर चूककर्ता सदस्य ने पहले से ही उन्हें वापिस कर दिया हो) और बोर्ड इन शेयरों के संबंध में उसके लिए पात्र व्यक्ति या व्यक्तियों को नये प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अधिकृत होगा।

40. जब्ती के प्रावधान लागू होना

शेयर जारी करने संबंधी शर्तों के द्वारा निर्धारित समय पर देय किसी भी राशि चाहे वह शेयर के मूल्य की राशि हो या प्रीमियम के रूप में अदा की जानी हो—मानो वह विधिवत् किए गए कॉल के लिए देय हो, ऐसी राशि के भुगतान न किए जाने पर इन विनियमों के प्रावधान लागू होंगे।

41. शेयरों पर ग्रहणाधिकार

(i) बैंक का निम्नलिखित शेयरों पर प्रथम और सर्वोपरि ग्रहणाधिकार होगा:

(क) ऐसे प्रत्येक शेयर (जो पूर्ण प्रदत्त शेयर नहीं हैं) के संबंध में कॉल की गई या निर्धारित समय पर देय सभी राशियां (चाहे वर्तमान में देय हो या नहीं), ।

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा वर्तमान में बैंक को देय सभी राशियों या उसकी संपत्ति में से देय राशियों के लिए उसके नाम पर पंजीकृत सभी शेयरों के लिए (जो पूर्ण प्रदत्त शेयर नहीं हैं),

(ग) प्रत्येक व्यक्ति के नाम पर (चाहे एकल रूप में या अन्य के साथ संयुक्त रूप में) सभी शेयरों के रजिस्टर्ड हो जाने पर तथा उसकी बिक्री की प्राप्तियों पर बैंक के साथ उसके उधार, देयताए और जिम्मेदारियां चाहे एकल रूप में या अन्य के साथ संयुक्त रूप में और चाहे उसके भुगतान, पूर्णतया विमोचन का समय वास्तव में आया हो या नहीं तथा किसी भी शेयर में सम्यक् हित बैंक द्वारा उसके ग्रहणाधिकार से अधिक मान्य नहीं होगा।

बोर्ड चाहे तो किसी भी समय किसी भी शेयर को पूर्णतः या अंशतः इस खण्ड के प्रावधानों से मुक्त कर सकता है।

(ii) बैंक का किसी शेयर पर कोई ग्रहणाधिकार होगा तो वह उस पर देय सभी लाभांशों पर भी लागू होगा।

42. शेयरों की बिक्री द्वारा ग्रहणाधिकार प्रवर्तित करना

(i) बैंक अपने ग्रहणाधिकार वाले किसी भी शेयर को, जिसे बोर्ड उचित समझता हो, ऐसे तरीके से बेच सकता है:

(क) ऐसी राशि जिसके संबंध में ग्रहणाधिकार है यदि वर्तमान में देय है; और

(ख) शेयर के वर्तमान रजिस्टर्ड धारक या उसकी मृत्यु या दिवालियेपन के कारण शेयरों के हकदार व्यक्ति को 14 दिन की लिखित नोटिस जिसमें राशि के उस भाग के बारे में कहा गया हो और मांग की गई हो, जिस पर ग्रहणाधिकार होता हो, और वर्तमान में देय हो।

(ii) ऐसे किसी विक्रय को प्रभावी करने के लिए बोर्ड उसके खरीददार को बेचे गए शेयर अंतरित करने के लिए कुछ अधिकारियों को प्राधिकृत कर सकता है।

43. शेयरों की विक्रय-प्राप्तियों का विनियोग

शेयरों के विक्रय की प्राप्तियों की प्रयोज्यता विनियम-42 के अन्तर्गत किसी शेयर की बिक्री पर शेयर की लागत को काटने के बाद शुद्ध प्राप्तियों को उससे संबद्ध वर्तमान में देय राशि को ग्रहणाधिकार से संबंधित देयता, उधार या जिम्मेदारी की संतुष्टि के पेटे जमा किया जायेगा और यदि कोई राशि बचती है तो उसे इस प्रकार बचे गए शेयर के अंतरण द्वारा पात्र शेयर धारक या व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा।

44. जब्ती का प्रमाणपत्र

शेयर के बारे में कॉल किया गया और बोर्ड द्वारा पारित इस आशय के संकल्प द्वारा शेयर जब्त किया गया। इस प्रकार से किसी निदेशक या इस हेतु विधिवत प्राधिकृत बैंकऑफ बड़ौदा के किसी अन्य अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण, उसमें दर्शाए गए तथ्य का ऐसे शेयरों के लिए पात्र सभी व्यक्तियों के विरुद्ध अंतिम साक्ष्य होगा।

45. जब्त शेयरों के खरीददार और आबटिती का हक

किसी भी शेयर की बिक्री पुनः आबंटन या अन्य निपटान पर दिया गया कोई प्रतिफल बैंक को प्राप्त होता है और जिसे वे शेयर बेचे जाते हैं, पुनः आबटित किए जाते हैं या निपटान किया जाता है उसे शेयर के धारक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है और उसके लिए प्रतिफल यदि कोई हो, की प्रयोज्यता देखना बाध्यकारी नहीं होगा । न ही उसका शेयर का हक शेयर की जब्ती बिक्री, पुनः आबंटन या अन्य निपटान के संदर्भ में प्राप्तियां प्राप्त होने पर कोई अनियमितता या अवैधता से प्रभावित होगा और बिक्री से जिसे हानि पहुंची है ऐसे व्यक्ति का उपाय केवल हरजाना होगा और सिर्फ बैंक के विरुद्ध ही होगा ।

46. शेयरधारकों को नोटिस या दस्तावेज जारी करना ।

(i) बैंक किसी भी शेयर धारक को व्यक्तिगत रूप से या सामान्य डाक से उसके पंजीकृत पते पर या यदि भारत में उसका पंजीकृत पता न हो तो उसके द्वारा नोटिस देने हेतु बैंक को दिए गए भारत में ही किसी पते पर नोटिस या दस्तावेज भेज सकता है ।

(ii) जब नोटिस या दस्तावेज डाक द्वारा भेजे जाते हैं तब इस प्रकार नोटिस या दस्तावेज भेजने के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह दस्तावेज या नोटिस वाला पत्र उचित ढंग से पता लिखकर, डाकव्यय पहले से अदा करते हुए डाक में भेजा गया है ।

परंतु जहां शेयर धारक बैंक को पहले से ही सूचित करता है कि दस्तावेज डाक प्रमाणपत्र के साथ अथवा पंजीकृत डाक से प्राप्ति सूचना के साथ या बिना प्राप्ति सूचना के भेजी जाए और ऐसा करने संबंधी पर्याप्त व्यय बैंक में जमा करा देता है, तब वह नोटिस या दस्तावेज तब तक प्रभावी ढंग से भेजा गया नहीं माना जाएगा जब तक की वह शेयर धारक द्वारा बताए गए तरीके से न भेजा जाए। इस प्रकार नोटिस भेजना बैठक की सूचना भेजने के मामले में वह पत्र डाक में प्रेषित करने से 48 घंटे समाप्त होने के बाद तथा अन्य मामलों में उस समय से प्रभावी हुआ समझा गाएगा जिस समय सामान्य डाक से पत्र प्राप्त हो जाता ।

(iii) जब नोटिस या दस्तावेज भारत में व्यापक रूप से प्रसारित किसी अखबार में विज्ञापित किया जाता है तब वह विज्ञापन प्रकाशित होने के दिन बैंक के उन सभी शेयर धारकों को विधिवत भेजा गया समझा जाएगा जिनका भारत भारत में कोई पंजीकृत पात नहीं है, और जिन्होंने बैंक को नोटिस भेजे जाने हेतु भारत में कोई पता उपलब्ध नहीं कराया है ।

(iv) किसी शेयर के संयुक्त धारकों के मामले में बैंक द्वारा कोई नोटिस या दस्तावेज शेयर से संबंधित पंजीकृत प्रथम नाम वाले संयुक्त धारक को प्रभावी ढंग से भेजा जाता है तब इस प्रकार दिया गया नोटिस उपरोक्त शेयर धारकों के लिए पर्याप्त नोटिस होगा ।

(v) शेयर के किन्हीं पात्र व्यक्तियों को उनकी मृत्यु हो जाने पर या शेयर धारक के दिवालिया हो जाने पर उसके नाम पर या मृतक अथवा दिवालिए के समनुदेशिती के नाम पर या इस प्रकार की स्थिति में इस प्रकार की पात्रता का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा इस प्रयोजन से उपलब्ध कराए गए पते पर बैंक द्वारा नोटिस या दस्तावेज भेजे जाएं या जब तक ऐसा पता उपलब्ध नहीं कराया जाता है उसी प्रकार नोटिस या दस्तावेज भेजे जाए जिस प्रकार मृत्यु या दिवालिएपन की घटना घटित ही न हुई हो ।

(vi) बैंक द्वारा दिए जाने वाले किसी भी नोटिस पर हस्ताक्षर लिखित या मुद्रित हो सकते हैं ।

अध्याय- III

डिपोजिटरी में रखी गई बैंक की प्रतिभूतियां

47. बैंक एवं डिपोजिटरी के बीच अनुबन्ध

बैंक अपने द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों के संबंध में किसी एक या अधिक डिपोजिटरी की सेवाएं लेने हेतु उनसे अनुबंध कर सकता है ।

48. डिपोजिटरी एवं सहभागी के बीच अनुबन्ध

(i) कोई भी सहभागी डिपोजिटरी का एजेंट बनने हेतु उससे अनुबन्ध कर सकता है । जिस डिपोजिटरी से अनुबन्ध किया जाता है वह वही डिपोजिटरी होगा जिसके साथ बैंक ने विनियम 47 के तहत सेवाएं लेने का अनुबन्ध किया है ।

(ii) बैंक का कोई भी शेयर धारक बैंक द्वारा जारी की गई प्रतिभूति के संबंध में सहभागी के माध्यम से किसी डिपोजिटरी की सेवाएं प्राप्त करने हेतु उनके द्वारा निर्धारित फार्म में उनसे अनुबंध कर सकता है ।

49. प्रतिभूति के प्रमाणपत्र वापिस करना

(i) बैंक के कोई भी शेयर धारक या प्रतिभूति धारक जिसने उक्त विनियम 48 के तहत अनुबंध किया है वह जिन प्रतिभूति प्रमाण पत्रों के संबंध में बैंक के डिपोजिटरी की सेवाएं प्राप्त करना चाहता है, उन प्रतिभूति प्रमाण पत्रों को वापिस कर देगा ।

(ii) बैंक उपरोक्त उप-विनियम (i) के अन्तर्गत प्रतिभूति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर उन्हें रद्द कर देगा और प्रतिभूति के संबंध में डिपोजिटरी का नाम अपने रिकार्ड में पंजीकृत स्वामी के रूप में लिख देगा तथा डिपोजिटरी को तदनुसार अवगत कराएगा ।

(iii) डिपोजिटरी उपरोक्त उप विनियम (ii) के तहत सूचना प्राप्त होने पर ऊपर उपविनियम (i) में दर्शाए गए व्यक्ति का नाम लाभार्थी स्वामी के रूप में अपने रिकार्ड में दर्ज करेगा ।

50. प्रतिभूति के अंतरण का डिपोजिटरी के पास पंजीकरण

प्रत्येक डिपोजिटरी बैंक की ओर से अंतरण होने संबधी सूचना प्राप्त होने पर प्रतिभूतियों का अंतरिती के नाम पर अंतरण दर्ज करेगा ।

51. प्रतिभूति प्रमाणपत्र प्राप्त करने या डिपोजिटरी के पास प्रतिभूति को रखने का विकल्प

(i) बैंक द्वारा प्रस्तावित प्रतिभूतियों में अभिदान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिभूति प्रमाणपत्र प्राप्त करने अथवा प्रतिभूति को डिपोजिटरी के पास रखने का विकल्प उपलब्ध होगा ।

(ii) जब कोई व्यक्ति प्रतिभूति डिपोजिटरी के पास रखने का विकल्प चुनता है तब बैंक उस डिपोजटरी को प्रतिभूति के आबंटन का ब्यौरा सूचित करेगा और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर डिपोजिटरी आबंटिती का नाम प्रतिभूति के लाभार्थी स्वामी के रूप में अपने रजिस्टर में दर्ज करेगा ।

52. डिपोजटरी में रखी गई प्रतिभूतियां समरूप हों

डिपोजिटरी द्वारा रखी गई सभी प्रतिभूतियां अवास्तविक होगी तथा समरूपी स्वरूप में होंगी ।

53. लाभार्थी स्वामी के अधिकार

लाभार्थी स्वामी डिपोजिटरी के पास रखी गई अपनी प्रतिभूतियों के संबंध में सभी अधिकारों और लाभों का पात्र होगा और सभी देयताओं के लिए जिम्मेदार होगा ।

54. लाभार्थी स्वामी का रजिस्टर

(i) प्रत्येक डिपोजिटरी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह डिपोजिटरी द्वारा रखी गई बैंक की प्रतिभूतियों के संबंध में डिपोजिटरी अधिनियम, 1996 या "सेबी" द्वारा निर्धारित ढंग से एक रजिस्टर रखे और लाभार्थी-स्वामियों को क्रमानुसार दर्ज करें ।

(ii) डिपोजिटरी, बैंक द्वारा निर्धारित ऐसे अंतरालों पर अपने पास रखे लाभार्थी-स्वामियों के रजिस्टर एवं अनुसूची की अद्यतन प्रति बैंक को भेजेगी ।

55. किसी भी प्रतिभूति के संबंध में बाहर जाने का विकल्प

(i) यदि किसी भी प्रतिभूति के संबंध में लाभधारक स्वामी डिपोजटरी से बाहर जाना चाहता है तो उसे तद्नुसार डिपोजिटरी को सूचित करना होगा ।

(ii) डिपोजिटरी को उपरोक्त उपविनियम (1) के अंतर्गत इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर वह अपने रिकार्ड में समुचित प्रविष्टियां करेगा एवं बैंक को सूचित करेगा ।

(iii) बैंक डिपोजिटरी से इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर 30 दिनों (तीस) के भीतर और इस प्रकार की शर्तों के पूरा होने पर तथा ऐसे शुल्क का भुगतान किये जाने पर जैसा कि सेबी डिपोजिटरीज एवं पार्टीसिपेंट्स विनियम 1996 और/अथवा डिपोजिटरी अधिनियम 1996 में विनिर्दिष्ट किया गया हो । लाभधारक स्वामी अथवा अन्तरिती को जैसा भी मामला हो, को प्रतिभूति का प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

अध्याय–4

शेयरधारकों की बैठकें

56. वार्षिक सामान्य सभा बलाने की सूचना

(i) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक अथवा बैंक के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित वार्षिक सामान्य सभा बुलाने की नोटिस भारत में विस्तृत प्रसार वाले कम से कम दो समाचार पत्रों में 21 पूर्ण दिवसों पहले प्रकाशित की जायेगी ।

(ii) इस प्रकार की प्रत्येक नोटिस में इस प्रकार के बैठक में स्थान, समय एवं तारीख का तथा इस प्रकार की बैठक में किये जाने वाले कारोबार का उल्लेख किया जायेगा ।

(iii) इस प्रकार की बैठक का समय एवं तारीख निदेशक मंडल द्वारा तय किये गये अनुसार होगी बैठक बैंक के प्रधान कार्यालय के स्थान पर होगी ।

57. असाधारण सामान्य सभा :

(i) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उसकी अनुपस्थिति में बैंक के कार्यपालक निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में बैंक के निदेशकों में से कोई निदेशक, यदि निदेशक मंडल ऐसा निर्देशित करे अथवा ऐसी बैठक बुलाने की मांग केन्द्रीय सरकार अथवा बैंक के शेयर धारकों में यदि अन्य कोई शेयर धारक से जिसके पास शेयर धारकों के वोट देने के कुल अधिकार का 10 प्रतिशत भाग हों, के मांग करने पर, शेयरधारकों की असाधारण सामान्य सभा बुला सकता है ।

(ii) उपविनियम (i) में उल्लिखित मांग में असाधारण सामान्य सभा की बैठक बुलाये जाने के उद्देश्य का उल्लेख किया जाना चाहिए । किन्तु इसमें कई दस्तावेजों का समावेश होने पर प्रत्येक पर एक या उससे अधिक मांग करने वालों के हस्ताक्षर होने चाहिए ।

(iii) ऐसे मामलों में जहां दो या अधिक व्यक्ति किसी शेयर के संयुक्त स्वामी हों वहां इस प्रकार की मांग पर अथवा नोटिस जिसके द्वारा बैठक की मांग की गयी है उस पर यदि एक के अथवा कुछ के हस्ताक्षर हों तो भी इस विनियम के लिए उसका वही प्रभाव होगा जैसे उस पर सभी ने हस्ताक्षर किए हों ।

(iv) असाधारण सामान्य सभा का समय, स्थान एवं तारीख का निर्धारण निदेशक मंडल द्वारा किया जायेगा । बशर्ते, असाधारण सामान्य सभा केन्द्रीय सरकार की मांग पर अथवा शेयर धारकों की मांग पर बैठक बुलाने की मांग प्राप्त होने के 45 दिनों से अनधिक पर बुलायी गयी हो ।

(v) यदि बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक, जैसा भी मामला हो, उपविनियम (i) में वांछित बैठक उपविनियम (iv) में उल्लिखित प्रावधानों में निर्धारित समय में बैठक नहीं बुलाते हैं तब बैठक की मांग करने वालों द्वारा बैठक की मांग किये जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर बैठक बुलायी जा सकेगी ।

बशर्ते, इस उपविनियम में ऊपर उल्लिखित 3 महीने की अवधि के समाप्त होने के पहले बुलाई गयी बैठक तथा उस अवधि की समाप्ति के बाद कुछ दिनों के लिए स्थगित करने के विरुद्ध रोका न माना जाए ।

(vi) मांग करने वालों के द्वारा उपविनियम (v) के अन्तर्गत बुलायी गई बैठक को उसी ढंग से बुलाया जाएगा जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा अन्य सामान्य सभाओं के मामले में किया जाता है ।

58. सामान्य सभा का कोरम :

(i) शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक कोई भी कारोबार नहीं किया जा सकेगा जब तक कि इस प्रकार की बैठक में इस प्रकार का कारोबार प्रारंभ करने से पहले वोट देने का अधिकार रखने वाले कम से कम 5 शेयर-धारक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न हों ।

(ii) बैठक के लिए निर्धारित समय से आधे घंटे के भीतर कोरम मौजूद न होने पर यदि बैठक केन्द्र सरकार की मांग के अलावा शेयर धारकों की मांग पर बुलाई गई हो तो बैठक समाप्त हो जायेगी ।

(iii) दूसरे अन्य मामलों में बैठक के लिए निर्धारित समय के आधे घंटे के भीतर यदि कोरम मौजूद न हो तो बठक अगले सप्ताह के उसी दिन, उसी समय और उसी स्थान के लिए अथवा उसी प्रकार के किसी अन्य दिन समय और स्थान के लिए जैसा अध्यक्ष निर्धारित करें, स्थगित हो जायेगी । यदि स्थगित बैठक के लिए निर्धारित समय, स्थान एवं तारीख पर आधे घंटे के भीतर कोरम मौजूद नहीं होता है तब वे शेयर धारक जो स्वयं उपस्थित हों अथवा परोक्षी के रूप में उपस्थित हों अथवा उनके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि इस बैठक में उपस्थित हों वे कोरम माने जायेंगे और वह कारोबार कर सकेंगे जिनके लिए बैठक बुलाई गयी हो ।

परन्तु अधिनियम की धारा 10ए (i) की शर्तों के अनुरूप वार्षिक सामान्य सभा के लिए निर्धारित तारीख से बाद की किसी तारीख के लिए कोई भी वार्षिक सामान्य सभा स्थगित नहीं की जाएगी किन्तु यदि बैठक को आगामी सप्ताह को स्थगित करने का प्रभाव यह हो तो वार्षिक सामान्य सभा स्थगित नहीं की जाएगी बल्कि बैठक की कार्यवाही निर्धारित समय से 1 घंटे के भीतर, यदि कोरम मौजूद है, शुरू होगी अथवा एक घंटे के समाप्त होने के तत्काल बाद प्रारंभ होगी और वे शेयर धारक जो व्यक्तिगत रूप से मौजूद हों अथवा उनके परोक्षी उपस्थित हों अथवा उनके विधिवत् प्रतिनिधि उपस्थित हों वे इस बैठक के कोरम माने जाएंगे ।

59. सामान्य सभा के अध्यक्ष :

(i) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में ऐसे कोई निदेशक जिन्हें सामान्यतः अथवा किसी विशेष बैठक के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा अथवा उनकी अनुपस्थिति में इस मामले में कार्यपालक निदेशक द्वारा प्राधिकृत किया गया हो बैठक के अध्यक्ष होंगे । यदि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक अथवा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य निदेशक उपस्थित नहीं हो तो बैठक में उपस्थित किसी अन्य निदेशक को सभा, बैठक का अध्यक्ष चुन सकती है ।

(ii) सामान्य सभा के अध्यक्ष सामान्य सभा की कार्य-वाही को विनियमित करेंगे विशेष रूप से उनको यह अधिकार होगा कि वे यह तह करें कि शेयर धारक सभा को किस क्रम में संबोधित करेंगे उनके भाषण की अवधि भी तय करेंगे तथा यदि वे यह समझें कि किसी मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है तो वे बैठक को समाप्त घोषित कर सकेंगे ।

60. सामान्य सभा में भाग लेने के लिए पात्र व्यक्ति :

(i) उपविनियम (ii) के प्रावधानों के अनुसार सभी निदेशक एवं शेयरधारक सामान्य सभा में भाग लेने के पात्र होंगे ।

(ii) कोई शेयरधारक (केन्द्र सरकार नहीं) अथवा निदेशक जो सामान्य सभा में भाग ले रहा हो उसे पहचान एवं उसके वोट देने के अधिकारों का विनिर्धारण करने के लिए निम्नलिखित विवरणों के साथ अध्यक्ष द्वारा निर्धा-रित फार्म में हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करना होगा ।

(क) उसका पूरा नाम व पंजीकृत डाक पता ।

(ख) उसके शेयरों की पहचान संख्या ।

(ग) क्या उन्हें वोट देने का अधिकार है, वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से अथवा परोक्षी के माध्यम से अथवा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कितने वोट देने के लिए पात्र हैं ।

61. सामान्य सभा में मतदान :

(i) किसी भी सामान्य सभा में कोई भी संकल्प जिसे सभा के वोट के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जब तक मतदान की मांग न की गयी हो उसका निर्णय हाथ उठाकर सहमति के आधार पर तय माना जाएगा।

(ii) अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अलावा सामान्य सभा के प्रस्तुत प्रत्येक मामले को बहुमत के आधार पर तय किया जाएगा।

(iii) जब तक कि उपविनियम (i) के अन्तर्गत मतदान की मांग न की गयी हो तब तक बैठक के अध्यक्ष द्वारा यह घोषणा कि संकल्प, हाथ उठाने से पारित किया गया/नहीं किया गया या तो एकमत से अथवा विशिष्ट बहुमत से एवं इस आशय की एक प्रविष्टि उन बहियों में जिसमें कार्यवाही का कार्यवृत्त दिया गया हो वह इस तथ्य का इस प्रकार के संकल्प के पक्ष विपक्ष में डाले गए मतों की संख्या अनुपात के प्रमाण के बिना भी निर्णायक साक्ष्य होगा।

(iv) किसी भी संकल्प पर हाथ उठाकर मतदान का परिणाम घोषित करने से पूर्व अथवा परिणाम घोषित करने पर सभा का अध्यक्ष उनके अपने प्रस्ताव पर मतदान के लिए आदेश दे सकता है और इस मामले में किसी शेयरधारक अथवा शेयर धारकों द्वारा जो सभा में स्वयं उपस्थित हो अथवा उनके परोक्षी के माध्यम से जिनके पास बैंक की शेयर धारिता है, जिसके द्वारा उन्हें संकल्प पर मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है, जो कि किसी संकल्प पर कुल मताधिकार के पांचवे भाग से कम नहीं, के द्वारा मांग करने पर वह आदेश प्राप्त करेगा।

(v) मतदान की मांग को मतदान की मांग करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा।

(vi) स्थगन अथवा सभा के अध्यक्ष चुनाव के मामले में मतदान की मांग को तुरंत हाथ में लिया जाएगा।

(vii) किसी अन्य मामले पर मतदान की मांग को ऐसे समय के भीतर लिया जाएगा जो मांग किए जाने से 48 घंटे से अधिक नहीं हो, जैसा कि बैठक के अध्यक्ष निर्देशित करें।

(viii) किसी व्यक्ति मताधिकार की पात्रता तथा मतदान के मामले तथा कोई व्यक्ति कितने वोट देने के लिए सक्षम है के मामले में सभा-अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

62. सामान्य सभा का कार्यवृत्त :

(i) बैंक सभी कार्यवाहियों का कार्यवृत्त इस आशय हेतु बनाई गई पुस्तकों में दर्ज करेगा।

(ii) इस प्रकार का कोई कार्यवृत्त जिस पर बैठक की कार्यवाही के अध्यक्ष के हस्ताक्षर करने हों अथवा आगामी बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर हों वह कार्यवाही का साक्ष्य होगा।

(iii) जब तक कि अन्यथा प्रमाणित न हो, कार्यवाहियों के संबंध में जिनके कार्यवृत्त तैयार किए गए हैं यह माना जायेगा कि ऐसी बैठकें बुलाई गई और हुई है उससे संबंधित सभी कार्यवाही विधिवत संपन्न हुई है।

अध्याय–5

निदेशकों का चयन

63. निदेशकों का चयन सामान्य सभा में होगा

(i) अधिनियम की धारा 9 के अनुच्छेद (3) क खण्ड (i) के अनुसार किसी निदेशक का चयन केन्द्र सरकार के अलावा रजिस्टर पर दर्ज शेयरधारकों द्वारा बैंक की सामान्य सभा में उनके बीच में से किया जायेगा।

(ii) जबकि किसी निदेशक का चयन सामान्य सभा में किया जायेगा इस आशय की सूचना सामान्य सभा बुलाने की सूचना में दी जायेगी। इस प्रकार की प्रत्येक नोटिस में चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या तथा रिक्तियां जिनके संबंध में चुनाव किया जाना है, उनके विवरण विनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

64. शेयरधारकों की सूची :

(i) इन विनियमों के विनियम 63 के उपविनियम (i) के अंतर्गत शेयरधारकों की एक सूची रजिस्टर पर तैयार की जायेगी जिसके ऊपर से निदेशकों का चुनाव किया जाएगा।

(ii) इस सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत डाक पते उनके पास शेयरों के पंजीकृत किए जाने की तारीख को शेयरों एवं डिमोटिंग संख्या तथा चुनाव किए जाने की निर्धारित तारीख को, जिसकी बैठक होने वाली है, उनके मतों की संख्या आदि शामिल होंगे। इस सूची की प्रतियां निदेशक मंडल द्वारा तय किये गये मूल्य पर प्रधान कार्यालय में बिक्री के लिये बैंक हेतु निर्धारित तारीख से कम–से–कम तीन सप्ताह पूर्व उपलब्ध होनी चाहिए।

65. चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नामांकन :

(i) किसी भी प्रत्याशी का कोई भी नामांकन निदेशक के रूप में चुनाव हेतु तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि :

(क) वह बैंक का शेयर धारक नहीं हो और उसके नाम पर 100 शेयर अंकित न हों।

(ख) उसे अधिनियम के अंतर्गत अथवा योजना के अंतर्गत नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तारीख तक निदेशक होने के लिए योग्य घोषित न किया गया है।

(ग) उसके नाम पर अंकित चाहे संयुक्त रूप से अलग से अकेले के नाम बैंक के सभी शेयरों की मांग राशियों का निर्धारित तारीख के पहले भुगतान न कर दिया हो,

(घ) उसके नामांकन पर कम से कम 100 शेयरधारकों के उसे निदेशक चुनने के लिए हस्ताक्षर होने चाहिए अथवा इन शेयरधारकों के विधिवत गठित मुख्तार के हस्ताक्षर होने चाहिए बशर्ते, ऐसे किसी शेयर धारक द्वारा नामांकन जो कोई कम्पनी हो उसके निदेशकों द्वारा पारित संकल्प के माध्यम से किया जाना चाहिए और जहां ऐसा किया गया हो वहां पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा उसकी सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित करके इसकी एक प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए। और इस प्रति को उस कम्पनी के द्वारा किया गया नामांकन माना जायेगा,

(ङ) नामांकन के साथ संलग्न अथवा उसमें न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार अथवा उपरजिस्ट्रार अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के सामने यह की गयी घोषणा शामिल होनी चाहिए कि वह नामांकन स्वीकार करता है और उसे अधिनियम अथवा योजना के अंतर्गत अथवा इन विनियमों के अंतर्गत निदेशक चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

(ii) कोई भी नामांकन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि यह इससे संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ सभी रूप में पूर्ण होकर बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक के लिए तय तारीख से 14 पूर्ण दिनों के पहले प्राप्त न हो जाये।

66. नामांकनों की संवीक्षा (जांच)

(i) नामांकनों की जांच नामांकनों के प्राप्त होने की निर्धारित तारीख के आगामी कार्य दिन को की जायेगी और यदि किसी नामांकन को विधिमान्य नहीं पाया जाता है तो उसे निरस्त कर दिया जायेगा और इस पर उसके निरस्त करने का कारण दर्ज कर दिया जायेगा। यदि किसी विशिष्ट रिक्ति के लिए केवल एक ही नामांकन होता है तब इस प्रकार से नामित व्यक्ति को तुरंत चुना गया मान लिया जायेगा और उसका नाम और पता इस प्रकार के चुने जाने के लिए प्रकाशित किया जायेगा। इस प्रकार की स्थिति में इस आशय के लिये बुलाई गई बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा और यदि बैठक पूर्ण रूप से इसी कार्य के लिए बुलाई गई हो तो यह रद्द हो जायेगी.

(ii) ऐसी स्थिति में जब चुनाव हो रहा हो तथा जब विधि मान्य नामांकनों की संख्या चुने जाने वाले निदेशकों से अधिक हो तो वह प्रत्याशी जिसे बहुमत प्राप्त होगा उसे चुना हुआ माना जायेगा।

(3) वह निदेशक जिसका चयन किसी रिक्ति को भरने के लिए किया गया है उसने अपना पदभार उस तारीख से संभाल लिया माना जाएगा जिस तारीख को इसका चयन किया गया है अथवा जिस तारीख से सकाउ चुनाव किया गया माना गया है ।

67. चुनाव–विवाद

(1) यदि कोई संदेह अथवा विवाद किसी व्यक्ति की योग्यता अथवा अयोग्यता के बारे में उठता है जिसका चयन हुआ है अथवा जिसे चयनित माना गया है अथवा चुना घोषित किया गया है अथवा उसे चुना घोषित किया जाना है, तो निदेशक चुने जाने की वैधता रखने वाला कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रत्याशी होने में रुचि रखता हो अथवा शेयर धारक जो इस प्रकार चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र है, उसे इस प्रकार के चुनाव की घोषणा 7 दिनों के भीतर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को इसकी लिखित सूचना देनी चाहिए और उक्त सूचना में चुनाव की वैधता और विवाद अथवा संदेह के सभी आधारों को विवरण देना चाहिए ।

(2) उपविनियम (i) के अंतर्गत इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में बैंक के कार्यपालक निदेशक वे इस प्रकार के संदेह या विवाद को निर्णय के लिए उस समिति को भेज देंगे जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और कोई दो निदेशक होंगे जिन्हें अधिनियम की धारा 9 के अनुच्छेद (3) के उपखण्ड (ख) और (ग) के अंतर्गत नामित किया गया है ।

(3) उपविनियम (ii) में उल्लिखित समिति ऐसी जांच करेगी जैसा वह ठीक समझे और यदि उनके सामने यह आता है कि चुनाव विधि मान्य चुनाव है तब वह घोषित चुनाव की पुष्टि कर देंगे अथवा यदि उनके समक्ष ऐसा पाया जाता है कि चुनाव विधि मान्य नहीं था तब वह जांच प्रारंभ होने के 30 दिनों के भीतर ऐसे आदेश देंगे और नया चुनाव कराने अथवा जैसे समिति परिस्थितियों के अनुरूप ठीक समझे, सहित निर्देश जारी करेगी ।

(5) इस विनियम के अनुरूप समिति द्वारा दिया गया आदेश व निर्देश निर्णायक होगा ।

अध्याय–6
शेयर धारकों का मताधिकार

68. मताधिकार का निर्णय

(1) अधिनियम के अनुच्छेद 3 (2ई) में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप सामान्य सभा की तारीख के पहले रजिस्टर बन्द होने की तारीख पर जिसे शेयर धारक रजिस्टर में दर्ज किया गया है ऐसे प्रत्येक शेयर धारक को हाथ उठाकर एकमत देने का अधिकार है और यदि चुनाव होता है तो उसके नाम पर दर्ज प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक मत देने का अधिकार है ।

(2) अधिनियम के अनुच्छेद 3 (2ई) में दिये गये प्रावधानों के अधीन प्रत्येक शेयर धारक, जो कम्पनी नहीं है, जो स्वयं अथवा परोक्षी के माध्यम से उपस्थित हो उसे हाथ उठाकर वोट देने की दशा में एक मत देने और चुनाव की स्थिति में उपविनियम (i) में यहां ऊपर उल्लिखित उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत देने के लिए पात्र होगा ।

स्पष्टीकरण : इस अध्याय के लिए "कम्पनी" से तात्पर्य "कारपोरेट निकाय" से है ।

(3) बैंक के शेयर धारक सामान्य सभा में भाग लेने एवं वोट देने के लिए पात्र होंगे तथा वे किसी अन्य व्यक्ति (शेयर धारक हो अथवा नहीं) उसके स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए परोक्षी नियुक्त कर सकेंगे । परन्तु किसी परोक्षी को इस प्रकार की बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा ।

69. विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से मतदान :

(1) कोई शेयर धारक, वह केन्द्र सरकार हो अथवा कम्पनी एक संकल्प के द्वारा जैसा मामला हो, अपने किसी अधिकारी को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को शेयरधारकों की सामान्य सभा में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार के प्राधिकृत व्यक्ति (जिन्हें इन विनियमों में "विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति" कहा गया है) केन्द्र सरकार की ओर से अथवा कम्पनी की ओर से जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है जैसे कि वह स्वयं बैंक का शेयर धारक हो, उनके अधिकार का प्रयोग कर सकेगा । इस प्रकार दिया गया प्राधिकार विकल्पत: दो व्यक्तियों के नामों में हो सकता है और ऐसे मामलों में इनमें से कोई व्यक्ति केन्द्र सरकार/कम्पनी के विधिवत प्राधिकृत के रूप में कार्य कर सकेगा ।

(2) बैठक के लिए निर्धारित की गयी तारीख के कम से कम चार दिन पहले बैंक के कार्यालय में विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किय जाने संबंधी संकल्प की उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि न जमा कराने की दशा में कोई भी व्यक्ति न तो किसी बैठक में भाग ले सकेगा और न ही मतदान कर सकेगा ।

70. परोक्षी :

(1) परोक्षी के लिए कोई प्रपत्र तब तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक कि वह किसी व्यक्तिगत शेयर धारक के मामले में उसके द्वारा हस्ताक्षरित न हो अथवा संयुक्त धारकों के मामले में यह रजिस्टर में नाम वाले धारक द्वारा अथवा लिखित रूप में विधिवत मुख्तार द्वारा हस्ताक्षरित न हो अथवा कारपोरेट निकाय के मामले में इसके अधिकारी अथवा किसी विधिवत प्राधिकृत-मुख्तार द्वारा हस्ताक्षरित न हो ।

बशर्ते, परोक्षी का कोई प्रपत्र किसी शेयर धारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षर किए गए हों, जो यदि किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हों, और उसके अंगूठे के निशान इस पर अंकित किए गए हों तो न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट, रजिस्टार अथवा एफ्योरेंस के उप रजिस्टार अथवा सरकार के अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है ।

(2) कोई भी परोक्षी तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि इस पर विधिवत स्टाम्प न लगाया हो और इसकी एक प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय में अथवा किसी अन्य स्थान पर, जिसको बैंक ने इस आशय हेतु विधिवत अधिसूचित किया हो, बैठक के लिए निर्धारित तारीख से 4 दिनों के भीतर मुख्तार नामे के साथ अथवा अन्य प्राधिकार (यदि कोई) जिसके अंतर्गत इस पर हस्ताक्षर किय गय है अथवा मुख्तारनामें की प्रति अन्य प्राधिकारी जिसे सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया गया हो अथवा मुख्तारनामा अथवा प्राधिकार पत्र जिसको नोटरी अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा इसे प्रमाणित किया गया हो और इसे बैंक के पास पहले से इस प्रकार के मुख्तार नामे को अथवा प्राधिकार को जमा न कराया गया हो ।

(3) परोक्षी का कोई भी प्रपत्र तभी मान्य होगा जब कि यह फार्म "बी" में हो ।

(4) बैंक के पास जमा कराया गया परोक्षी का प्रपत्र अप्रत्यावर्तनीय और अंतिम होगा ।

(5) ऐसे मामलों में जहां परोक्षी दो व्यक्तियों के पक्ष में विकल्पत: स्वीकृत किया गया हो एक फार्म से अधिक को निष्पादित नहीं किया जायेगा ।

(6) इस विनियम के अंतर्गत परोक्षी के प्रपत्र को मंजूर करने वाला व्यक्ति स्वयं व्यक्तिगत रूप से उस बैठक में मत नहीं दे सकेगा जिसके लिए इस प्रकार की परोक्षी स्वीकृत की गयी है ।

(7) ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी नियुक्त नहीं किया जा सकता है जो कि बैंक में अधिकारी अथवा कर्मचारी है ।

बैंक आफ बड़ौदा

फार्म "क"

शेयरअन्तरण फार्म

(विनियम 17 का उपविनियम (1 देखें)

अधोलिखित के हितार्थ "अन्तरणकर्ता" नामक अन्तरिती नामक को निम्नलिखित शेयरों को उन्हीं शर्तों पर एतद्द्वारा अन्तरित करता है/करते हैं जिन पर शर्तों पर अन्तरणकर्ता द्वारा शेयर धारित किया गया/किये गये हैं और अन्तरिती उक्त शेयरों को स्वीकार एवं धारित करने के लिये उपरोक्त शर्तों के अधीन एतद्द्वारा सहमति देता है/देते हैं ।

कम्पनी का पूरा नाम	मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज का नाम जहां लेन-देन किया गया, यदि कोई

इक्विटी शेयर का विवरण :

संख्या (अंकों में)	संख्या (शब्दों में)	हितार्थ राशि (अंकोंमें)	हितार्थ राशि (शब्दों में)
अलग-अलग क्रमांक	से		
	तक		

तदनुरूपी प्रमाण पत्र

क्रमांक

अन्तरणकर्त्ता(ओं) विक्रेता(ओं) के विवरण	पंजीकृत फोलियो नं०	हस्ताक्षर
पूरा नाम	1. ————	1. ————
	2. ————	2. ————
	3. ————	3. ————
	4. ————	4. ————

सत्यापन

मैं एतद्द्वारा यहां उल्लिखित अन्तरणकर्त्ता (ओं) के हस्ताक्षर(रों) को सत्यापित करता हूं

साक्षी के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर :

नाम

पता मुहर :

साक्षी का नाम एवं पता

———

———

———पिन———

अन्तरिति(यों) क्रेता(ओं) के विवरण

पूरा नाम	हस्ताक्षर
1. ————	1. ————
2. ————	2. ————
3. ————	3. ————

व्यवसाय	पता	पिता/पति का नाम

अन्तरिति(यों) का वर्तमान फोलियो, यदि कोई हो, दिये गये के अनुक्रम में

चिपकाये गये स्टाम्पों का मूल्य

दिनांकित : ——————————के——————————दिन को

स्थान :

केवल कार्यालयीन उपयोग के लिये फोलियो कम्पनी कोड

——————————द्वारा जांचा गया अतिरिक्त(यों) के नमूना हस्ताक्षर 1. ——————————

——————————द्वारा हस्ताक्षर का 2. ——————————

मिलान किया गया । 3. ——————————

अन्तरण संख्या ——————————के रजिस्टर ।

प्रविष्टि की गई

अनुमोदन तिथि :

सत्यापन हेतु अनुदेश :

जहां सत्यापन (अंगूठा निशान, निशान, हस्ताक्षर अन्तर आदि) की आवश्यकता है, मैजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक अथवा विशेष कार्यपालक न्यायाधीश अथवा सार्वजनिक पद का समकक्ष प्राधिकारी जिसे अपने कार्यालय की सील का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त हो अथवा मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज का सदस्य जिसके माध्यम से शेयर प्रारम्भ किये जाते हों अथवा अन्तरणकर्त्ता बैंक के प्रबन्धक द्वारा सत्यापन किया जाना चाहिये ।

नोट : नामों की सीधी लाइन में रबर की मोहर लगी होनी चाहिये, वर्ण क्रम का पालन किया जाये । समाशोधन के सदस्य बैंक द्वारा सुपुर्दगी के समय दलाल व समाशोधन क्रमांक का उल्लेख किया जाना चाहिये ।

सुपुर्दगीकर्त्ता दलाल अथवा समाशोधन गृह के सदस्य का नाम तारीख अटार्नी, अधिकार/प्रोबेट/मृत्यु/प्रमाण-पत्र

प्रबन्ध-पत्र

कम्पनी के साथ पंजीकृत

क्रमांक——————तारीख——————

(दलाल, बैंक, कम्पनी अथवा स्टाक एक्सचेंज, समाशोधन गृह के हस्ताक्षर (आद्यक्षर नहीं)

प्रस्तुतकर्ता ——————————

पूरा पता ——————————

निम्न को शेयर प्रमाणपत्र वापिस करें.

(उस व्यक्ति जिसको प्रमाणपत्र वापिस भेजने हैं उसका नाम और पता भरें;

नाम एवं पता——————————

शेयर अंतरण स्टैम्प

बैंक ऑफ बड़ौदा

फार्म "बी"

प्रतिनिधि प्रपत्र/प्रौक्सी फार्म

(अधिनियम 70 का उप-अधिनियम (III) देखें)।

(शेयर धारक द्वारा भरा जाना है)।
फोलियो स० ----------

मैं/हम ----------राज्य के .....जिले .....के निवासी बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरधारक/धारकों के रूप में एतद्द्वारा ----------राज्य के----------जिले---------- के निवासी श्री----------या उसके न रहने पर ----------राज्य के---------- जिले के ----------निवासी श्री ----------को बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरधारकों की----------के ----------दिन को और उसके किसी स्थगन पर होने वाली बैठक में अपनी/हमारी ओर से मेरे/हमारे लिये मत देने हेतु अपना/हमारा प्रतिनिधि नियुक्त करता हूं/हैं।

----------के----------दिन को हस्ताक्षरित

नाम: ----------

पता : ---------- (20 पैसे का)

---------- रेवेन्यू स्टाम्प

---------- चिपकायें

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

सचिव विभाग

शुद्धि पत्र

मुम्बई–400018, दिनांक 1999

अनुबन्ध 1

क्रमांक	गैजट की पृष्ठ संख्या	सन्दर्भ		त्रुटी	सुधार	
1	2	3		4	5	
1.	3922	प्रशिक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित				
		(ij) घटाएं वर्ष के दौरान व्यय/संवितरण (पिछला वर्ष)		4,78,01,144 3,41,35,51,034	4,78,01,144 34,35,51,034	
2.		(iv) कृषि और ग्रामीण उदयम उद्भवन निधि :		5,00,000	5,00,00,000	
3.	3923	3. निवेश (लागत पर) (टिप्पणियां) केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां				
		अंकित मूल्य रु०	1335,47,00,000	1335,47,00,000	1335,47,00,000	(रु० 13,35,47,00,000
		बाजार मूल्य	1247,18,23,529	1163,57,83,238	1247,18,23,529	(रु० 11,63,57,83,238
4.	3924	(viii) अन्य प्रशिक्षित निधियां		27,31,00,39,971	27,31,00,39,971	
5.	3925	4. अग्रिम				
		(i) उत्पादन और विपणन ऋण (दूसरा कालम)		4982,01,99,217	4982,01,95,217	

1	2	3	4	5
6.	3926	5. ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि		
		टोटल (दूसरा कालम)	2239,34,50,000	---
		टोटल (पहला कालम)	---	2399,34,50,000
7.	3929	अन्य परिसंपत्तियां		
		(ग) स्विस विकास सहयोग–परियोजना ग्रामीण कृषीतर क्षेत्र विकासात्मक कार्यकलाप	स्विस विकास सहयोग–परियोजना ग्रामीण कृषीतर क्षेत्र विकासात्मक कार्यकलाप	स्विस विकास सहयोग–परियोजना ग्रामीण कृषितर क्षेत्र विकासात्मक कार्यकलाप
8.	3931	अन्य परिसंपत्तियां		
		टोटल (दूसरा कालम)	82,585,97,9537	825,85,97,953
9.	3934	चालू देयताएं और प्रावधान		
		(i) कुग्राक्षरा योजना 1990 के अन्तर्गत भारि बैंक से लिये गये उधार पर उपचिन ब्याज		
		(पहला कालम)	458,16,675	---
		(दूसरा कालम)	---	458,16,675
10.	3934	(vi) अवकाश नगदी-करण के लिये प्रावधान	4,50,0,000	4,50,00,000
11.	3934	(viii) रिजर्व बैंक द्वारा रखे गये बांडों पर दावा रहित ब्याज पर कांट्रा (चौथा कालम)	1,51,51,956	1,51,56,956
12.	3937	हस्ताक्षर	पी० ए० रामाराव प्रबन्ध निदेशक	पी० वी० ए० रामाराव प्रबन्ध निदेशक
13.	3938	लाभ और हानि लेखा (1) अदा किया गया ब्याज (ज) कुग्राक्षरा योजना 1990 पर		
14.	3941	वर्ष का लाभ नीचे लाया गया (चौथा कालम)	कुग्राक्षण योजना 1990 पर 5,06,38,846,300	कुग्राक्षरा योजना 1990 पर 506,38,86,300

ह०/—
वाई० पारथासारथी,
असिसटेंट जनरल मैनेजर,

दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया

पी० बी० नं० 7100, इन्द्रप्रस्थ मार्ग,

नई दिल्ली–110002, दिनांक 30 मार्च, 1999

सं० 1–सी० ए० (7)/40/99:–चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स विनियम 1988 के विनियम 159(1) के अनुसरण में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद, उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद की शाखा की दिनांक 28 फरवरी, 1999 से गुड़गांव में स्थापना को अधिसूचित करती है।

यह शाखा उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद की गुड़गांव शाखा के नाम से जानी जाएगी।

इस शाखा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत, अन्यों के साथ-साथ गुड़गांव नगर सीमा से 50 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले शहर/नगर आएंगे :

विनियम 159(3) में विहित किए गए अनुसार, यह शाखा परिषद के नियंमण, पर्यवेक्षण तथा निर्देशनों के अधीन रहते हुए उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद की मार्फत कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी, जो परिषद द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं।

अशोक हल्दिया, सचिव

सं० 1–सी० ए० (7)/41/99.––चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स विनियम 1988 के विनियम 159(1) के अनुसरण में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद, उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद की शाखा की दिनांक 28 फरवरी 1999 से पानीपत में स्थापना को अधिसूचित करती है।

यह शाखा उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद की पानीपत शाखा के नाम से जानी जाएगी।

इस शाखा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अन्यों के साथ-साथ, पानीपत नगर की सीमा से 50 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित शहर/नगर आएंगे :

1. पानीपत
2. करनाल
3. संभालखा

विनियम 159(3) में विहित किए गए अनुसार, यह शाखा परिषद के नियंमण, पर्यवेक्षण तथा निर्देशनों के अधीन रहते हुए उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद की मार्फत कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी, जो परिषद द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं।

अशोक हल्दिया, सचिव

दी इन्स्टीट्यूट ऑफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया

कॉस्ट एकाउन्टेन्ट्स 12 सदर स्ट्रीट,

कलकत्ता–700016, दिनांक 2 मार्च 1998

सं० II–सी० डब्ल्यू आर० (167–171)/98 :––दी कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स विनियम 1959 के नियम II के उप-नियम (3) का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि (1) श्री प्रसंना कुमार, एम० काम०, ए० आई० डी० डब्ल्यू० ए०, नं० 685, फस्ट फ्लोर 61 क्रास, 5वां ब्लाक, राजाजी नगर, बंगलौर–560010 (सदस्यता सं० 12642) 20 अक्तूबर, 1997 से 30 जून 1998 तक (2) श्री एम० जे० हरमालकर, वी ए सी (आर्नस), ए आई सी डब्ल्यू ए, फ्लैट नं० 17 गीतांजली क्वार्टर्स, एच एस जी, सोसायटी, लोखंडी पाढ़ा पंमेल–410206 (सदस्यता सं० 3910) 20 नवम्बर 1997 से 30 जून 1998 तक (3) श्री अशोक कुमार दत्ता, बी०काम (आर्नस); ए आई सी डब्ल्यू ए, दयाल कुटीर, पी–7, ब्लाक–ए, एच० बी० टाउन, रोड सं०–2 सोदपुर–743178, (सदस्यता सं० 6267) 29 जनवरी, 1998 से 30 जून 1998 तक (4) श्री अमितराय, बी काम, ए आई सी डब्ल्यू ए, 2, ताल बागान मेन रोड़, 9वां लेन, पी० ओ० नार्थ चंदनपुकुर, बैरकपुर-743102 (सदस्यता सं० 16206) 29 जनवरी 1998 से जून 1998 तक (5) श्री कपिल कुमार, बी काम, ए आई सी डब्ल्यू ए, 1/30 ललिता पार्क, विकास मार्ग, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110092 (सदस्यता सं० 15619) 20 फरवरी, 1998 से 30 जून 1998 तक के प्रैक्टिस करने के अनुवत्त प्रमाण पत्रों को उन लोगों के अनुरोध पर रद्द किया जाता है।

डी० जगन्नाथन, सचिव

दिनांक 15 जुलाई, 1998

सं० II–सी डब्ल्यू आर (172–174)/98–दी कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स विनियम 1959 के नियम II के उप-नियम (3) का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री के० एल० शर्मा, एम० ए०, बी० काम, एफ आई सी डब्ल्यू ए, एम–77, सेक्टर–25, मोदा–201301 (सदस्यता सं० 616) 1 अप्रैल, 1998 से 30 जून 1998 तक (2) श्री सी० एम० ननजुन्दाप्पा, बी ए सी, ए आई सी डब्ल्यू ए 407, 8वां बी मेन रोड, 4 ब्लाक (वेस्ट) जयनगर बंगलौर–560011 (सदस्यता सं० 750) 1 अप्रैल, 1998 से 30 जून 1998 तक, (3) श्री एस० अरुन कुमार, बी ए सी, ए आई सी डब्ल्यू ए, नं० 511, 7वां मेन, 8वां क्रास, जे० बी० नगर, थर्ड फेस, बंगलौर–560078 (सदस्यता सं० 16535) 15 अप्रैल, 1998 से 30 जून 1998 तक के प्रैक्टिस करने के अनुवत्त प्रमाण पत्रों के उन लोगों के अनुरोध पर रद्द किया जाता है।

डी० जगन्नाथन, सचिव

दिनांक 13 नवम्बर 1998

सं II सी डब्ल्यू आर (175–183)/98––दी कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स विनियम 1959 के नियम II के उप-नियम (3) का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि (1) श्री राजेन्दर भाटिया, एम काम, ए आई सी डब्ल्यू ए, 154, सुनेहरी बाग, एपार्टस, प्लाट 15, सेक्टर 13, रोहिनी, दिल्ली (सदस्यता सं० 6341) 28 अगस्त, 1998 से 30 जून,

1999 तक (2) श्री एम० के० चक्रवर्ती, एम काम, ए आई सी डब्ल्यू ए, 334/1, जेसोर रोड़ (कालीन्दी) डकोडिल, ए 7 (दूसरी मंजिल) कलकत्ता–700089 (सदस्यता सं० 15225) 3 अक्तूबर, 1998 से 30 जून, 1999 तक (3) के० सी० हरिकीसंका, बी ई (आनर्स), एम आई ई, ए आई, सी डब्ल्यू ए, 5/325, मालवीय नगर, जयपुर–302017, (सदस्यता सं० 6284) 10 सितम्बर, 1998 से 30 जून, 1999 तक (4) श्री पी० चटर्जी, बी काम, ए आई सी डब्ल्यू ए, 165/1, सरद बोस रोड, कलकत्ता–700026 (सदस्यता सं० 725) 6 अगस्त, 1998 से 30 जून, 1999 तक (5) श्री एस० अनन्त नरायनन, बी काम, ए आई सी डब्ल्यू ए, 28/3085 टगोर नगर, पोनेथ टेम्पुल रोड, कादामन्तर पी० ओ०, कोची–682020 (सदस्यता सं० 2760) 14 अगस्त, 1998 से 30 जून, 1999 तक (6) श्री अभिजीत मजुमदार, एम काम, एल एल बी, ए सी एस/ए आई सी डब्ल्यू ए, केयर आफ श्री अतुल मजुमदार, 22/बी लेन्सडाउन प्लेस, दूसरी मंजिल, कलकत्ता–700029 (सदस्यता स० 7803) 21 अक्टूबर, 1998 से 30 जून, 1999 तक (7) श्री एम०एम० दत्ता, बी काम, एफ आई सी, डब्ल्यू ए, 10, शिवतल्ला लेन सेवराफुली–712223 (सदस्यता सं० 1882) 24 सितम्बर, 1998 से 30 जून, 1999 तक (8) श्री आर० पी० मंडल, एम ए, एफ सी एस, एफ आई सी, डब्ल्यू ए, 29, न्यू साउथ पार्क, काजीपाड़ा, बाघा जतिन, कलकत्ता–700092 (सदस्यता सं० 484) 12 अक्टूबर, 1998 से 30 जून, 1999 तक (9) श्री एम० जी० किनि, बी एस सी, एल एल बी, ए आई सी डब्ल्यू ए, 3031/ई, फ्लैट नं० 2, 8वाँ मेन, 9वाँ क्रास, माया अपार्टमेन्टस, हाल, 11 इस्टाप, बंगलौर–560008 (सदस्यता सं० 8420) 26 अक्टूबर, 1998 से 30 जून, 1999 तक के प्रैक्टिस करने के अनुदत्त प्रमाणपत्र को उन लोगों के अनुरोध पर रद्द किया जाता है।

डी० जगन्नाथन, सचिव

दिनांक 12 जनवरी 1999

सं० 11–सी० डब्ल्यू० आर० (184–186)/99—दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस विनियम 1959 के नियम 11 के उप-नियम (3) का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री भी० रवि गनेश, एम०काम०, एफ आई सी डब्ल्यू ए, 180टी० मी० समी, रोड (वेस्ट) आर० एस० पुरम, कोम्बाटूर–641002 (सदस्यता सं० 9067) 24 दिसम्बर, 1998 से 30 जून, 1999 तक (2) श्री आर० के० गाँगुली, एम काम, ए आई सी डब्ल्यू ए, (मलंच) 336, एन० सी०, बनर्जी रोड, वैद्यवाटी, 712222 (सदस्यता सं० 3439) 28 दिसम्बर, 1998 से 30 जून 1999 तक और (3) मिसेस, उर्भी पी० शाह, बी०काम०, ए आई सी डब्ल्यू ए, 1, तिलक एपार्टस, यूनिट 2, महाराष्ट्र सोसायटी, मिताखाली, इलीयस ब्रीज, अहमदाबाद–380006 (सदस्यता सं० 18342) 1 जनवरी, 1999 से 30 जून 1999 तक के प्रैक्टिस करने के अनुदत्त प्रमाण पत्रों को उन लोगों के अनुरोध पर रद्द किया जाता है ।

डी० जगन्नाथन, सचिव

दिनांक 3 मार्च 1999

सं० 11–सी डब्ल्यू आर (187–188)—99 दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस विनियम 1959 के नियम 11 के उप-नियम (3) का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि (1) श्री जी० आर० सोनी, एफ आई सी डब्ल्यू ए, एफ सी एस, एम बी ए, सी–25, गुरुद्वारा रोड, महेन्द्रू इन्कलेव, दिल्ली–110033 (सदस्यता सं० एम/2178) 4 जनवरी, 1999 से 30 जून 1999 तक और (2) श्री एस० सी० धिंगरा, एम बी ए, एफ आई सी डब्ल्यू ए, 224, मंदाकिनी इन्कलेव अलकनन्दा, नयी दिल्ली–110019 (सदस्यता सं० 2225) 10 फरवरी, 1999 से 30 जून 1999 तक के प्रैक्टिस करने के अनुदत्त प्रमाण पत्रों को उन लोगों के अनुरोध पर रद्द किया जाता है ।

डी० जगन्नाथन, सचिव

दिनांक 5 दिसम्बर 1997

सं० 16–सी० डब्ल्यू० आर० (1229) (97)—दि कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1959 के नियम 16 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दि इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया के परिषद ने दि कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स के अधिनियम, 1959 की धारा 20 के उपधारा (1) (ए) के द्वारा दिये गये शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री सौरिन्द्र जीवन दास गुप्ता, बी०काम०, ए आई सी डब्ल्यू ए, पटुली, गरिया, कलकत्ता–700084 (सदस्यता सं० 354) 2 अक्तूबर, 1997 से के नाम को उनके मृत्यु के कारण सदस्य पंजिका से हटा दिया है ।

डी० जगन्नाथन, सचिव

दिनांक 12 मार्च 1998

सं० 16–सी डब्ल्यू आर (1230–1233)/98—दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस विनियम, 1959 के नियम 16 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया के परिषद ने दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस के अधिनियम 1959 की धारा 20 की उपधारा (1) (ए) के द्वारा दिये गये शक्तियों का प्रयोग करते हुये (1) श्री आर० एस० जगन्नाथ राव, बी ए सी, एफ सी ए, एफ आई सी डब्ल्यू ए, 33, लोगनाथन कोलनी, मैलापुर, चेन्नई–600004 (सदस्या सं० 808) 21 जनवरी, 1997 से, (2) एस० महादेवन, बी एस सी, एफ सी एम ए, एफ आई सी डब्ल्यू ए, 38 (नया नं० 60), लक्ष्मी निवास, टाटाबाद, 7वाँ स्ट्रीट, कोयलाटूर–641012 (सदस्यता सं० 251) 16 फरवरी 1997 से, (3) श्री एस दोराई स्वामी बी काम, एफ आई सी डब्ल्यू ए, आर–2/1, गोवरधन गिरि, बांगुर नगर, गोरेगांव वेस्ट, मुम्बई–490090 (सदस्यता सं० 754) 3 अक्तूबर, 1997 से और (4) श्री राजीव गुप्ता,

एम काम, एफ आई सी डब्ल्यू ए, कमरा सं० 433, मार्शल हाउस, 33/1 नेता जी सुभाष रोड़ कलकत्ता–700001 (सदस्यता सं० 7958) 28 अप्रैल, 1997 से, के नामों को उन लोगों के मृत्यु के कारण सदस्य पंजिका से हटा दिया गया है ।

डी० जगन्नाथन, सचिव

दिनांक 15 जुलाई 1998

सं० 16–सी डब्ल्यू आर (1234–1241)/98—दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस विनियम 1959 के नियम 16 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया की परिषद ने दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस के अधिनियम 1959 की धारा 20 की उपधारा (1)(ए) के द्वारा दिये गये शक्तियों का प्रयोग करते हुये (1) श्री एन कृष्णनन, बी ई, एफ आई सी डब्ल्यू ए, "सुप्रभा" 217, थर्ड स्ट्रीट, राम नगर, इक्स्टेन० विजय नगर मेजा चेरी, चेन्नई–600042 (सदस्यता सं० 5536) 24 जून, 1997 से, (2) श्री पी० डी० मेहेन्डाले, बी काम, एल एल बी, ए आई सी डब्ल्यू ए, 264/1, शनिवार पेठ, पुने–411030 (सदस्यता सं० 3035) 26 नवम्बर 1997 से, (3) श्री प्रह्लाद बजाज, बी काम, एफ सी एस, एफ आई सी डब्ल्यू ए, 4–एफ, जय जयन्ति, एपार्टमेन्टस, 2 ए, मेन्डैमिला गार्डेन्स कलकत्ता–700019 (सदस्यता सं० 3801) 22 फरवरी, 1998, (4) श्री सी० एम० चाको, बी काम०, ए आई सी डब्ल्यू ए, हाउस नं० 36/2131, "शिनी मिल्ला", सेनोय रोड़, कालूर पी० ओ०, कोचीन–682017 (सदस्यता सं० 1283) 23 फरवरी 1998 से, (5) श्री के० बाल सुब्रामेनियन, बी काम, ए, सी ए, ए आई सी डब्ल्यू ए, 1/5, चन्द्रलोक एपार्टस, 390 गोखेल नगर रोड़ पुने–411016 (सदस्यता सं० 3870) 20 अप्रैल, 1998 से (6) श्री भुवेशचन्द्र चक्रवर्ती, एम ए, एफ आई सी डब्ल्यू ए, 6, पूर्वपाड़ा रोड़, बेलघरिया, कलकत्ता–700056 (सदस्यता सं० 1257) 30 मई, 1998 से, (7) श्री पी० वी० एल० शर्मा, बी ए, बी काम, एफ आई सी डब्ल्यू ए, 15–9–52/एफ, हैदराबाद–500048 (सदस्यता सं० 509) 4 जून 1998 से, और (8) श्री राममनोजेन्द्र भट्टाचार्य, बी ई, ए आई सी डब्ल्यू ए, 24/1, ए० के० देवी रोड़, कन्तालपाड़ा, नौहाटी–743165, (सदस्यता सं० 6902) 10 जून, 1998 से के नामों को उन लोगों के मृत्यु के कारण सदस्य पंजिका से हटा दिया गया है ।

डी जगन्नाथन, सचिव

सं० 18 सी डब्ल्यू आर (1242–1243)/98—दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस विनियम 1959 के नियम 16 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट आफ इण्डिया के परिषद ने कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस अधिनियम 1959 की धारा 20 की उप-धारा (1 बी) के द्वारा दिये गये शक्तियों का प्रयोग करते हुये (1) श्री एस० भरद्वाजी, बी ए सी, एफ आई सी डब्ल्यू ए, 43, स्टेट बैंक कालोनी, इदमलेपट्टी पुतुर, त्रिरुचेनापल्ली–620012 (सदस्यता सं० 2755, 31 मार्च, 1998 से और (2) श्री तपन कुमार सामन्त, बी काम, ए आई सी डब्ल्यू ए, ए–9, 300 कल्याणी–741235 (सदस्यता सं० 16990) 8 मई, 1998 से, के नामों को उन लोगों के अनुरोध के कारण सदस्य पंजिका से हटा दिया गया है ।

डी जगन्नाथन, सचिव

दिनांक 13 नवम्बर 1998

सं० 16 सी० डब्ल्यू० आर० (1244)/98—दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस विनियम, 1959 के नियम 16 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया के परिषद् ने कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस अधिनियम, 1959 की धारा 20 की उप-धारा (1बी) के द्वारा दिए गये शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एस० एस० मदन, बी० ए०, बी० काम, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, ए–317 रंजित एवेन्यू, अमृतसर–143001 (सदस्यता सं० 3678) 6 जुलाई, 1969 से, के नाम को उनके अनुरोध के कारण सदस्य पंजिका से हटा दिया गया है ।

डी० जगन्नाथन, सचिव

सं० 16 सी० डब्ल्यू० आर० (1245—1248)/98—दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस विनियम, 1959 के नियम 16 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस के अधिनियम, 1959 की धारा 20 के उपधारा (1) (ए) के द्वारा दिये गये शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) श्री वाई० सत्यमूर्ति, बी० ए० सी०, एम० बी० ए०, एफ० एफ० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, 6, साउथ बीच एपार्ट, 23, 4वां सिवार्ड रोड, वाल्मिकी नगर, तिरुवनमियोर, चेन्नई–600041 (सदस्यता सं० 530) 23 जुलाई, 1997 से (2) मिस्टर पी० एम० एस० आर० कृष्ण शर्मा, एम० काम०, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, 206 आनन्द सागर, एपार्स, सेक्टर 17, वासी, न्यू मुम्बई–400 705 (सदस्यता सं० 1001) 4 जनवरी, 1998 से (3) श्री आर० मोजराजन, बी० ए० सी०, ए० सी० एम० ए०, एफ० आई०, सी० डब्ल्यू० ए०, केयर आफ मिस्टर बी० श्रीकान्त, "मधुवन" विवेकानन्द नगर, आफ बोसी रोड, दुर्ग–491001 (सदस्यता सं० 483) 13 अक्तूबर, 1998 से (4) श्री बलवन्त राज सिन्धी, एम० काम०, एफ० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, प्रिन्सीपल, श्री एन० पी० जैन महाविद्यालय, सरदार स्कूल कम्पास, सरदारपुर, जोधपुर–342001 (सदस्यता सं० 1948), 18 अगस्त, 1998 से

के नामों को उनके मृत्यु के कारण सदस्य पंजिका से हटा दिया गया है ।

डी० जगन्नाथन, सचिव

दिनांक 29 दिसम्बर 1998

सं० 16-सी० डब्ल्यू०-आर०(1249)/98—दी कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस विनियम, 1959 के नियम 16 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी इन्स्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस के परिषद् ने कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउटेन्टस अधिनियम, 1959 की धारा 20 की उपधारा (1) (ए) के द्वारा दिये गये शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री तुषार कान्ति मित्रा, बी० काम०, ए० सी० ए०, एफ० सी० एम० ए०, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, बी० ई० 12 सेक्टर 1, फर्स्ट फ्लोर, साल्ट लेक सिटी, कलकत्ता—700064 (सदस्यता सं० 1156) 9 जून, 1997 से, के नाम को उनके मृत्यु के कारण सदस्य पंजिका से हटा दिया गया है ।

डी० जगन्नाथन, सचिव

दिनांक 12 फरवरी 1999

सं० 16-सी० डब्ल्यू० आर० (1250-1253)/99—दी कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस विनियम, 1959 के नियम 16 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी इन्स्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस ऑफ इण्डिया के परिषद् ने दी कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस के अधिनियम 1959 की धारा 20 की उपधारा (1) (ए) के द्वारा दिये गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) श्री पी० एम० एस० आर० कृष्ण शर्मा, एम० काम०, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, 206 आनन्द सागर, सेक्टर 17, वाशी, नवी मुम्बई—400705, (सदस्यता सं० 1001) 4 जनवरी 1998 से (2) श्री उदय ए० अगाशेकर, बी० ई० (एम० ई० सी० एच०), ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, फ्लैट नं० 104 निसर्ग सुन्दर एपार्ट, गमानजय सोसायटी, कोथरुड, पुने—411029 (सदस्यता सं० 15141) 18 नवम्बर, 1998 से, (3) राम समुझ पाण्डेय, बी० ए०, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, 117/एल, 35 नवीन नगर, कानपुर—208025 (सदस्यता सं० 386) 19 दिसम्बर, 1998 से और (4) अमिताभ बन्दोपाध्याय, बी० काम०, एल० एल० बी०, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, 6 ईश्वर चौधुरी रोड, कलकत्ता—700029 (सदस्यता सं० 4714) 30 जनवरी, 1999 से, के नामों को उन लोगों के मृत्यु के कारण सदस्य पंजिका से हटा दिया गया है ।

डी जगन्नाथन, सचिव

दिनांक 15 फरवरी 1999

सं० 16-सी० डब्ल्यू० आर० (सं० 1254-1255)/99—दी कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस विनियम, 1959 के नियम 16 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी इन्स्टीट्यूट ऑफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस ऑफ इण्डिया के परिषद् ने दी कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस के अधिनियम, 1959 की धारा 20 की उपधारा (1) (ए) के द्वारा दिए गये शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) श्री सहदेव मुखर्जी, बी० काम०, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, 7 साउथ रोड, कलकत्ता—700075 (सदस्यता सं० 5436) 4 जनवरी, 1998 से (2) श्री हरि शंकर प्रसाद सिन्हा, बी० ए०, एफ० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, एम० आई० जी० बी०/105, हरमु हाउसिंग कालोनी, हरमु, रांची—834012 (सदस्यता सं० 513) 12 जनवरी, 1999 से, के नामों को उनके मृत्यु के कारण सदस्य पंजिका से हटा दिया गया है ।

डा० जगन्नाथन, सचिव

दिनांक 5 दिसम्बर 1997

सं० 18-सी० डब्ल्यू० आर० (321)/97—दि कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस रेग्यूलेशन्स, 1959 के विनियम 18 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दि इन्स्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस ऑफ इण्डिया के परिषद् ने कहे हुए अधिनियमों के विनियम 17 के द्वारा दिये गये शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सौमेन्द्र कुमार दत्त, एम० काम०, एल० एल० बी०, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, 20 ए, शंकर हलधर लेन, पो० हाटखोला, कलकत्ता—700005 (सदस्यता सं० 2222) के नाम को सदस्य पंजिका में 26 सितम्बर, 1997 से पुनः स्थापित किया है ।

डी० जगन्नाथन, सचिव

दिनांक 15 जुलाई 1998

सं० 18-सी डब्ल्यू आर (322-326)—दी कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस विनियम 1959 के नियम 18 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी इन्स्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस ऑफ इण्डिया के परिषद ने कहे हुये विनियम के नियम 17 के द्वारा दिये गये शक्तियों का प्रयोग करते हुये (1) श्री जुगल किशोर लुधरा, बी ए, ए आई सी डब्ल्यू ए, उप वित्तीय प्रबन्धक आई डी पी एल०, काम्पलेक्स, इन्डाहेडा इन्डस्ट्रीयल काम्पलेक्स, दिल्ली गुड़गांव रोड, गुड़गांव (सदस्यता सं० 4935) 1 अप्रैल 1998 से (2) राधे श्याम शर्मा, बी०ए०, बी काम, ए आई सी डब्ल्यू ए, उप प्रबन्धक (एफ० एण्ड ए) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड जीवन भारती (टावर II) कन्नॉट सर्कस, नयी दिल्ली—110001 (सदस्यता सं० 5815) 1 अप्रैल 1998 से, (3) एम० एस० सुब्रमनियम, एम० ए०, ए आई सी डब्ल्यू ए, 8 शंकर निकेतन, सैन्ट्रल एवेन्यू रोड, चेम्बूर, मुम्बई—400071 (सदस्यता सं० 3134) 18 मई, 1998 से (4) श्री पवित्र कुमार गुप्ता,

बी ए सी, एआईसीडब्ल्यूए, महा प्रबन्धक का कार्यालय लिंग राज एरिया पी ओ० देउलबेश, तालचेर—759102(सदस्यता सं० 5757) 10 जून 1998, से और (8) खादिम अली सिद्दकी, बी ए सी (आनर्स), ए आई सी डब्ल्यू ए, प्रबन्धक, (वित्तीय) सैल, 2 पेयलीप्लेस, 4वां तल्ला, कलकत्ता—700001 (सदस्यता सं० 5014) 10 जून 1998 से, के नामों को सदस्यता पंजिका में पुनः स्थापित किया है ।

डी जगन्नाथन, सचिव

कलकत्ता—दिनांक 27 नवम्बर 1998

स० 18—सी डब्ल्यू आर (327)/98:—दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस विनियम 1959 के नियम 18 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी इन्स्टीट्यूट ऑफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस ऑफ इण्डिया के परिषद ने कहे हुये विनियम के नियम 17 के द्वारा दिये गये शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री सपनकुमार साहा बी ए सी, ए आई सी डब्ल्यू ए, डिपु० फी० प्र०फ० एम० नार्दन कोल फिल्डस लिमिटेड क्वाटर नं० डी०—6, पी० ओ० काकरी प्रोजेक्ट—231220 सोनभद्र (सदस्यता स० 4397) 27 नवम्बर, 1998 से, के नाम को सदस्य पंजिका में पुनः स्थापित किया है ।

डी० जगन्नाथन, सचिव

कलकत्ता दिनांक 6 जनवरी, 1999

स 18—सी डब्ल्यू आर (328)/99:—दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस विनियम 1959 के नियम 18 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया के परिषद ने कहे हुये विनियम के नियम 17 के द्वारा दिये गये शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री पी० एस० आर० सेशैह, एम०, ए, (मैथ) ए आई सी डब्ल्यू ए, 12—13—672 नगरजूना कोलनी, स्ट्रीट न० 20 तरनाका, हैदराबाद—500017 (सदस्यता सं० 3977) 6 जनवरी, 1999 से, के नाम को सदस्य पंजिका में पुनः स्थापित किया है ।

डी जगन्नाथन, सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च, 1999

स० यू—16/53/1/94—चिक०—2 (केरल):—भारत के राजपत्र संख्या 49 के भाग—3, खण्ड—4 के पृष्ठ 3980 और 4048 पर प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 30—10—98 में आंशिक आशोधन करते हुए केरल में कोजीकोड केन्द्र के लिए मूल प्रमाण-पत्रों की यथार्थता सन्देहास्पद होने की स्थिति में बीमाकृत व्यक्तियों की चिकित्सा जांच करने तथा उन्हें और आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए मैं एतद्द्वारा डॉ० ए० के० सुधारत्तनम् को उनके कार्यग्रहण की तारीख से वर्ष तक अथवा पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूं ।

डॉ० (श्रीमती) एस० सिंह,
चिकित्सा आयुक्त

दिनांक 4 मई, 1999

संख्या : वी—33 (13)—9/98—स्था०-4—कर्मचारी राज्य बीमा साधारण विनियम 1950 के विनियम 10 के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के अनुसरण और निगम की अधिसूचना संख्या वी—33(13)—9/94—दिनांक 14-2-1995 के अतिक्रमण में अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद् द्वारा मध्य प्रदेश के लिए क्षेत्रीय बोर्ड का पुनर्गठन करते हैं । जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

1.	श्रम मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार	अध्यक्ष
2.	मंत्री, लोक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार	उपाध्यक्ष
3.	श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर	सदस्य
4.	निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं, इन्दौर	पदेन सदस्य
5.	उप चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पश्चिमोत्तर जोन, अहमदाबाद, गुजरात	सदस्य सचिव
6.	श्री के० के० एल० दास सीनियर वाईस प्रेसिडेंट ग्रासिम स्टेपल फाईबर, बिरला ग्राम नागदा, जिला उज्जैन	नियोजकों के प्रतिनिधि
7.	फैक्ट्री मैनेजर, जे० बी० मंघाराम प्रा० लि०, गौलाका मंदिर पो० आ० रेसीडेंसी ग्वालियर	नियोजकों के अतिरिक्त प्रतिनिधि
8.	श्री बी० डी० पाण्डे, वाईस प्रेसीडेंट (पर्सनल) मै० सतना सीमेन्ट वर्क्स पो० आ० बिरला विकास सतना	—वही—

9.	श्री पी० एन० खण्डेलवाल संयुक्त सचिव, उरला इंडस्ट्रीज एसो० रायपुर द्वारा वसुन्धरा सदन न्यू शांति नगर, रायपुर	नियोजकों के अतिरिक्त प्रतिनिधि
10.	श्री मांगीलाल पोरवाल, 44/26, साउथ टी० टी० नगर, भोपाल–462 003.	श्रमिकों के प्रतिनिधि
11.	श्री प्रीतम चौकसे, आ० भा० ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) 495, महात्मा गांधी मार्ग, इन्दौर ।	श्रमिकों के अतिरिक्त प्रतिनिधि
12.	श्री सुन्दर सिंह शुक्लावर, एडवोकेट एवं प्रदेशाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ कैलाशपुरी, पुराना पावर हाऊस के पास छिन्दवाड़ा	—वही—
13.	श्री तारासिंह वियोगी, सचिव इंटक 20, विकास नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	राज्य के निवासी क० रा० बी० निगम के पदेन सदस्य
14.	सचिव, मध्य प्रदेश शासन, श्रम विभाग	राज्य के निवासी, क० रा० बी० निगम के पदेन सदस्य
15.	क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इन्दौर	सदस्य सचिव

डी० सी० गुप्ता,
महानिदेशक

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मुंबई

दिनांक 23 अप्रैल, 1999

स० यू०टी०/डी०बी०डी०एम०/आर–177/एस०पी०डी०–57/98–99 भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अंतर्गत बनाए गए ओमनी यूनिट योजना 1991 के प्रावधानों में संशोधन, जिसे 22 फरवरी, 1999 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किया जाता है ।

ए० जी० जोशी
मुख्य महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास एवं विपणन

अनुबंध

(1) ओमनी यूनिट योजना 1991 के प्रावधानों में 'आय वितरण' पर खंड XVIII को इस प्रकार संशोधित किया जाता है :

किसी भी वर्ष के लिए आय समानुपातिक आधार पर अर्जित की जाएगी जो योजना में प्रविष्ट होने पर आधारित होगी । आय वितरण की गणना 365 दिन के आधार पर की जाएगी । वह दर जिस पर ट्रस्ट द्वारा आय वितरित की जाएगी, बैंक दर से दो प्रतिशत बिंदु घटा करके होगी । तथापि, 15 दिन से कम अवधि हेतु योजना में बने रहने वाले यूनिट धारकों को आय भारतीय स्टेट बैंक की बचत दर पर वितरित की जाएगी । ट्रस्ट द्वारा किसी भी वितरण योग्य आय पर ब्याज देय नहीं होगा । इस प्रावधान को निम्नलिखित पैराग्राफ के साथ जोड़ कर पढ़ा जाए ।

स० यू०टी०/डी०बी०डी०एम०/आर०–177/एस०पी०डी०–71-I/98-99—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 19 (1) (8) (सी) के अंतर्गत बनाए गए मासिक आय प्लान 95 (II), मासिक आय प्लान 95 (III) मासिक आय प्लान 96, मासिक आय प्लान 96 (II), मासिक आय प्लान 96 (III), मासिक आय प्लान 96 (IV), आस्थगित आय प्लान 95 तथा आस्थगित आय यूनिट प्लान 91 जो उक्त अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत बनाई गई क्रमशः मासिक आय योजना 95 (II), मासिक आय योजना 95 (III), मासिक आय योजना 96, मासिक आय योजना 96 (II), मासिक आय योजना 96 (III), मासिक आय योजना 96 (IV), आस्थगित आय योजना 95 तथा आस्थगित आय योजना 91 के संबंध में हैं, के प्रावधानों में संशोधन जिन्हें 24 दिसंबर, 1998 को हुई कार्यकारिणी की समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किए जाते हैं ।

ए० जी० जोशी
मुख्य महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास एवं विपणन

अनुबंध

I. मासिक आय योजना 1995 (II) और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लानों के प्रावधानों में संशोधन ।

क) 'व्ययों की सीमा' पर खंड 6 के अंतर्गत 3रे अनुच्छेद को इस प्रकार संशोधित किया जाता है :

प्रारंभिक निर्गम व्ययों के अतिरिक्त योजना पर निम्नलिखित व्यय आवर्ती आधार पर प्रभारित किए जाएंगे जो किसी भी लेखा वर्ष के दौरान औसत मासिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 3% से अधिक नहीं होंगे ।

(ख) 'व्ययों की सीमा' पर खंड 6 के अंतर्गत 4 थे अनुच्छेद को उस प्रकार संशोधित किया जाता है :

उपरोक्त व्यय अनुमानित हैं और वास्तविक रूप से किए गए व्ययों के साथ परिवर्तित किए जाने के अधीन है । फिर भी सेबी अधिनियम 1993 (म्यूचुअल फंड) के अनुसार कुल व्यय प्रारंभिक निर्गम हेतु एकत्रित निधि के 6% एवं आवर्ती व्ययों के लिए किसी भी लेखा वर्ष के दौरान मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के 3% की सीमा के भीतर होंगे । इसके अतिरिक्त प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान एवं स्टाफ कल्याण न्यास में अंशदान वित्तीय वर्ष के दौरान प्लान के मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के 1.25% से अधिक नहीं होंगे ।

(ग) 'विकास प्रारक्षित निधि (डी०आर०एफ०) में अंशदान' पर खंड 8 के अंतर्गत पहले अनुच्छेद के पहले वाक्य को इस प्रकार संशोधित किया जाता है :

प्रत्येक वर्ष मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% ट्रस्ट के डी०आर० एफ०-में अंशदान के रुप में रखा जाएगा ।

(घ) 'कर्मचारी कल्याण न्यास में अंशदान' पर खंड 9 के अंतर्गत पहले अनुच्छेद के पहले वाक्य को इस प्रकार संशोधित किया जाता है :

प्रत्येक वर्ष मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% कर्मचारी कल्याण न्यास में अंशदान के रुप में रखा जाएगा ।

II. मासिक आय योजना 1995 (III) और उसके अंतर्गत बनाए-गए प्लान के प्रावधानों में संशोधन

[क) 'व्ययों की सीमा' पर खंड 6 के अंतगत 3रे अनुच्छेद को इस प्रकार संशोधित किया जाता है :

प्रारंभिक निर्गम व्ययों के अतिरिक्त योजना पर निम्न व्यय आवर्ती आधार पर प्रभारित किए जाएंगे जो किसी भी लेखा वर्ष के दौरान औसत मासिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 3% से अधिक नहीं होंगे ।

(ख) 'व्ययों की सीमा' पर खंड 6 के अंतर्गत 4 थे अनुच्छेद को इस प्रकार संशोधित किया जाता है :

उपरोक्त व्यय अनुमानित हैं और वास्तविक रूप से किए गए व्ययों के साथ परिवर्तित किए जाने के अधीन हैं । फिर भी सेबी अधिनियम 1993 (म्यूचुअल फंड) के अनुसार कुल व्यय प्रारंभिक निर्गम हेतु एकत्रित निधि के 6% एवं आवर्ती व्ययों के लिए किसी भी लेखा वर्ष के दौरान मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के 3% की सीमा के भीतर होंगे । इसके अतिरिक्त प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान एवं स्टाफ कल्याण न्यास में अंशदान वित्तीय वर्ष के दौरान प्लान के मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के 1.25% से अधिक नहीं होंगे ।

(ग) 'विकास प्रारक्षित निधि (डी० आर० एफ०) में अंशदान' पर खंड 8 के अंतर्गत पहले अनुच्छेद के पहले वाक्य को इस प्रकार संशोधित किया जाता है :

प्रत्येक वर्ष मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% ट्रस्ट के डी० आर० एफ० में अंशदान के रूप में रखा जाएगा ।

(घ) 'कर्मचारी कल्याण न्यास में अंशदान' पर खंड 9 के अंतर्गत पहले अनुच्छेद के पहले वाक्य को इस प्रकार संशोधित किया जाता है :

प्रत्येक वर्ष मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% कर्मचारी कल्याण न्यास में अंशदान के रुप में रखा जाएगा ।

III. मासिक आय योजना 1996 और उसके अंतर्गत बने प्लान के प्रावधानों में संशोधन

क) "व्ययों की सीमाएं" के खंड 6 के अंतर्गत 3रे अनुच्छेद को निम्नानुसार संशोधित किया गया है :

आरंभिक निर्गम व्ययों के अतिरिक्त आवर्ती आधार पर योजना का निम्नलिखित व्यय होगा जो किसी भी लेखा वर्ष के दौरान औसत मासिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 3% से अधिक नहीं होगा ।

ख) "व्ययों की सीमाएं" के खंड 6 के अंतर्गत 4 थे अनुच्छेद को निम्नानुसार संशोधित किया गया है :

उपरोक्त व्यय अनुमानित है और वास्तविक रुप से किए गए व्ययों के साथ परिवर्तित किए जाने के अधीन हैं । फिर भी, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम 1993 के अनुसार कुल आरंभिक निर्गम व्ययों के रुप में कुल व्यय एकत्र निधि की 6% की सीमा के भीतर तथा आवर्ती व्यय किसी भी लेखा वर्ष के दौरान मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के 3% की सीमा के भीतर ही होगा । इसके अलावा प्रशासनिक व्यय, विकास आरक्षित निधि में अंशदान तथा कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान लेखा वर्ष के दौरान प्लान के साप्ताहिक औसत एन०.ए०.वी० के 1.25% से अधिक नहीं होगा ।

ग) "विकास प्रारक्षित निधि (डी०आर० एफ०) में अंशदान" के खंड 8 के पहले अनुच्छेद के पहले वाक्य को निम्नानुसार संशोधित किया गया है :

प्रत्येक वर्ष मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% ट्रस्ट के डी० आर० एफ० में अंशदान के रूप में रखा जाएगा ।

घ) "कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान" के खंड 9 के पहले अनुच्छेद के पहले वाक्य को निम्नानुसार संशोधित किया गया है :

प्रत्येक वर्ष मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान के रूप में रखा जाएगा ।

IV. मासिक आय योजना 1996 (II) और उसके अंतर्गत बने प्लान के प्रावधानों में संशोधन

(क) "व्ययों की सीमाएं" के खंड 6 के अंतर्गत 3रे अनुच्छेद को निम्नानुसार संशोधित किया गया है :

आरंभिक निर्गम व्ययों के अतिरिक्त आवर्ती आधार पर योजना का निम्नलिखित व्यय होगा जो किसी भी लेखा वर्ष के दौरान औसत मासिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 3% से अधिक नहीं होगा ।

(ख) "व्ययों की सीमाएं" के खंड VI के अंतर्गत दूसरे अनुच्छेद को निम्नानुसार संशोधित किया गया है :

उपरोक्त व्यय अनुमानित हैं और वास्तविक रूप से किए गए व्ययों के साथ परिवर्तित किए जाने के अधीन हैं । फिर भी, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम 1993 के अनुसार कुल आरंभिक निर्गम व्ययों के रूप में कुल व्यय एकत्र निधि की 6% की सीमा के भीतर तथा आवर्ती व्यय किसी भी लेखा वर्ष के दौरान, मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के 3% की सीमा के भीतर ही होगा । इसके अलावा प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान तथा कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान लेखा वर्ष के दौरान प्लान के साप्ताहिक औसत एन० ए० वी० के 1.25% से अधिक नहीं होगा ।

(ग) "विकास प्रारक्षित निधि (डी० आर० एफ०) में अंशदान" के खंड VIII के पहले अनुच्छेद के पहले वाक्य को निम्नानुसार संशोधित किया गया है :

प्रत्येक वर्ष मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% ट्रस्ट के डी० आर० एफ० में अंशदान के रूप में रखा जाएगा ।

(घ) "कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान" के खंड IX के पहले अनुच्छेद के पहले वाक्य को निम्नानुसार संशोधित किया गया है :

प्रत्येक वर्ष मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान के रूप में रखा जाएगा ।

V. मासिक आय योजना 1996 (III) और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान के प्रावधानों में संशोधन

(क) 'व्ययों की सीमाएं' पर खंड VI के अंतर्गत 3रे अनुच्छेद को इस प्रकार संशोधित किया जाता है :

प्रारंभिक निर्गम व्ययों के अतिरिक्त योजना पर निम्नलिखित व्यय आवर्ती आधार पर प्रभारित किए जाएंगे जो किसी भी लेखा वर्ष के दौरान औसत मासिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 3% से अधिक नहीं होंगे ।

(ख) 'व्ययों की सीमाएं' पर खंड के अंतर्गत 4थे अनुच्छेद को इस प्रकार संशोधित किया जाता है :

उपरोक्त व्यय अनुमानित हैं और वास्तविक रूप से किए गए व्ययों के साथ परिवर्तित किए जाने के अधीन हैं । फिर भी सेबी अधिनियम 1993 (म्यूचुअल फंड) के अनुसार कुल व्यय प्रारंभिक निर्गत हेतु एकत्रित निधि के 6% एवं आवर्ति व्ययों के लिए किसी भी लेखा वर्ष के दौरान मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के 3% की सीमा के भीतर होंगे । इसके अतिरिक्त प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान एवं स्टाफ कल्याण न्यास में अंशदान वित्तीय वर्ष के दौरान प्लान के मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के 1.25% से अधिक नहीं होंगे ।

(ग) 'विकास प्रारक्षित निधि (डी० आर० एफ०) में अंशदान' पर खंड VII के अंतर्गत पहले अनुच्छेद के पहले वाक्य को इस प्रकार संशोधित किया जाता है :

प्रत्येक वर्ष मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% ट्रस्ट के डी० आर० एफ० में अंशदान के रूप में रखा जाएगा ।

(घ) 'कर्मचारी कल्याण न्यास में अंशदान' पर खंड के अंतर्गत पहले अनुच्छेद के पहले वाक्य को इस प्रकार संशोधित किया जाता है :

प्रत्येक वर्ष मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% कर्मचारी कल्याण न्यास में अंशदान के रूप में रखा जाएगा ।

VI. मासिक आय योजना 1996 (IV) और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान के प्रावधानों में संशोधन

(क) 'व्ययों की सीमाएं' पर खंड VI के अंतर्गत 3रे अनुच्छेद को इस प्रकार संशोधित किया जाता है :

प्रारंभिक निर्गम व्ययों के अतिरिक्त योजना पर निम्नलिखित व्यय आवर्ति आधार पर प्रभारित किए जाएंगे जो किसी भी लेखा वर्ष के दौरान औसत मासिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 3% से अधिक नहीं होंगे ।

(ख) 'व्ययों की सीमाएं' पर खंड VI के अंतर्गत दूसरे अनुच्छेद को इस प्रकार संशोधित किया जाता है :

उपरोक्त व्यय अनुमानित हैं और वास्तविक रूप से किए गए व्ययों के साथ परिवर्तित किए जाने के अधीन हैं । फिर भी सेबी अधिनियम 1993 (म्यूचुअल फंड) के अनुसार कुल व्यय प्रारंभिक निर्गत हेतु एकत्रित निधि के 6% एवं आवर्ति व्ययों के लिए किसी भी लेखा वर्ष के दौरान मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के 3% की सीमा के भीतर होंगे । इसके अतिरिक्त प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान एवं स्टाफ कल्याण न्यास में अंशदान वित्तीय वर्ष के दौरान प्लान के मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के 1.25% से अधिक नहीं होंगे ।

(ग) 'विकास प्रारक्षित निधि (डी०आर० एफ०) में अंशदान' पर खंड VII के अंतर्गत पहले अनुच्छेद के पहले वाक्य को इस प्रकार संशोधित किया जाता है :

प्रत्येक वर्ष मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% ट्रस्ट के डी० आर० एफ० में अंशदान के रूप में रखा जाएगा ।

(घ) 'कर्मचारी कल्याण न्यास में अंशदान' पर खंड के अंतर्गत पहले अनुच्छेद के पहले वाक्य को इस प्रकार संशोधित किया जाता है :

प्रत्येक वर्ष मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% कर्मचारी कल्याण न्यास में अंशदान के रूप में रखा जाएगा ।

VII. आस्थगित आय योजना 1995 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान के प्रावधानों में संशोधन

(क) खंड VI के अंतर्गत 'खर्चों पर सीमा' में 3रा पैरा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

आरंभिक निर्गम व्ययों के अतिरिक्त आवर्ती आधार पर योजना का निम्नलिखित व्यय होगा जो किसी भी लेखा वर्ष के दौरान औसत मासिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 3% से अधिक नहीं होगा।

ख) खंड VI के अंतर्गत 'खर्चों पर सीमा' में 4था पैरा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

उपरोक्त व्यय अनुमानित हैं और वास्तविक रूप से किए गए व्ययों में परस्पर परिवर्तित किए जाने के अधीन हैं। फिर भी, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1993 के अनुसार कुल आरंभिक निर्गम व्ययों के रूप में कुल व्यय एकत्र निधि के 6% की सीमा के भीतर तथा आवर्ती व्यय किसी भी लेखा वर्ष के दौरान मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के 3% की सीमा के भीतर ही होगा। इसके अलावा, प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित निधि और कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान लेखा वर्ष के दौरान योजना के मासिक औसत एनएवी के 1.25 से अधिक नहीं होगा।

ग) खंड VIII के अंतर्गत 'विकास प्रारक्षित निधि (डीआर एफ) अंशदान' में पहले परा का पहला वाक्य निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

प्रत्यक वष मासक औसत शुद्ध आस्त मूल्य का 0.10% ट्रस्ट के डी आर एफ में अंशदान के रूप में रखा जाएगा।

घ) खंड IX के अंतर्गत 'कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान' में पहले पैरा का पहला वाक्य निम्नानुसार संशोधित किया जाता है

प्रत्येक वर्ष मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान के रूप में रखा जाएगा।

VIII. आस्थगित आय योजना 1991 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान के प्रावधानों में संशोधन

क) खंड V के अंतर्गत 'खर्चों पर सीमा' में 3रा पैरा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

आरंभिक निर्गम व्ययों के अतिरिक्त आवर्ती आधार पर प्लान का निम्नलिखित व्यय होगा जो किसी भी लेखा वर्ष के दौरान औसत मासिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 3% से अधिक नहीं होगा।

ख) खंड V के अंतर्गत 'खर्चों पर सीमा' में 4था पैरा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है

उपरोक्त व्यय अनुमानित हैं और वास्तविक रूप से किए गए व्ययों में परस्पर परिवर्तित किए जाने के अधीन हैं। फिर भी, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1993 के अनुसार कुल आरंभिक निर्गम व्ययों के रूप में कुल व्यय एकत्र निधि के 6% की सीमा के भीतर तथा आवर्ती व्यय किसी भी लेखा वर्ष के दौरान मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के 3% की सीमा के भीतर ही होगा। इसके अलावा, प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित निधि और कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान लेखा वर्ष के दौरान योजना के मासिक औसत एन०ए०वी० के 1.25% से अधिक नहीं होगा।

ग) खंड VI के अंतर्गत 'विकास प्रारक्षित निधि (डी०आर०एफ०) अंशदान' में पहले पैरा का पहला वाक्य निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

प्रत्येक वर्ष मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% ट्रस्ट के डी०आर०एफ० में अंशदान के रूप में रखा जाएगा।

घ) खंड VII के अंतर्गत 'कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान' में पहले पैरा का पहला वाक्य निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

प्रत्येक वर्ष मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान के रूप में रखा जाएगा।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मुंबई, दिनांक 23 अप्रैल 1999

स०यू०टी०/डी०बी०डी०एम०/आर-177/एस०पी०डी० 77/98-99—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अंतर्गत बनाए गए म्यूचुअल फंड (अनुषंगी) यूनिट योजना-86, पूंजी वृद्धि यूनिट योजना-92, ग्रैंड मास्टर यूनिट योजना-93 एवं मास्टरशेयर यूनिट योजना-93 के प्रावधानों में संशोधन और जिसे 28 अगस्त, 1998 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किया जाता है।

ए० जी० जोशी
मुख्य महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास एवं विपणन

मास्टरशेयर 86

अनुबंध

1) "परिभाषाओं" में खंड II की मद (ङ) को निम्नानुसार संशोधित किया जाए :

(ङ) "यूनिटों की धारिता वाले व्यक्ति या यूनिट धारक" का अर्थ है एक या अधिक व्यक्ति, निगमित निकाय, कंपनियां जिनके पास उस समय के लिए यूनिटों की धारिता है और ऐसे सभी पात्र न्यास, जिन्होंने योजना के प्रावधानों के अनुसरण में मूल आबंटिती के रूप में योजना में पहले से ही निवेश किया है और साथ-साथ वे व्यक्ति जो अपने पक्ष में यूनिट के अंतरण/हस्तांतरण के कारण यूनिट धारक बन गए, इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसके पास निक्षेपागार प्रणाली में यूनिट हैं।

2) "अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन एवं अंतरण फार्म" के खंड IX में दूसरा अनुच्छेद समाहित किया जाए :

मुख्तारनामा धारक अपने यूनिटों के मूलधारक की ओर से निक्षेपागार प्रणाली में परिचालन कर सकता है । ऐसे मामलों में मुख्तारनामा धारक व्यक्ति पर निक्षेपागार प्रणाली में प्रतिभूतियों के अंतरण को विनियमित करने वाले प्रभावी नियम/विनियम लागू होंगे ।

3) "यूनिटधारकों का रजिस्टर" से संबंधित खंड की पहली दो लाइनों को निम्नानुसार संशोधित किया जाए

निम्नलिखित प्रावधान जहां कहीं आवश्यक हो, यूनिट धारकों के पंजीकरण के संबंध में प्रभावी होंगे :—

4) निर्गम के पश्चात यूनिटों का अंतरण" के खंड XI में निम्नलिखित को मद (ङ) के रूप में शामिल किया जाए :

(ङ) निक्षेपागार प्रणाली में यूनिट धारक द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को या उसके विपरीत, यूनिटों के अंतरण के मामले में अंतरण निक्षेपागार प्रणाली में प्रतिभूतियों के अंतरण को विनियमित करने वाले प्रभावी नियमों/विनियमों के अनुरूप होगा ।

5) "यूनिटों का प्रतिदान" के खंड XIII (क) के उप खंड 2 को निम्नानुसार संशोधित किया जाए :

निक्षेपागार प्रणाली में धारित यूनिटों सहित यूनिटों का प्रतिदान या यूनिटों की पुनर्खरीद ट्रस्ट के विवेकाधिकार के अधीन होगी ।

6) "यूनिटधारकों को आय वितरण" के खंड XIV में निम्नलिखित को मद (ज) के रूप में शामिल किया जाए ।

(ज) ऐसे यूनिट धारक जिनकी यूनिटों की धारिता निक्षेपागार प्रणाली में है, उन्हें आय वितरण समय-समय पर बनाए गए नियमों/विनियमों के अनुरूप किया जाएगा ।

7) "यूनिटों का सौदा" के खंड XVII में निम्नलिखित को मद (छ) के रूप में शामिल किया जाए :

(छ) निक्षेपागार प्रणाली में यूनिट धारक द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को या उसके विपरित, यूनिटों के अंतरण के मामले में अंतरण निक्षेपागार प्रणाली में प्रतिभूतियों के अंतरण को विनियमित करने वाले प्रभावी नियमों/विनियमों के अनुरूप होगा ।

8) "योजना यूनिट धारकों पर बाध्यकारी होगी" के खंड XIX के उप खंड (क) को निम्नानुसार संशोधित किया जाए :

समय-समय पर किए गए संशोधनों सहित इस योजना की शर्तें (बशर्ते ऐसे संशोधन मूल संकल्पना को परिवर्तित नहीं करते तथा इस योजना का उद्देश्य प्राप्त होता है) निक्षेपागार प्रणाली में यूनिटों की धारिता वाले यूनिट धारकों सहित प्रत्येक यूनिट धारक तथा उसके माध्यम से अथवा उसके अंतर्गत कोई व्यक्ति जिसने/जिन्होंने स्पष्ट रूप से सहमति दी है कि यह शर्त उस पर/उन पर बाध्यकारी होंगी ।

मास्टरशेन 92

(पूंजी वृद्धि यूनिट योजना—92)

अनुबंध

(1) खंड III "परिभाषाएं" में मद (ढक) को निम्नानुसार संशोधित किया जा सकता है :

(ढक) "यूनिटधारक" का अर्थ है एक व्यक्ति जो वर्तमान में यूनिट धारण करता है, जिसमें निक्षेपागार विधि में यूनिट धारण करने वाला व्यक्ति शामिल है ।

(2) खंड 5 "यूनिटों के लिए आवेदन" के उप-खंड (6) में पैरा (ग) को निम्नानुसार संशोधित किया जा सकता है

यदि आवश्यक हो, तो यूनिट प्रमाणपत्र भेज दिया जाएगा । यदि प्रमाणपत्र भेज दिया जाता है, तो वह रजिस्टर्ड डाक द्वारा पावती के साथ अथवा पावती रहित आवेदक द्वारा दिए गए पते पर भेज दिया जाएगा; और इसी तरह भेजे गए यूनिट प्रमाणपत्र के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, गलत डीलिवरी अथवा डीलिवरी न हो जाने के लिए ट्रस्ट जिम्मेदार नहीं होगा ।

(3) खंड 8 "यूनिटों की बिक्री" में दूसरे पैरा में निम्नानुसार जोड़ा जा सकता है :

यदि यूनिटें निक्षेपागार विधि में धारण की जाती हैं, तो कोई यूनिट प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा ।

(4) खंड 10 "यूनिटों का कारोबार" में उप-खंड (छ) के रूप में निम्नानुसार जोड़ा जा सकता है :

(छ) निक्षेपागार विधि में यूनिटों के धारक द्वारा दूसरे व्यक्ति को अथवा इसके विपरित यूनिटों के अंतरण के मामले में, ऐसे लागू नियमों/विनियमों के अनुसरण में अंतरण प्रभावी होगा, जो निक्षेपागार विधि में प्रतिभूतियों के अंतरण को नियंत्रित करने वाले हों ।

(5) खंड 11 "यूनिटों की पुनर्खरीद" में मद (ङ) के रूप में निम्नानुसार जोड़ा जाएगा :

(ङ) यूनिटों की पुनर्खरीद, निक्षेपागार विधि में चाहनेवाला यूनिटों का धारक, ऐसे नियमों/दिशानिर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन करेगा, जो समय-समय पर बनाए जाएंगे ।

(6) खंड 14 "यूनिटें जारी होने के पूर्व योजना के अंतर्गत आवेदक द्वारा पूरी की जाने वाली अपेक्षाएं" में दूसरे पैरा के रूप में निम्नानुसार जोड़ा जाएगा :

बशर्तें ऐसे मामले में, निक्षेपागार विधि में यूनिटों के धारक के सम्बन्ध में, ट्रस्ट ऐसे नियमों/दिशा-निर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन करेगा, जो समय-समय पर बनाए जाएंगे ।

(7) खंड 20 में "ट्रस्ट द्वारा यूनिटों के सम्बन्ध में मान्यता नहीं दिया जाना" के सम्बन्ध में दूसरी पंक्ति में 'जो व्यक्ति यूनिट धारक के रूप में पंजीकृत है और जिसके नाम से यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया गया है' शब्दों के बाद 'जिसमें निक्षेपागारों में यूनिटें धारण करने वाला व्यक्ति शामिल है' शब्दों को जोड़ा जाना आवश्यक है जिससे ऐसा पढ़ा जा सके कि "जो व्यक्ति यूनिटधारक के रूप में पंजीकृत है और जिसके नाम से यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया गया है, जिसमें निक्षेपागार में यूनिटें धारण करने वाला व्यक्ति शामिल है ।"

(8) खंड 22 में "यूनिट धारकों की पंजी" के सम्बन्ध में पहली दो पंक्तियां निम्नानुसार संशोधित की जा सकती हैं :

जहां आवश्यक हो, यूनिटधारकों के पंजीयन के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधान किए जाएंगे :

(9) खण्ड 25 "यूनिटों का अंतरण" में उप-खंड (4) के रूप में निम्नानुसार जोड़ा जा सकता है :

(4) निक्षेपागार विधि में यूनिटों के धारक द्वारा दूसरे व्यक्ति को अथवा इसके विपरीत यूनिटों के अंतरण के मामले में, ऐसे लागू नियमों/विनियमों के अनुसरण में अंतरण प्रभावी होगा, जो निक्षेपागार विधि में प्रतिभूतियों के अंतरण को नियंत्रित करने वाले हों ।

(10) खण्ड 36 "प्रावधानों का शिथिलीकरण/परिवर्तन/संशोधन" में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाता है :

स्पष्टीकरण :

यूनिटधारकों को निक्षेपागार विधि में यूनिटों को धारण करने तथा कारोबार करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से योजना के प्रावधानों के शिथिलीकरण, परिवर्तन तथा संशोधन करने के अधिकार को भी प्रयोग में लाया जा सकता है ।

[illegible] 93

अनुबंध

1) खंड II "परिभाषाएं" में मद (यक.) को निम्नानुसार संशोधित किया जा सकता है :

(यक.) "यूनिटधारक" का अर्थ है एक व्यक्ति जो वर्तमान में यूनिटें धारण करता है, जिसमें निक्षेपागार विधि में यूनिटें धारण करने वाला व्यक्ति शामिल है ।

(2) खंड VI "यूनिटों की बिक्री" में उप-खंड 'क' रूप में निम्नलिखित पैरा जोड़ा जा सकता है :

यदि आवश्यक हो, तो यूनिट प्रमाणपत्र भेज दिया जाएगा । यदि प्रमाणपत्र भेज दिया जाता है, तो वह रजिस्टर्ड डाक द्वारा पावती के साथ अथवा पावती रहित आवेदक द्वारा दिए गए पते पर भेज दिया जाएगा और इसी तरह भेजे गए यूनिट प्रमाणपत्र के खो जाने, अविलम्ब हो जाने, गलत डीलिवरी न हो जाने के लिए ट्रस्ट जिम्मेदार नहीं होगा ।

(3) खंड X "यूनिट धारकों की पंजी" के सम्बन्ध में पहली दो पंक्तियां निम्नानुसार संशोधित की जा सकती हैं :

जहां आवश्यक हो, यूनिटधारकों के पंजीयन के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधान किए जाएंगे :

(4) खंड XI "निर्गम के बाद यूनिटों का अंतरण" में मद (ड) के रूप में निम्नानुसार जोड़ा जा सकता है :

(4) निक्षेपागार विधि में यूनिटों के धारक द्वारा दूसरे व्यक्ति को अथवा इसके विपरीत यूनिटों के अंतरण के मामले में, ऐसे लागू नियमों/विनियमों के अनुसरण में अंतरण प्रभावी होगा, जो निक्षेपागार विधि में प्रतिभूतियों के अंतरण को नियंत्रित करने वाले हों ।

(5) खंड XV "यूनिटों की पुनर्खरीद" में मद (ङ) के रूप में निम्नानुसार जोड़ा जाएगा :

(ङ) यूनिटों की पुनर्खरीद, निक्षेपागार विधि में चाहने वाला यूनिटों का धारक, ऐसे नियमों/दिशानिर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन करेगा, जो समय-समय पर बनाए जाएंगे ।

(6) खंड XVIII "यूनिटें जारी होने के पूर्व योजना के अंतर्गत आवेदक द्वारा पूरी की जाने वाली अपेक्षाएं" में दूसरे पैरा के रूप में निम्नानुसार जोड़ा जाएगा :

बशर्ते ऐसे मामले में, निक्षेपागार विधि में यूनिटों के धारक के संबंध में, ट्रस्ट ऐसे नियमों/दिशानिर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन करेगा, जो समय-समय पर बनाए जाएंगे ।

(7) खण्ड XXI "यूनिटधारकों को आय का वितरण" में मद (ज) के रूप में निम्नलिखित पंक्ति को जोड़ा जाता है :

(ज) निक्षेपागार विधि में यूनिटें धारित करने वाले यूनिटधारकों को आय वितरण समय-समय पर निर्धारित नियमों/विनियमों के अनुसार किया जाएगा ।

(8) खंड XXIV "यूनिटों का कारोबार" में उप-खंड (च) के रूप में निम्नानुसार जोड़ा जा सकता है :

(छ) निक्षेपागार विधि में यूनिटों के धारक द्वारा दूसरे व्यक्ति को अथवा इसके विपरित यूनिटों के अंतरण के मामले में, ऐसे लागू नियमों/विनियमों के अनुसरण में अंतरण प्रभावी होगा, जो निक्षेपागार विधि में प्रतिभूतियों के अंतरण को नियंत्रित करने वाले हो ।

(9) खण्ड XXVI "यूनिट प्रमाणपत्र का स्वरूप" में निम्नानुसार दूसरा पैरा जोड़ा जा सकता है :

यदि यूनिटें निक्षेपागार विधि के धारित हैं, तो कोई यूनिट प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा ।

(10) खंड XXVIII में "ट्रस्ट द्वारा यूनिटों के संबंध में मान्यता नहीं दिया जाना" के संबंध में दूसरी पंक्ति में 'जो व्यक्ति यूनिट धारक के रूप में पंजीकृत है और जिसके नाम से यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया गया है' शब्दों के बाद 'जिसमें निक्षेपागारों में यूनिटें धारण करने वाला व्यक्ति शामिल है, शब्दों को जोड़ा जाना आवश्यक है जिससे ऐसा पढ़ा जा सके कि "जो व्यक्ति यूनिटधारक के रूप में पंजीकृत है और जिसके नाम से यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया गया है, जिसमें निक्षेपागार में यूनिटें धारण करने वाला व्यक्ति शामिल है ।"

(11) खण्ड XXXVI में 'प्रावधानों का शिथिलीकरण/परिवर्तन/संशोधन' में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाता है :

स्पष्टीकरण :

यूनिटधारकों को निक्षेपागार विधि में यूनिटों को धारण करने तथा कारोबार करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से योजना के प्रावधानों के शिथिलीकरण, परिवर्तन तथा संशोधन करने के अधिकार को भी प्रयोग में लाया जा सकता है ।

मास्टरशेयर यूनिट योजना 1993

अनुबंध

(1) खंड II "परिभाषाएं" की मद (ट) को निम्नानुसार संशोधित किया जाए :

(ट) "यूनिटों की धारिता वाला व्यक्ति या यूनिट धारक" का अर्थ है वह व्यक्ति, जो तत्समय यूनिटों का धारक है इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो निक्षेपागार प्रणाली में यूनिटों का धारक है ।

(2) खंड VIII "अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन एवं अंतरण फार्म" में दूसरा पैरा निम्नानुसार शामिल किया जाए :

मुख्तारनामा धारक अपने यूनिटों के मूलधारक की ओर से निक्षेपागार प्रणाली में परिचालन कर सकता है । ऐसे मामले में मुख्तारनामा धारक व्यक्ति पर निक्षेपागार प्रणाली में प्रतिभूतियों के अंतरण को विनियमित करने वाले प्रभावी नियम/विनियम लागू होंगे ।

(3) "यूनिट धारकों का रजिस्टर" से सम्बन्धित खंड IX कि पहली दो लाइनों को निम्नानुसार संशोधित किया जाए ।

निम्नलिखित प्रावधान जहां कहीं आवश्यक हो, यूनिट-धारकों के पंजीकरण के सम्बन्ध में प्रभावी होंगे :—

(4) खंड X "निर्गम के पश्चात यूनिटों का अंतरण" में निम्नलिखित को मद (ड) के रूप में शामिल किया जाए :

(ड) निक्षेपागार प्रणाली में यूनिट धारक द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को या उसके विपरित, यूनिटों के अंतरण के मामले में अंतरण निक्षेपागार प्रणाली में प्रतिभूतियों के अंतरण को विनियमित करने वाले प्रभावी नियमों/विनियम के अनुरूप होगा ।

(5) खंड XIV "यूनिटों का प्रतिदान" के उप खंड 2 में दूसरा पैरा निम्नानुसार शामिल किया जाए :

यहां तक की 7 वर्षों की अवधि के पूर्व भी असाधारण परिस्थितियों में, ट्रस्ट को, निक्षेपागार प्रणाली में धारित यूनिटों सहित यूनिटों का प्रतिदान या यूनिटों की पुनर्खरीद करने का अधिकार होगा जो इस सम्बन्ध में निश्चित किए गए निबंधन एवं शर्तों के अनुसार होगा ।

(6) खंड XV "यूनिटधारकों को आय वितरण" में निम्नलिखित को मद (अ) के रूप में शामिल किया जाए :

(अ) ऐसे यूनिटधारक जिनकी यूनिटों की धारिता निक्षेपागार प्रणाली में है, उन्हें आय वितरण समय-समय पर बनाए गए नियमों/विनियमों के अनुरूप किया जाएगा ।

(7) खण्ड XVIII "यूनिटों का कारोबार" में निम्नलिखित को मद (च) के रूप में शामिल किया जाए :

(च) निक्षेपागार प्रणाली में यूनिटों के धारक द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को या इसके विपरित, यूनिटों के अंतरण के मामले में अंतरण, निक्षेपागार प्रणाली में प्रतिभूतियों के अंतरण को नियंत्रित करने वाले प्रभावी नियमों/विनियमों के अनुरूप होगा ।

(8) खंड XX "यूनिट प्रमाणपत्र का स्वरूप" में निम्नानुसार दूसरा पैरा शामिल किया जाए :

यदि यूनिट निक्षेपागार प्रणाली में धारित हैं, तो कोई यूनिट प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा ।

(9) खंड XXI[I] में "ट्रस्ट द्वारा यूनिटों के सम्बन्ध में मान्यता नहीं दिया जाना' के सम्बन्ध में दूसरी पंक्ति में 'जो व्यक्ति यूनिट धारक के रूप में पंजीकृत है और जिसके नाम से यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया गया है शब्दों" के बाद 'जिसमें निक्षेपागारों में यूनिटें धारण करने वाला व्यक्ति शामिल है' शब्दों को जोड़ा जाना आवश्यक है जिससे ऐसा पढ़ा जा सके कि "जो व्यक्ति यूनिटधारक के रूप में पंजीकृत है और जिसके नाम से यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया गया है, जिसमें निक्षेपागार प्रणाली में यूनिटें धारण करनेवाला व्यक्ति शामिल है।"

(10) खंड XXIV" योजना यूनिट धारकों पर बाध्यकारी होगी" के उप खंड (क) को निम्नानुसार संशोधित किया जाए :

समय-समय पर किए गए संशोधनों सहित इस योजना की शर्तें (बशर्ते ऐसे संशोधन इस योजना की मूल शर्तों तथा उद्देश्य जिसे योजना प्राप्त करना चाहती है, को परिवर्तित नहीं करें) निक्षेपागार प्रणाली में यूनिटों की धारिता वाले यूनिट धारकों सहित प्रत्येक यूनिट धारक तथा उसके माध्यम से अथवा उसके अंतर्गत कोई व्यक्ति पर ऐसे बाध्यकारी होंगी जैसे उसने/उन्होंने स्पष्ट रूप से सहमति दी हो कि ये शर्तें उस पर/उन पर बाध्यकारी होंगी।

(11) खण्ड XXVIII 'प्रावधानों का शिथिलीकरण/परिवर्तन/संशोधन' में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाए:

स्पष्टीकरण :

यूनिटधारकों को निक्षेपागार प्रणाली में यूनिटों को धारण करने तथा कारोबार करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से योजना के प्रावधानों के शिथिलीकरण, परिवर्तन तथा संशोधन करने के अधिकार को भी प्रयोग में लाया जा सकता है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मुंबई, दिनांक 23 अप्रैल 1999

यूटी/डीबीडीएम/आर/77/एपीडी/102/98/99—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 19(i) (8) (ग) के अन्तर्गत बनाया गया यूटीआई बांड फंड, जो उपरोक्त अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत बनाई गई यूनिट योजना-यूटीआई- बांड फंड योजना के सम्बन्ध में है, के प्रावधानों में किए गए संशोधन, जिन्हें 25 नवम्बर, 1998 को संपन्न कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किए जाते है।

ए० जी० जोशी, मुख्य महाप्रबन्धक,
व्यवसाय विकास एवं विपणन

परिशिष्ट

1. 'निवेश की न्यूनतम राशि' से संबद्ध खंड IV की पहली पंक्ति में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है : आवेदन न्यूनतम रु० 5000/- के लिए किया जाए।

2. 'भुगतान की विधि' में संबद्ध खंड VII के उपखंड IV के अन्तर्गत 2(क) की मद सं० (ब) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :

(ब) आरंभिक निवेश रु० 5000/- के न्यूनतम निवेश से कम है।

3. 'यूनिटों की पुनर्खरीद' से संबद्ध खंड IX के उपखंड (2) के मद सं० (i) के अन्तर्गत तीसरे अनुच्छेद की आखिरी पंक्ति में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :

आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति दी जाएगी बशर्ते इस प्रकार की गई किसी भी पुनर्खरीद से सदस्य की धारिता रु० 5000/-- से कम न हो जाए।

4. 'यूनिटों की पुनखरीद' से संबद्ध खंड IX की मद सं० (9) के अन्तर्गत दूसरे अनुच्छेद की आखिरी पंक्ति में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :

यदि शेष रु० 5000/- (लागू एनएवी के आधार पर) से कम हो जाता है, इस संदर्भ में सदस्य को लिखित सूचना देने के 30 दिनों के बाद फंड निवेशक का फोलियो बन्द कर सकता है।

RESERVE BANK OF INDIA

(CENTRAL OFFICE)

DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS AND DEVELOPMENT

Mumbai-400005, the 20th April 1999

DBOD NO. B. C. 30/12-01-001/98-99—In exercise of the powers conferred by Proviso to Sub-section (1) of Section 42 of the RBI Act, 1934(2 of 1934) and in supersession of its Notification No. DBOD. BC. 16/12-01-001/98-99 dated March 1, 1999 the Reserve Bank of India hereby specifies that the average Cash Reserve Ratio (CRR) required to be maintanined by Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) shall be 10.00 percent with effect from the fortnight beginning May 8, 1999.

KHIZER AHMED
Executive Director

DEPARTMENT OF GOVERNMENT AND BANK ACCOUNTS

(CENTRAL DEBT DIVISION)

Mumbai, the 19th April 1999

In pursuance of Rule 18 of the Rule made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of 20th April 1946 (as amended under the Notification No. F(8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in extra ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990) the following list for the month ended March 1999 is hereby advertised of securities lost etc. In respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just. All persons other than the respective claimants named below who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chelf General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai.

The list has been divided into two parts List "A" being securities now advertised for the first time and List "B" the list of securities previously advertised.

LIST "A"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing Interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6

—NIL—

LIST "B"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant (s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
		Gold Bonds 1998 (Mumbai Circle)			
BY/000738	499 gms.	1. Gandhi Rajesh Mukundlal & 2. Gandhi Bella Rajesh	03-05/1993 (Payable on maturity)	1. Gandhi Rajesh Mukundlal & 2. Gandhi Bella Rajesh	Case No. 20-04--2079 General Manager's Orders dated 29-1-1999 C. O. Diary No. 657, dt. 30-1-1999

1	2	3	4	5	6
		10% Relief Bonds, 1995 (Non-cumulative) (Nagpur Circle)			
NG-000058	Rs. 1,00,000/-	C.V.P. Pillai and Prashant Pillai	16-1-1998	C.V.P. Pillai and Prashant Pillai	CO-263 A, dated 5-1-1999
		9% Relief Bonds, 1993 (Byculla Circle)			
BC-01322 to BC 01332	Rs. 1,00,000/- each	Jayanti Natwar Parekh Natwar Mulchand Parekh (deceased)	8-11-1994	Jaynnti Natwar Parekh	06-25.22 dt. 3-2-1999
BC-01557 to BC 01569	Rs. 1,00,000/- each	Do.	28-12-1994	Do.	Do.
BC-01570 to BC 01573	Rs. 1,00,000/- each	Natwar Mulchand Parekh (deceased) Jayanthi Natwar Parekh	Do.	Do.	Do.
		3% Conversion Loan 1946 (Calcutta Circle)			
CA-062572	Rs. 5,000/-	Imperial Bank of India	Interest paid ubto 19th half year ending 15-3-1956	Sitaram Lohia	File No. 1-2519 General Manager's Order dt. 1-2-99 vide Dy. No. LCO-103/98-99 dated 1-2-99
CA-382479	Rs. 5,000/-	Hari Singh	No interest paid	Hari Singh	File No. 1-2428 General Manager's Order dated 1-2-99 vide Dy. No. LCO-104/98-99 dated 1-2-99
CA-382480	Rs. 3,000/-	Do.	Interest paid upto 71st half year ending 15-3-1982	Do.	

Smt N. A. AHALEY
P. Chief General Manager

BANK OF INDIA

(HEAD OFFICE)

Mumbai-400021, the 9th April 1999

No. P: IR: SAH:031—In exercise of the powers conferred by Section 19 read with Sub-Section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations, namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :

(1) These Regulations may be called Bank of India (Officers') Service (Amendment) Regulations, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bank of India (Officers') Service Regulations 1979, for Regulation 38, the following regulation shall be substituted, namely :—

"38 Save as provided below, all leave to the credit of an Officer shall lapse on resignation, retirement, death, discharge, dismissal or termination;

Provided that where an Officer retired from the Bank's service, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments of any period, not exceeding 240 days, of privilege leave that he had accumulated;

Provided further that where an Officer dies while in service, there shall be payable to his legal representatives, a sum equivalent to the emoluments for the period not exceeding 240 days of privilege leave to his credit as on the date of his death.

Foot Note : Amendments are carried out in the above Regulations for first time after its adoption.

Sd./-
(A. P. PHADNIS),
Dy. Gen. Manager
(Personnel)

BANK OF BARODA

GENERAL REGULATIONS, 1998

CENTRAL OFFICE :
3, Walchand Hirachand Marg,
Ballard Pier,
Mumbai-400 001.

HEAD OFFICE :
Baroda House
Mandvi
Baroda-390 006.

The 22nd April 1999

CO/LEG/MTU/91/410—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the

Banking Companies (Acquisition & Tranfer of Undertakings) Act, 1970 the Board of Directors of BANK OF BARODA, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations namely :

CHAPTER-I

INTRODUCTORY

1. Short title and commencement:

(i) These regulations may be called Bank of Baroda General Regulations, 1998.

(ii) These regulations shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions :—

In these regulations, unless there is anything repugnant to the subject or context or meaning thereof—

(a) "Act" means the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970):

(b) "Bank" menas BANK OF BARODA, a body corporate constituted under the Act;

(c) "Board" means the Board of Directors consituted under Section 9 of the Act;

(d) "Chairman" means the Chairman of the Board,

(e) "Committee means a Committee as constituted by the Board;

(f) "Executive Director" means the wholetime Director, not being the Managing Director;

(g) "General Manager" means General Manager of the Bank;

(h) "Management Committee" means a Committee constituted under Clause 13 of the Scheme;

(i) "Managing Director" means Managing Director of the Bank!

(j) "Register" means the register of Shareholders kept in one or more books of the Bank and includes the register of Shareholders kept in Computer flopies or diskettes under Sub-Sec. (2G) of Sec. 3 of the Act;

(k) "Registrar" means the person appointed by the Bank for :—

(i) collecting applications from investors in respect of an issue;

(ii) keeping a proper record of applications and monies received from investors or paid to the sellers of the securities,; and

(iii) assisting the Bank in—

(a) determining the basis of allotment of securities in cosultation with the stock exchange;

(b) finalising the list of persons entitled to allotment of securities;

(c) processing and despatching allotment letters, re-fund orders or certificates and other related documents in respect of the issue; and

(iv) such other function as assigned from time to time by the Bank.

(l) "Scheme" means the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970;

(m) "Share" means share in the Share Capital of the Bank;

(n) "Share transfer agent" includes—

(i) any person, who on behalf of the Bank maintains the records of holders of securities issued by the Bank and deals with all matters connected with the transfer and redemption of its securities; or

(ii) a department or division (by whatever name called) of the Bank performing the activities referred in sub-clause (i).

(o) Words and expressions used in Chapter III and not defined in these Regulations but defined in the Depositories Act, 1996 (Act 22 of 1996) shall have the meaning respectively assigned to them in the said Act.

(p) Other expressions used and not defined in these regulations but used in the Act or the Scheme shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the Scheme.

CHAPTER II

SHARES AND SHARE REGISTER

3. Nature of shares ;

The shares of the Bank shall be movable property, transferable in the manner provided under those regulations.

4. Kinds of share capital :

(i) Preference Share Capital means that part of share capital of the Bank which fulfills both the following conditions:

(A) as respects dividends, it carries a preferential right to be paid a fixed amount or an amount calculated at fixed rate, which may be either free of or subject to income tax, and

(B) as respect capital, it carries or will carry, on winding up to repayment of capital, a preferential right to be repaid the amount of the capital paid-up or deemed to have been paid-up, whether or not there is preferential right to the payment of either or both of the following amounts, namely:—

(a) any money remaining unpaid, in respect of the amounts specified in clause (A), upto the date of winding up or repayment of capital, and

(b) any fixed premium or premium on any fixed scale, specified by the Board with the previous consent of the Central Government.

(ii) "Equity Share Capital" means all share capital, which is not preference share capital.

(iii) The expressions "Preference Share" and "Equity Share" shall be construed accordingly.

5. Particulars to be entered in the register

(i) A share register shall be kept, maintained and updated in accordance with sub-section 2(F) of section 3 of the Act.

(ii) In addition to the particulars specified in sub-section 2(F) of Section 3 of the Act, such other particulars as the Boardmay specify shall be entered in the register.

(iii) In the case of joint holders of any share, their names and other particulars required by sub-regulation (i) shall be grouped under the name of the first of such joint holders.

(iv) Subject to the Proviso of sub-section 2(D) of Sec. 3 of the Act, a shareholder resident outside India may furnish to the Bank an address in India, and any such address shall be entered in the register and be deemed to be his registered address for the purposes of the Act and these regulations.

(v) No Notice of any trust, express, implied or constructive, shall be entered on the register or be receivable by the Bank.

6. Control over shares and registers

Subject to the provisions of the Act and these regulations, and such directions as the Board may issue from time to time, the register shall be kept and maintained at the Head office of the Bank and be under the control of the Board and the decision of the Board as to whether or not a person is entitled to be registered as a shareholder in respect of any share shall be final.

7. Parties who may not be registered as shareholders

(i) Except as otherwise provided by these regulations, all persons who are not competent to contract shall not be entitled to be registered as a shareholder and the decision of the Board in this regard shall be conclusive and final.

(ii) In case of firms, shares may be registered in the names of the individual partners and no firm, as such, shall be entitled to be registered as a shareholder.

8. Maintenance of share register in computer system, etc.

(i) The particulars required to be entered in the shareregister under sub-section, 2(F) of section 3 of the Act, read with those mentioned in regulations shall be maintained under sub-section 2(G) of section 3 of the Act, in the form of data stored in magnetic/optical/magneto-optical media by way of diskettes, floppies' cartridges or otherwise (hereinafter referred to as the "media") in computers to be maintained at the Head Office and the back up at such location as may be decided from time to time by the Chairman and Managing Director or any other official not below the rank of a General Manager designated in this behalf by the Chairman and Managing Director (hereinafter referred to as, "the designated official.)"

(ii) Particulars required to be entered in the share register under Sec. 3 (B) of the Act read with Section 11 of the Depositories Act, 1996 shall be maintained in the electronic form in the manner and in the form as prescribed therein.

9. Safeguards for protection of computer system

(i) The access to the system set out in Regulation 8(i) in which data is stored shall be restricted to such persons including Registrars to an issue and/or share transfer agents as may be authorised in this behalf by the Chairman and Managing Director or the designated official and the passwords if any and the electronic security control systems shall be kept confidential under the custody of the said persons.

(ii) The access by the authorised persons shall be recorded in logs by the computer system and such logs shall be preserved with the officials/persons designated in this behalf by the Chairman and Managing Director or the designated official.

(iii) Copies of the back-ups shall be taken on removable media at intervals as may be specified from time to time by the Chairman and Managing Director or the designated official, incorporating the changes made in the register of shareholders. At least one of these copies shall be stored in a location other than the premises in which processing is being done This copy shall be stored in a fire-proof environment with locking arrangement and at the requisite temperature. The access to the back-ups in both the locations shall be restricted to persons authorised in this behalf by the Chairman and Managing Director or the designated official. The persons so authorised shall record the access in a manual register kept at the location.

(iv) It shall be the duty of the authorised persons to compare the data on the back-ups with that on the computer system by using appropriate software to ensure correctness of the back-up. The result of this operation shall be recorded in the register maintained for the purpose.

(v) It shall be competent for the Chairman and Managing Director, by special or general order, to add or modify the instructions, stipulations in regard to the safeguards to be observed in maintaining the register of the shareholders in the computer system with due regard to the advancement of technology, and/or in the exigencies of situation or for any other relevant consideration.

10. Exercise of rights of joint holders

If any share stands in the names of two or more person the person first named in th register shall, as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with the Bank except the transfer of shares, be deemed to be the sole holder thereof.

11. Inspection of register

(i) The register shall, except when closed under Regulation 12, be pen to inspection of any shareholder, free of charge, at the place where it is maintained during business hours subject to such reasonable restrictions as the Board may impose, but so that not less than two hours in each working day shall be allowed for inspection.

(ii) Any shareholder may make extracts of any entry in the register or computer prints free of charge or if he requires copy or computer prints of the register or of any part thereof, the same will be supplied to

him on pre-payment at the rate of Rs 5/- for every 100 words or fractinal part thereof required to be copied.

(iii) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (ii), any duly authroised officer of the Government shall have the right to make a copy of any entry in the register or be furnished a copy of the register or any part thereof.

12. Closing of the register

The Bank may, after giving not less than seven days previous notice by advertisement in at east two newspapers circulating in India, close the register of shareholders for any period or periods not exceeding in the aggregate forty-five days in each year, but not exeeeding thirty days at any one time as shall, in its opinion, be necessary.

13. Share Certificates

(i) Each share certificate shall bear share certificate number, a distinctive number, the number of shares in respect of which it is issued and the name the shareholder to whom it is issued and it shall be in such form as may be specified by the Board.

(ii) Every share certificate shall be issued under the common seal of the Bank in pursuance of a resolution of the Board and shall be signed by two directors and some other officer appointed by the Board for the purpose .

Provided that the signature of the directors may be printed, engraved, lithographed or impressed by such other mechanical process as the Board may direct.

(iii) A signature so printed, engraved, lithographed or otherwise impressed shall be as valid as a signature in the proper handwritting of the signatory himself.

(iv) No share certificate shall be valid unless and until it is so signed. Share certificates so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signauture appears thereonmay have ceased to be a person authorised to sign share certificates on behalf of the Bank.

(v) Should the share certificate so prepared contain the signature of an authorised person, as stated in subclause (ii) above, who however is dead at the time of issue of the certificate, the Bank may, by a method considered by it as most suitable, cancel the signatue of such a person appearing on the certificate and have the signature of any other authorised person affixed to it. The share certificate so issued shall be valid.

14. Issue of share certificates

(i) While issuing share certificates to any shareholder it shall be competent for the Board to issue the certificates on the basis of one certificate for every hundred shares or multiples thereof registered in his name on any one occasion and one additional share certificate for the number of shares in excess thereof but which are less than hundred.

(ii) If the number of shares to be registered is less than hundred, one certificate shall be issued for all the shares.

(iii) In respect of any share or shares held jointly by several persons, the Bank shall not be bound to issue more than one certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint hol-ders shall be sufficient delivery to all such holders.

15. Renewal of share certificates

(i) If any share certificate is worn out or defaced, the Board or Committee designated by it on production of such certificate may order the same to be cancelled and have a new certificate issued in lieu thereof.

(ii) If any share certificate is alleged to be lost or destroyed, the Board or the Committee designated by it on such indemnity with or without surety as the Board or the Committee thinks fit, and on publication in two newspapers and on payment to the Bank of its costs, charges and expenses, a duplicate certificate in lieu thereof may be given to the person entitled to such lost or destroyed certificate.

16. Consolidation and sub-division of shares

On a written application made by the shareholder(s), the Board or the Committee designated by it may consolidate or sub-divide the shares submitted to it for consolidation/sub-division as the case may be and issue a new certificate(s) in lieu thereof on payment to the Bank of its costs, charges and expenses of an incidental to the matter.

17. Transfer of shares

(i) Every transfer of the shares of the Bank shall be by an instrument of transfer in form 'A' annexed hereto or in such other form as may be approved by the Bank from time to time and shall be duly stamped, dated and executed by or on behalf of the transferor and the transferee alongwith the relative share certificate.

(ii) The instrument of transfer alongwith the share certificate shall be submitted to the Bank at its Head Office and the transferor shall be deemed to remain the holderof such shares until the name of the transferee is entered in the share registhr in respect thereof.

(iii) Upon receipt by the Bank of an instrument of trnasfer alongwith a share certificate with a request to register the transfer, the Board or the committee designated by the Board shall forward the said instrument of transfer alongwith share certificate to the Register and/or Share Transfer Agent forthe purposes of verification that the technical requirements are complied with in their entirety. The Registrar/and or Share Transfer Agent shall return the instrument of transfer alongwith the share certificate if any to the transferee for resubmission unless :

(a) The instrument of transfer is presented to the Bank, duly stamped and properly executed for registration and is accompanied by the certificate of the shares to which it relates and such other evidence as the Board may require to show the title of the transferor to make such transfer.

(b) The Registrar is satisfied that the transferee is qualified to be registered as a shareholder of the Bank in respect of the shares covered by the instrument of transfer.

(iv) The Board or the Committee designateed by the Board shall unless it declines to register the transfer under

Regulation No. 19 hereinafter cause the transfer to be registered.

18. Power to suspend transfers

The Board or the committee designated by the Board shall not register any transfer during any period in which the register is closed.

19. Board's right to refuse registration of transfer of shares

(i) The Board may refuse transer of any shares in the name of the transferee on any one or more of the following grounds, and on no other ground;

(a) the transfer of Shares is in contravention of the provisions of the Act or regulations made thereunder or any other law or that any other requirement under the law relating to registration of such transfer has not been complied with;

(b) the transfer of shares, in the opinion of the Board, is prejudicial to the interests of the Bank or to public interest;

(c) the transfer of shares is prohibited by an order of court, Tribunal or any other authority under any law for the time being in force.

(d) an individual or company resident outside India or any company incorporated under any law not in force in India or any branch of such company whether resident outside India or not will on the transfer being allowed hold or acqire as a result thereof, shares of the Bank and such investment in the aggregate will exceed the percentage being more than 20% (twenty) of the paidup capital or as may be specified by the Central Government by notification in the Official Gazette.

Provided however, that the powers of refusal mentioned in sub-regulation (i) (c) above may be exercised by the Committee designated by the Board in this behalf.

(ii) The Board shall, after the instrumentof transfer of shares of the [Bank is lodged with it for the purpose of registration of such transfer form its opinion as to whether such, registration oughtor ought not to be refused on any of the grounds referred to in sub-regulation (i) —

(a) If it has formed the opinion that such registration ought not to be so refused, effect such registration; and

(b) If it has formed the opinion that such registration ought to be refused on any of the grounds mentioned in sub-regulation (i), intimate the transferor and the transferee by notice in writing within 60 days from the receipt of the Transfer Form.

20. Transmission of shares in the event of death, insolvency, etc.

(i) The executors or administrators of a deceased shareholders in respect of a share, or the holder of letterof probate or letters of administration with or without the will annexed or a succession certificate issued under Part X of the Indian Succession Act, 1925, or the holder of any legal representation or a person in whose favour a valid instrument of transfer was executed by the deceased sole holder during the latter's lifetime shall be the only person who may be recognised by the Bank as having any title to such share.

(ii) In the case of shares registered in the name of two or more shareholders, the survivor or survivors and on the death of the last survivor, his executors or administrators or any person who is the holder of letters of probate or letters of administration with or without will annexed or a succession certificate or any other legal representation in respect of such survivor's interest in the share or a person in whose favour a valid instrument of transferof share was executed by such person and such last survivor during the latter's lifetime, shall be the only person who may be recognised by the Bank [as having any title to such share.

(iii) the Bank shall not be bound to recognise such executors or administrators unless they shall have obtained probate or letters of administration or succession certificate as the case may be, from a court of competent jurisdiction.

Provided, however, that in a case where the Board in its discretion thinks fit, it shall be lawfull for the Board to dispense with the production of probate or letters of administration or succession certificate or such other legal representation, upon such terms as to indemnity or otherwise as it may think fit.

(iv) Any such person becoming entitled to a share in consequence of death of a shareholder and any person becoming entitled to a share in consequence of the insolvency, bankruptcy or liquidation of a shareholder shall upon production of such evidence, as the Board may require, have the right—

(a) to be registered as a shareholder in respect of such share.

(b) to make such transfer of such share as the person from whom he derives title could have made.

21. Shareholder ceasing to be qualified for registration

It shall be the duty of any person registered as a shareholder, whether solely or jointly with another or others forthwith upon ceasing to be qualified to be so registered in respect of any share to give intimation thereof to the Board in this regard.

22. Calls on Shares

The Board may, from time to time, make such calls as it thinks fit upon the shareholder in respect of all moneys remaining unpaid on the shares held by them, which are by the conditions of allotment not made payable at fixed times, and each shareholders shall pay the amount of every call so made on him to the person and at the time and place appointed by the Board. A call may be payable by instalments.

23. Calls to date from resolution

A call shall be deemed to have been, made at the time when the resolution of the Board authorising such call was passed and may be made payable by the shareholders on the register on such date or at the discretion of the Board on such subsequent date as may be fixed by the Board.

24. Notice of Call

A notice of not less than thirty days of every call shall be given specifying the time of payment provided that before the time for payment of such call the Board may be notice in writing to the shareholders revoke the same.

25. Extension of time for payment of call

The Board may, from time to time and at its discretion, extend the time fixed for the payment of any call to all or any of the shareholders having regard to distance of their residence or some other sufficient cause, but no shareholder shall be entitled to such extension as a matter of right.

26. Liabilities of joint holders

The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.

27. Amount payable at fixed time or by instalments as calls

If by the terms of issue of any share or otherwise any amount is payable at any fixed time or by instalments at fix times, every such amount or instalment shall be payable as if it were a call duly made by the Board and of which due notice had been given and all the provisions herein contained in respect of the calls shall relate to such amount or instalment accordingly.

28. When interest on call or instalment payable

If the sum payable in respect of any call or instalment is not paid on or before the day appointed for payment there of the holder for the time being or allottee of the share in respect of which a call shall have been made, or the instalment shall be due, shall pay interest on such sum at such rate as the Board may fix from time to time, from the day appointed for the payment thereof to the time of actual payment, but the Board may at its discreation waive payment of such interest wholly or in part.

29. Non-payment of calls by shareholder

No shareholders shall be entitled to receive any divided or to excercise any right of a shareholder until he shall have paid all calls for the time being due and payable on every share held by him, whether singly or jointly with any person together with interest and expenses, as may be levied or charged.

30. Notice on non-payment of call or instalment

If any shareholder fails to pay the whole or any part of any call or instalment or any money due in respect of any shares either by way of principal or interest on or before the day appointed for the payment of the same, the Bank may at any time thereafter during such time as the call or instalment or any part thereof or other moneys remain unpaid or a judgement or decree in respect thereof remains unsatisfied in whole or in part, serve a notice on such shareholder or on the person (if any) entitled to the share by transmission, requiring him to pay such call or instalment or such part thereof or other moneys as remain unpaid together with any interest that may have accrued and all expenses (legal or otherwise) that may have been paid or incurred by the Bank by reason of such non-payment.

31. Notice of Forfeiture

The notice of forfeiture shall name a day not being less than fourteen days from the date of the notice and the place or places on and at which such call or instalment or such part or other monies and such interest and expenses as aforesaid are to be paid. The notice shall also state that in the event of non-payment on or before the time and at the place appointed, the share in respect of which the call was made or instalment is payable will be liable to be forfeited.

32. Shares to be forfeited on default

If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with, any of the shares in respect of which such notice has been given may at any time thereafter for non-payment of all calls or instalments, interest and expenses or the money due in respect thereof, be forfeited by a resolution of the Board to that effect Such forfeitiure shall include all dividends declared in respect of the forfeited shares and not actually paid beofee the forfeiture.

33. Entry of forfeiture in the register

When any share has been forfeited under regulation 32 an entry of the forfeiture with the date thereof shall be made in the register.

34. Forfeited shares to be property of the Bank and may be sold

Any share so forfeited shall be deemed to be the property of the Bank and may be sold, reallotted or otherwise disposed of to any person upon such terms and in such manner as the Board may decide.

35. Power to annual forfeiture

The Board may, at any time before any share so forfeited under regulation 32 shall have been sold, reallotted or other wise disposed of, annual the forfeiture thereof upon such conditions as it may think fit.

36. Shareholder liable to pay money owing at the time forfeiture and interest

Any shareholder whose shares have been forfeited shall, notwithstanding the forfeiture, be liable to pay and shall forthwith pay to the Bank all calls, instalments, interest, expenses and other money showing upon or in respect of such shares at the time of forfeiture with interest thereon from the time of forfeiture until payment at such rate as may be specified by the Board and the Board may enforce the payment of the whole or a portion thereof.

37. Partial payment not to preclude forfeiture

Neither a judgement nor a decree in favour of the Bank for calls or other monys due in respect of any shares nor any payment or satisfaction thereunder not the receipt by the Bank of a portion of any money which shall be due from any shareholder from time to time in respect of any shares either by way of principal or interest nor any in the indulgence granted by the Bank in respect of payment of any money shall preclude the forfeiture of such shares under these regulations.

38. Forfeiture of share extinguishes all claims against Bank

The forfeiture of a share shall involve extinction, at the time of the forfeiture, of all interest in all claims and demand against the Bank, in respect of the share and all other rights incidental to the share, except only such of those rights as by these presents expressly waived.

39. Original shares null and void on sale, re-issue, re-allotment or disposal on being forfeited.

Upon any sale, re-issue, re-allotment or other disposal under the provisions of the preceding regulations, the certificate(s) originally issued in respect of the relative shares shall (unless the same shall on demand by the Bank have previously surrendered to it by the defaulting member) stand cancelled and become null & void and of no effect, the Board shall be entitled to issue a new certificate or certificate in respect of the said shares to the person or persons entitled thereto

40. Application of forfeiture provisions

The provisions of these regulations as to the forfeiture shall apply in the case of non-payment of any sum which by terms of issue of a share becomes payable at a fixed time, whether on account of nominal value of the shares or byway of premium as if the same had been payable by virtue of a call duly made.

41. Lien on shares

(i) The Bank shall have a first and paramount lien –

(a) on every share (not being a fully-paid share), for all moneys (whether presently payable or not) called, or payable at a fixed time, in respect of that share;

(b) on all shares (not being fully-paid shares) standing registered in the name of a signle person, for all moneys presently payable by him or his estate to the Bank;

(c) upon all the shares registered in the name of each person (whether solely or jointly with others) and upon the proceeds of sale thereof for his debts; liabilities, and engagements, solely or jointly with any other person to or with the Bank, whether the period for the payment, fulfillment, or discharge thereof shall have actually arrived or not and no equitable interest in any share shall be recognised by the Bank over its lien.

Provided that the Board may at any time declare any share to be wholly or in part exempt from the provisions of this clause.

(ii) The Bank's lien, if any, on a share shall extend to all dividends payable thereon.

42. Enforcing Lien by Sale of Shares

(i) The Bank may sell, in such manner as the Board thinks fit, any share on which the Bank has a lien.

(a) if a sum in respect of which the lien exist is presently payable, and

(b) after the expiration of fourteen days after a notice in writing stating and demanding payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, has been given to the registered holder for the time being of the share or the person entitled thereto by reason of his death or insolvency.

(ii) To give effect to any such sale, the Board may authorise some officer to transfer the shares sold to the purchaser thereof.

43. Application of proceeds of sale of shares

The net proceeds of any sale of shares under regulation 42 after deduction of costs of such sale, shall be applied in or towards the satisfaction of the debt or liability in respect whereof the lien exists so far as the same is presently payable and the residue, if any, be paid to the shareholders or the person, if any, entitled by transmission to the shares so sold.

44. Certificate of forfeiture

A certificate in writing under the hands of any director, or any other officer of the Bank of Baroda duly authorised in this behalf, that the call in respect of share was made and that the forfeiture of the share was made by a resolution of the Board to that effect, shall be conclusive evidence of the fact stated therein as against all persons entitled to such shares.

45. Title of purchaser and allottee of forfeited share

The Bank may receive the consideration, if any, given for the share on any sale, reallotment or other disposition thereof and the person to whom such share is sold, realloted or disposed of may be registered as the holder of the share and shall not be bound see to the application of the consideration, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale, reallotment or other disposal of the share and the remedy of any person aggrieved by the sale shall be in damages only and against the Bank exclusively.

46. Service of a notice or document to shareholders

(i) The Bank may serve a notice or a document on any shareholder either personally, or by ordinary post at his registered address or if he has no registered address in India, at the address, if any, within India supplied by him to the Bank for giving of notice to him.

(ii) Where a document or a notice is sent by post, the service of such document or notice shall be deemed to be effected by properly addressing, prepaying and posting a letter containing the document or notice ;

Provided that where a shareholder has intimated to the Bank in advance that documents should be sent to him under a certificate of posting or by registered post, with or without acknowledgment due and has deposited with the Bank a sum sufficient to defray the expenses of doing so, service of the document or notice shall not be deemed to be effected unless it is sent in the manner intimated by the shareholders. And such service shall be deemed to have been effected in the case of a notice of a meeting at the expiration of forty-eight hours after the letter containing the same is posted, and in any other case, at the time at which the letter would have been delivered in the ordinay course of post.

(iii) A notice or a document advertised in a newspaper widely circulated in India shall be deemed to be duly served on the day on which the advertisement appears on every shareholder of the Bank who has no registered address in India and has not supplied to the Bank an address within India for giving of notice to him.

(iv) A notice or document may be served by the Bank on the joint holder of a share by effecting service on the joint-holder named first in the register in respect of the share and notice so given shall be sufficient notice to all the holders of the said shares.

(v) A notice or a document may be served by the Bank on the persons entitled to a share upon death or in consequence of the insolvency of a shareholder by sending it through post in a prepaid letter addressed to them by name, or by the title of representatives of the deceased, or assignees of the insolvent, or by any like description, at the address, if any, in India supplied for the purpose by the persons, claiming to be so entitled, or until such an address has been, so supplied, by serving the document in any manner in which it might have been served if the death or insolvency had not occurred.

(vi) The signature to any notice to be given by the Bank may be written or printed.

CHAPTER III

SECURITIES OF THE BANK HELD IN A DEPOSITORY

47. Agreement between a depository and the Bank

The Bank may enter into an agreement with one or more depository to avail of its services in respect of securities issued by the Bank.

48. Agreement between a Participant and the depository

(i) Any participant may enter an agreement with the depository to act as its agent. The depository with whom the agreement will be entered into will be one whose services the Bank has agreed to avail of under Regulation 47.

(ii) Any shareholder of the bank may through the participant enter into an agreement with the depository in the from specified by such depository for availing its services in respect of securities issued by the Bank.

49. Surrender of certificate of security

i) Any shareholder or holder of any security of the bank who has entered into an agreement under Regulation 48 above, shall surrender the certificate of security in respect of which he seeks to avail the service of a dipository to the Bank.

(ii) The Bank on receipt of the certificate of security under sub-regulation (i) above, shall cancel the certificate of security and substitute in its record the name of the depository as a registered owner in respect of that secutrity and in form the depository accordingly.

(i) A depository shall on receipt of information under sub-regulation (ii) above, enter the name of the person referred to in sub-regulation (i) above, in its records as the beneficial owner.

50. Registration of transfer of securities with depository

Every depository shall on receipt of intimation to effect transfer from the Bank register the transfer of securities in the name of the transferee.

51. Option to receive security certificate or to hold the security held with a depository

(i) Every person subscribing to securities offered by the Bank, shall have option either to receive security certificate or hold the security with the depository.

(ii) When a person opts to hold security with the depository the Bank shall intimate such depository details of allotment of securities and on receipt of such information, the depository shall enter in its register, name of the allottee as the beneficial owner of that security.

52. Securities in depository to be in fungible form

All Securities in held by the depository shall be Dematerialised and shall be in a fungible form.

53. Rights of beneficial owner

The beneficial owner shall be entitled to all the rights and benefits and be subjected to all the liabilities in respect of his securities held by the depository.

54. Register of beneficial owner

(i) Every depository shall maintain a register and an index of beneficial owners in such form as may be prescribed under the Depositories Act. 1996 or by SEBI in respect of securities of the Bank held by the Depository.

(ii) The depository shall furnish to the Bank at such intervals as may be prescribed by the Bank, an updated copy of the register and index of the beneficial owners maintained by it.

55. Option to opt out in respect of any securities

(i) If the beneficial owner seeks to opt out from the depository in respect of any security, he shall inform the depository accordingly.

(ii) The depository shall on receipt of such intimation under sub-regulation(i) above make appropriate entries in its records and shall inform the Bank.

(iii) The Bank shall within 30 (thirty) days of the receipt of intimation from the depository and on fulfillment of such conditions and on payment of such fees as may be specified in the SEBI Depositories & Participants Regulations, 1996 and/or the Depositories Act, 1996 issue a certificate of security to the beneficial owner or the transferee at the case may be.

CHAPTER IV

MEETINGS OF SHAREHOLDERS

56. Notice convening an Annual General Meeting

(i) A notice convening an Annual General Meeting of the shareholders signed by the Chairman and Managing Director or Executive Director or any authorised official of the Bank shall be published at least twenty one clear days before the meeting in not less than two daily newspapers having wide circulation in India.

(ii) Every such notice shall state the time, date and place of such meeting, and also the business that shall be transacted at that meeting.

(iii) The time and date of such meeting shall be as specified by the Boards. The meeting shall be held at the place of Head Office of the Bank.

57 Extraordinary General Meeting

(i) The Chairman & Managing Director or in his absence the Executive Director of the Bank in his absence any one of the Directors of the Bank may convene an Extra Ordinary General Meeting of shareholders if so directed by the Board, or on a requisition for such a meeting having been received either from the Central Government or from other shareholders holding shares, carrying, in the aggregate, not less than ten percent of the total voting rights of all the shareholders.

(ii) The requisition referred in sub-regulation (i) shall state the purpose for which the Extra Ordinary General Meeting is required to be convened, but may consist of several documents in like form each signed by one or more of the requisitionists.

(iii) Where two or more persons hold any shares jointly, the requisition or a notice calling a meeting, signed by one or some of them shall, for the purpose of this regulation have the same force and effect as if it had been signed by all of them.

(iv) The time, date and place of the Extra Ordinary General Meeting shall be decided by the Board:

Provided that the Extra Ordinary General Meeting convened on the requisition by the Central Government or other shareholder shall be convened not later than 45 days of the receipt of the requisition.

(v) If the Chairman and Managing Director or in his absence the Executive Direbtor, as the case may be, does not convene a meeting as required by sub-regulation (i), within the period stipulated in the proviso to sup-regulation (iv), the meeting may be called by the requisitionist themselves within three months from the date of the requisition:

Provided that nothing in this sub-regulation shall be deemed to prevent a meeting duly convened before the expiry of the period of three months aforesaid, from being adjourned to some day after the expiry of that period.

(vi) A meeting called under sub-regulations (b) by the requisitionist shall be called in the same manner, as nearly as possible as that in which the other general meetings are called by the Board.

58. Quorum of general meeting

(i) No business shall be transacted at any meeting of the shareholders unless a quorum of at least five shareholders entitled to vote at such meeting in person are present at the commencement of such business.

(ii) If within half an hour after the time appointed for the holding of a meeting, a quorum is not present, in the case of a meeting called by a requisition of shareholders other than the Central Government, the meeting shall stand dissolved.

(iii) In any other case if within half an hour after the time appointed for the holding of a meeting, aquorum is not present, the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week, at the same time and place or to such other day and such other time and place as the Chairman may determine. If at the adjourned meeting a quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding the meeting, the shareholders who are present in person or by proxy or by duly authorised representative at such adjourned meeting shall be quorum and may transact the business for which the meeting was called:

Provided that no annual general meeting shall be adjourned to a date later than the date within which such annual general meeting shall be held in terms of section 10A(1) of the Act an if adjournment of the meeting to the same day in the following week would have this effect, the annual general meeting shall not be adjourned but the business of the meeting shall be commenced with in one hour from the time appointed for the meeting if the quorum is present or immediately after the expiry of one hour from that time and those shareholders who are present in person or by proxy or by duly authorised representative at such time shall form the quorum.

59. Chairman at general meeting

(i) The Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director or in his absence such one of the directors as may be generally or in relation to a particular meeting be authorised by the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director in this behalf, shall be the chairman of the meeting and if the Chairman and Managing Director or the Executive Director or any other director authorised in this behalf is not present, the meeting may effect any other director present to be the chairman of the meeting.

(ii) The chairman of the general meeting shall regulate the procedure at general meetings and in particular shall have power to decide the order in which the shareholders may address the meeting to fix a time limit for speeches, to apply the closure, when in his opinion, any matter has been sufficiently discussed and to adjourn the meeting.

60. Persons entitled to attend general meeting:

(i) All directors and all shareholders of the Bank shall, sbbject to the provisions of sub-regulation (ii), be entitled to attend a general meeting.

(ii) A share holder (not being the Central Government) or a Director, attending a general meeting shall for the purpose of identification and to determine his voting rights, be required to sign and deliver to the Bank a form to be specified by the chairman containing particulars relating to:

(a) his full name and registered address;

(b) the distinctive numbers of his shares;

(c) Whether he is entitled to vote and the number of votes to which he is entitled in person or by proxy or as a duly authorised representative.

61. Voting at general meetings

(i) At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded be decided on a show of hands.

(ii) Save as otherwise provided in the Act every matter submitted to a general meeting shall be decided by a majority of votes.

(iii) Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of, or against, such resolution.

(iv) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.

(v) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.

(vi) A poll demanded on a question of adjournment or election of chairman of the meeting shall be taken forthwith.

(vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty eight hours from the time when the demand was made, as the chairman of the meeting may direct.

(viii) The decision of the chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in the case of poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

62. Minutes of general meetings

(i) The Bank shall cause the minutes of all proceedings to be maintained in the books kept for the purpose.

(ii) Any such minutes, if purporting to be signed by the chairman of the meeting at which the proceedings were held, or by the chairman of the next succeeding meeting, shall be evidence of the proceedings.

(iii) Until the contrary is proved, every general meeting in respect the proceedings hereof minutes have been so made shall be deemed to have been duly called and held, and all proceedings held the reat to have been duly held.

CHAPTER V

ELECTION OF DIRECTORS

63. Directors to be elected at general meeting

(i) A director under clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the General Meeting of the Bank.

(ii) Where an elect on of a director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening. The meeting Every such notice shall specify the number of directors to be elected and their particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

64. List of shareholders

(i) For the purpose of election of a director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the director is to be elected.

(ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on apblication at the Head Office.

65. Nomination of candidates for election

(i) No nomination of a candidate for election as a director shall be valid unless,

(a) he is a shareholder holding -100- shares in the Bank;

(b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a director under the Act or under the Scheme;

(c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;

(d) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a company may be made by a resolution of the directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the Head Office of the Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such company;

(e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-registrar of Assurances or other Gazetted officer or an officer of the Reserve Bank of India or any nationalised bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulation from being a director.

(ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head Office of the Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

66. Scrutiny of nomination

(i) Nominations shall be scrutinised on the first working day following the date fixed for the receipt of nominations, and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason therefor. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at

the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election, it shall stand cancelled.

(ii) In the event of an election being held, if valid nomination are more than the number of directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.

(iii) A director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, or is deemed to be elected.

67. Election disputes

(i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such electio give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.

(ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (i), the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of section 9 of the Act.

(iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it find that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.

(iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

CHAPTER VI

VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

68. Determination of voting rights

(i) Subject to the provisions contained in section 3(2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting; have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

(ii) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorised representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i)

Explanation: For this Chapter, "Company" means any body corporate.

(iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

69. Voting by duly authorised representative

(i) A shareholder, being the Central Government or company may by a resolution, as the case may be, authorise any of its officials or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorised (referred to as a "duly authorised representative" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he was an individual shareholder of the Bank. The authorisation so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorised representative of the Central Government/company.

(ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorised representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorised representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

70. Proxies

(i) No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his attorney duly authorised in writing, or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his attorney duly authorised in writing or in the case of the body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing:

Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is for any reason, unable to write his name, if his mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government gazetted officer or an Officer of the Bank.

(ii) No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the Head Office of the Bank or at any other place duly notified by the

bank in this regard not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority(if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.

(iii) No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form "B".

(iv) An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.

(v) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative; not more than one form shall be executed.

(vi) The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

(vii) No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of the Bank.

R. K. IYER
Secy. to Board

BANK OF BARODA

FORM 'A'

SHARE TRANSFER FORM

[See sub-regulation (i) of regulation 17]

FOR THE CONSIDERATION stated below the "Transferor(s) named do hereby transfer to the "Transferee(s)" named the shares specified below subject to the conditions on which the said shares are now held by the Transferor(s) and the transferee(s) do hereby agree to accept and hold the said shares subject to the condition aforesaid.

Full Name of Company

Name of the recognised Stock Exchang, where dealt in, if any,

Description of Equity Shares

No. in Figures	Number in words	Consideration (in figures)	Consideration (in words)

Distinctive Numbers From To

Corresponding Certificate Nos.

Transferor (s) [seller (s)] Particulars

Name (s) in full	Regd. Folio No.	Signature(s)	Regd.
1	1	1	
2	2	3	
3	3	3	
4	4	4	

ATTESTATION

I hereby attest the signature (s) of the Transferor (s) herein mentioned

Signature

Name

Address/Seal

Signature of Witness

Name and address of witness

P/a

Transferee (s) [Buyer(s)] particulars

Name (s) in full	Signature(s)
1	1
2	2
3	3

Occupation	Address	Father's /Husband's Name

Transferee(s) existing Folio if any, in same order of Names ——————

Value of Stamps affixed Rs. ——————

Dated this—————— day of ——————

—————— Place ——————

For Office use only

Checked by——————

Signatures tallied by

Folio	Company Code

Specimen Signature(s) of Transferee(s)

1. ——————
2. ——————
3. ——————

Entered in register of

Transfer No. ——————

Approval Date ——————

Instructions for attestation :

Attestation, where required (thumb impression marks, signature difference etc.) should be done by a Magistrate Notary Public or Special Executive Magistrate or a similar authority holding a Public Office and authorised to use the seal of his office or a member of a recognised Stock Exchange through whom the shares are introduced or a manager of the Transferor's Bank.

Note : Names must be rubber stamped preferably in a straight line. Chronological order should be maintained, Broker's clearing number should be stated when delivery is given by a clearing Member Bank.

Name of Delivering broker or clearing member

Date

Power of attorney/Probate/Death Certificate LETTERS OF ADMINISTRATION Registered with the Company

No.——————Date——————

Signature (not initials) of broker, Bank, Company or Stock Exchange Clearing House

LODGED BY :

FULL ADDRESS : ——————

SHARE CERTIFICATE TO BE RETURNED TO : (Fill in the name and adress to which the certificates are required to be returned)

Name & Adress :——————

Share Transfer Stamps

BANK OF BARODA

FORM 'B'

FORM OF PROXY
[See sub-regulation (iii) of regulation 70]

(to be filled in by the shareholder)

Folio No.——————

I/We, residence of—————————— in the district of ———————— in the State of——————— being a shareholder/shareholders of the Bank of Baroda hereby appoint shri—————————— residence of—————————— in the district of ———————— in the State of—————— or failing him, Shri—————————— resident of—————————— in the district of————— in the State of—————————— as my/our proxy to vote for me/ us and on my/our behalf at the meeting cf the shareholders of the Bank of Baroda to be held on the——————————day of——————————,and at any adjournment thereof.

Signed this—————————————— day of ——————————————

Name : ——————————————

Address : ——————————————

——————————————

——————————————

——————————————

Affix
(20 Paise)
Revenue
Stamp

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Secretary's Department, Mumbai-400018

ANNEXURE II

Corrigendum

Sl. No.	Page No. of the Gazette	Reference	Erratum	Correction
1	2	3	4	5
1	3960	CAPITAL : (i) Advance towards capital	(i) Advance towards capital	(ii) Advance towards capital
2	3960	RESERVE FUND AND OTHER RESERVES : (vi) Investment Fluctuation Reserve Balance as per last Account.	25,30,12,238	25,30,12,238
3	3963	LAND : Additions/adjustment during the year Less : Amortisation of lease premia	91,69,87,241 102,09,51,674 2,22,67,857 99,86,83,817	1,69,87,241 102,09,51,674 2,22,67,857 —
		Third column (Total)	—	99,86,83,817
4	3964	INTEREST DIFFERENTIAL FUND (FOREX RISK) (REFER NOTE 149)	(BOREX RISK) Refer Note 14a	(FOREX RISK) Refer Note 149
5	3967	OTHER ASSETS : (ii) Housing Loan to staff	26,39,70,063	25,39,70,063
6	3968	GIFTS GRANTS DONATIONS & BENEFACTIONS : (iii) Grants to Pilot Project Scheme. (Total in third column)	23,9001	23,900
7	3972	Title not printed.	—	Nationa lBank for Agricultufe Rural Development.

1	2	3	4	5
8	3972	Interest paid (Total of previous year)	5,81,76,766	5,81,60,67,766
9	3972	(14) Miscellaneous Expenses	13,12,45,496	13,12,45,395
10	3972	(15) Expenditure on Study & Training	6,08,12,975	6,08,12,775
11	3973	Titla not printed		Profit & Loss Account for the year ended 31 March 1998.
12	3973	(i) Interest received on loans, investments etc.	Interest received on Loans Investment etc.	*Interest received on Loans, Investments etc.
13	3975	Schedule A	2.3 Issue Expenses relating to location of Bonds are written off in the same year.	2.3 Issue Expenses relating to floatation of Bonds are written off in the same year.
14	3975	Schedule A	3.4 Premises include lands where segregrated value readily available	3.4 Premises include lands where segragated value are not readily available.
15	3976	Notes	(1) During the year a sum of Rs. 500 crore (Rs. 400 cror from RBI and Rs. 100 crore from GOI) has been received as Advance towards Capital pending amendment to NABARD Act, 1981 for encashment of capital.	(1) During the year a sum of Rs. 500 crore (Rs. 400 crore from RBI and Rs.100 crore from GOI) has been received as Advance towards Capital pending amendment to NABARD Act, 1981 for enhancement of capital.
16	3976	Notes	(5) The total amount of Rural Infrastructure Development Fund (RIDF-I)(II) and RIDF III is Rs. 2000 crore, Rs. 2500 crore and Rs. 2500 crore respectively. Against this, the outstanding balance as on 31 March 1992 in these funds are Rs. 1379·95 crore (Rs. 1192·31 crore) Rs. 870·00 crore (Rs 200 crore) and Rs. 149.40 (Rs. Nil) respectively.	(5) The total amount of Rural Infrastructure Development Fund, RIDF-I, RIDF-II, RIDF-III is Rs. 2000 crore, Rs. 2500 crore and Rs, 2500 crore respectively. Against this, the outstanding balance as on 31 March 1998 in these funds are Rs. 1379·95 crore (Rs.1192.31 crore)Rs.870.00 crore (Rs. 200 crore) and Rs. 149·40 crore (Rs. Nil) respectively.
17	3977	Notes	(11) "Land" and "premises" include an aggregate amount of Rs. 54/08 crore (Rs. 56·79 crore) paid towards Office Premises and Staff Quarters at various locations in respect of which Conveyance Deeds/Other Legal Documents have not yet been executed in favour of NABARD because of certain procedural delays being faced in connection therewith.	(II) "Land" & "Premises" include an aggregate of Rs. 54·08 crore (Rs. 55·79 crore) paid towards Office Premises and Staff Quarters at various locations in respect of which conveyance Deeds/Other Legal Documents have not been executed in favour of NABARD because of certain procedural delays being faced in connection therewith.

Y. PARTHASARATHY
Asstt. General Manager

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

P. B. No. 7100, Indraprastha Marg,

(Chartered Accountants)

New Delhi-110002, the 30th March, 1999

No. 1-CA(7)40/99--In pursuance of Regulation 159(1) of the Chartered Accountants Regulations 1988 the Council of the Institute of Chartered Accountant of India is pleased tonotify the setting up of a branch of the Northern India Regional Council at Gurgaon with efiffect from 28th February, 1999.

The Branch shall be known as Gurgaon Branch of the Northern India Regional Council.

The jurisdiction of the Branch shall, inter-alia, include the cities/towns falling within a Radius of 50 kms from the Municipal limit of Gurgaon City :—

As prescribed under Regulation 159 (3), the Branch shall unction subfect to the control, supervision and direction of the Council through the Northern India Regional Council and shall cary out such directions as may from time to time be issued by the Council.

No. 1-CA(7)41/99—In pursuance of Regulation 159 (1) of the Chartered Accountants Regulations 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of branch of the Northern India Regional Council at Panipat with effect from 28th February 1999.

The Branch shall be known as Panipat Branch of the Northern India Regional Council.

The Jurisdiction of the Branch shall, inter-alias, include the following cities/towns falling within a radius of 50 kms from the Municipal limit of Panipat City:

1. Panipat
2. Karnal
3. Samalkha

As prescribed under Regulation 159(3), the Branch shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through the Northern India Regional Council and shall carry out such directions as may from time to time be issued by the Council.

ASHOK HALDIA, Secy.

THE INSTITUTE OF COST AND WORKS ACCOUNTANTS OF INDIA COST ACCOUNTANTS HALL

Calcutta-700016, the 2nd March 1998

No. 11-CWR(167-171)/98.—In pursuance of sub-Regulation (3) of Regulation 11 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that the Certificates of Practice granted to (1) Shri Prasanna Kumar, MCOM, AICWA No. 685, 1st Floor, 61st Cross, 5th Block, Rajajinagar, Bangalore-560010 (Membership No. 12642) is cancelled from 20th October, 1997 to 30th June, 1998 at his own request, (2) Shri M.J. Harmalkar, BSc(Hons), AICWA, Flat No. 17, Gitanjali Co-op. Hsg. Society, Lokhandi Pada, Panvel-410206 (Membership No.3910) is cancelled from 20th November 1997 to 30th June, 1998 at his own request, (3) Shri Ashok Kumar Dutta, B. COM (HONS), AICWA , Dayal Kutir,P-7, Block-A, H. B. Town, Road No. 2, Sodepur-743178 (Membership No. 6267) is cancelled from 29th January 1998 to 30th June, 1998 at his own request, (4) Shri Amit Ray, BCOM, AICWA, 2, Tulbagan Main Road, 9th Lane, P. O. North-Chandanpukur, Barrackpur-743102 (Membership No. 16206) is cancelled from 29th January, 1998 to 30th June, 1998 at his own request, (5) Shri Kapil Kumar B. COM, AICWA, 1/30 , Lalita Park, Vikas Marg, Laxmi Nagar, Delhi-110092 (Membership No. 15619) is cancelled from 20th February, 1998 to 30th June, 1998 at his own request.

D. JAGANNATHAN, Secy.

The 15th July 1998

No. 11-CWR (172-174)/98.—In pursuance of sub-Regulation (3) of Regulation 11 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959 it is hereby notified that the Certificates of Practice granted to (1) Shri K. L. Sharma MA, BCOM, FICWA, M-77, Sector-25, Noida-201301, (Membership No. 616) is cancelled from 1st April, 1998 to 30th June, 1998 at his own request, (2) Shri C. M. Nanjundappa, BSC, AICWA, 407, 8th B. Main Road, IV Block (West), Jayanagar, Bangalore-560011 (Membership No. 750) is cancelled from 1st April, 1998 to 30th June 1998 at his own request, (3) Shri S. Arun Kumar, BSC AICWA, No. 511, 7th Main, 8th Cross, J. P. Nagar, rd Phase, Bangalore-560078 (Membership No. 16535) is cancelled from 15th April, 1998 to 30th June, 1998 at his own request.

D. JAGANNATHAN, Secy.

The 13th November 1998

No. 11-CWR (175-183)/98—In pursuance of sub-Regulation (3) of Regulation 11 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that the Certificates of Practice granted to (1) Shri Rajender Bhatia MCOM AIC VA 154, Sunehri Bagh Apts, Plot 15, Sector-13 Rohini, Delhi (Membership No. 6341) is cancelled from 28th August, 1998 to 30th June, 1999 at his own request, (2) Shri M. K. Chakraborty, MCOM, AICWA, 334/1, Jessore Road (Kalindi), Daffodil A/7 (2nd Floor), Calcutta-700089 (Membership No. 15225) is cancelled from 3rd October, 1998 to 30th June, 1999 at his own request (3) Shri K.C. Harkisanka, BE (Hons), MIE, AICWA,5/325 Malviya Nagar, Jaipur-302017 (Membership No. 6284) is cancelled from 10th September, 1998 to 30th June, 1999 at his own request, (4) Shri P. Chaterejee BCOM, AICWA 165/1, Sarat Bose, Road, Calcutta-700026 (Membership No. 725) is cancelled from 6th August, 1998 to 30th June 1999 at his own request, (5) Shri S. Ananthanaryanan, B.COM, AICWA, 28/3085, Tagore Nagar, Ponneth Temple Road, Kadavanthara P.O. Kochi-682020 (Membership No. 2760) is cancelled from 14th August, 1998 to 30th June, 1999 at his own request, (6) Shri Abhijit Majumdar, MCOM, LLB ACS, AICWA, C/o Shri Atul Majumdar, 22/B, Lansdowne Place, 2nd Floor, Calcutta-700029 (Membership No. 7803) is cancelled from 21st, October 1998 to 30th June, 1999 at his own request, (7) Shri M. M. Dutta, BCOM, FICWA, 10, Shibtala Lane, Sheoraphuli-712223 (Membership No. 1882) is cancelled from 24th September, 1998 to 30th June, 1999 at his own request, (8) Shri R. P. Moodal, M. A. FCS, FICWA, 29 , New South Park, Kazipara, Bagha Jatin, Calcutta-700092 (Membership No. 484) is cancelled from 12th October, 1998 to 30th June, 1999 at his own request, (9) Shri M. G. Kini, BSC, LLB, AICWA, 3031/E, Flat No. 2, 8th Main, 9th Cross, Maya Apartments, HAL II Stage, Bangalore-560008 (Membership No. 842) 26th October, 1998 to 30th June 1999 at his own request.

D. JAGANNATHAN, Secy.

The 12th January 1999

No. 11-CWR (184-186)/99—In pursuance of sub-Regulation (3) of Regulation 11 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that the Certificates of Practice granted to (1) Shri V. Ravi

Ganesh, MCOM, FICWA, 180, T. V. Samy Road (West), R. S. Puram, Coimbatore-641002 (membership No. 9067) is cancelled 24th December, 1998 to 30th June, 1999 at his own request, (2) Shri R. K. Ganguly, MCOM, AICWA, "Malancha", 335, N. C. Banerjee Road, Baidyabati-712222 (Membership No. 3439) is cancelled from 28th December, 1998 to 30th June, 1999 at his own reuqest and (3) Ms/ Urvi P. Shah, BCOM, AICWA, 1, Tilak Apts., Unit 2, Maharashtra Society, Mithakhali, Ellisbridge, Ahmedabad-380006 (Membership No. 18342) is cancelled from 1st January, 1999 to 30th June, 1999 at her own request.

D. JAGANNATHAN
Secretary.

Calcutta, the 3rd March, 1999

No. 11-CWR (187-188)/99.—In pursuance of sub-Regulation (3) of Regulation 11 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that the Certificates of Practice granted to (1) Shri G. R. Soni, FICWA FCS, MBA, C-25, Gurudwara Road, Mahendru Enclave, Delhi-110033 (Membership No. 2178) is cancelled from 4th January, 1999 to 30th June, 1999 at his own request and (2) Shri S. C. Dhingra, MBA FICWA, 224, Mandakini Enclave, Alaknanda, New Delhi-110019 (Membership No. 2225) is cancelled from 10th February, 1999 to 30th June, 1999 at his own request.

D. JAGANNATHAN
Secretary.

Calcutta, the 5th December 1997

No. 16-CWR (1229)/97.—In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Work Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1)(a) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the name of Shri Sourindra Jiban Dasgupta, BCOM, AICWA Patuli, Garia, Calcutta-700084 (Membership No. 354) with effect from 2nd October, 1997, on account of death.

D. JAGANNATHAN
Secretary.

Calcutta, the 12th March, 1998

No. 16-CWR (1230-1233)/99—In pursuance of Regulation 16 of Cost and Work Accountants Regulations, 1959, is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1)(a) of Section 20 of the Cost and Works Accountatnts Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of (1) Shri R. S. Jagannatha Rao, BSC, FCA, FICWA, 33, Loganathan Colony, Mylapore, Chennai-600004 (Membership No. 808) with effect from 21st January, 1997, (2) Shri .S. Mahadevan, BSC, FCMA, FICWA, 38 (New No. 60), Lakshmi Nivas, Tatabad, 7th Street, Coimbatore-641012 (Membership No. 251) with effect from 16th February, 1997, (3) Shri S. Doraiswami'K BCOM, FICWA, R-2/1 Govardhangiri, Bangur Nagar Goregaon West, Mumbai-400090 (Membership No. 7510) with effect from 3rd December, 1997 and (4) Shri Rajeev Gupta, MCOM, FICWA, Room No. 433, Marshall House, 33/1, Netaji Subhas Road, Calcutta-700001 (Membership No. 7953) with effect from 23th April, 1997, on account of death.

D. JAGANATHAN, Secy.

Calcutta, the 15th July, 1998

No. 16-CWR (1234-1241)/98—In pursuance of Regulation 16 of Cost and Work Accountants Regulation 59, it is hereby notified that in exercis powers conferred by sub-section(1)(a)of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Councilof the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of (1) Shri No. Krishnan, BE, FICWA, "Suprabha", 217, 3rd Street, Ram Nagar tn., Vijay Nagar Velachery,Chennai-600042 (Membership No. from 5536) with effect from 24th June, 1997, (2) Shri P. D. Mehendale, BCOM, LLB, AICWA 264/1, Shaniwar Peth, Pune-411030 (Membership No. 3035) with effect from 26th November, 1997, (3) Shri Prahlad Bajaj, BCOM FCS, FICWA, 4F, Jayjayanti Apartments, 2A, Mandeville Gardens, Calcutta-700019 (Membership No. 3301), with 22nd February, 1998, (4) Shri C. M.Chacko, BCOM, AICWA,House No. 36/2131,"Shiny Villa", Shenoy Road, Kaloor P. O. Cochin-682017 (Membership No. 1283) with effect from 23rd February, 1998, (5) Shri K Balasubramanian, BCOM, ACA, AICWA, 1/5,Chandralok Apts. 390, Gokhale Nagar Road, Pune-411016 (Membership No. 3870) with effect from 20th April, 1998, (6) Shri Bhabesh Chandra Chakraborty, MA, FICWA, 6, Pubpara Road, Belgharia, Calcutta-700056 (Membership No.1257) with effect from 30th May, 1998, (7) Shri P.V.L. Sharma B.A., BCOM, FICWA, 1-9-52/F,Ramnagar, Hyderabad-500048 (Membership No. 509) with effect from 4th June, 1998 and (8) Shri Ram Manojendra Bhattacharyya, BE, AICWA, 24/1, A. K. Debi Road, Kantalpara, Naihati-743165 (Membership No. 6902) with effect 10th June, 1998, on account of death.

D. JAGANNATHAN
Secy.

Calcutta, the 15th July 1998

No. 16-CWR (1242-1243)/98—In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notided that in exercise of powers conferred by sub-section (1)(b) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of (1) Shri S. Varadachari, BSC, FICA, 43, State Bank Colony, Edamalai Patti Putur, Tiruchirapalli-620012 (Membership No. 2755) with effect from 31st March, 1998 and (2) Shri Tapan Kumar Samanta, BCOM, AICWA A-9/300, Kalyani-741235 (Membership No. 16990) with effect from 8th May, 1998, at their own request.

D. JAGANNATHAN
Secy.

Calcutta, the 13th November 1998

No. 16-CWR (1244)/98—In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959 it is hereby notified that exercise of powers conferred by sub-sections (1)(a) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the name of Shri S. S. Madan BA, BCOM, AICWA, A-317, Ranjit Avenue, Amritsar-143001 (Membership No. 3678) with effect from 6th July 1998, at his own request.

D. JAGANNATHAN, Secy.

Calcutta, the 13th November 1998

No. 16-CWR (1245-1248)/98—In pursuance of Regulation 16 of Cost and Work Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1)(a) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of (1) Shri Y. Satyamurthi, BSC, MBA, FICWA, 6, South Beach Apts., 23, 4th Seaward Road, Valmiki Nagar, Thiruvanmiyur, Chennai-600041 (Membership No. 530) with effect from 23rd July, 1997, (2) Mr. P.M.S. R. Krishna Sarma, MCOM, AICWA, 206, Anand Sagar Apts., Sector 17, Vashi, New Mumbai-400705 (Membership No. 1001) with effect from 4th January, 1998, (3) Shri R. Bhojarajan, BSC, ACMA, FI CWA, C/o Mr. B. Srikanth, Madhuban" Vivekanand Nagar, Off. Borsi Road, Durg-491001 (Membership No. 483) with effect from 13th October, 1998 and (4) Shri Balwant Raj Singhi, MCOM, FICWA, Principal, Shri N. P. Jain Mahavidyalaya, Sarda School Campus, Sardarpura, Jodhpur-342001 (Membership No. 1948) with effect from 18th August, 1998, on account of death.

D' JAGANNATHAN, Secy.

Calcutta, the 29th December, 1998

No. 16-CWR(1249)/98—In pursuance of Regulation 16 of cost and works Accountant Regulations 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1) (a) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the register of Members, the name of Shri Tushar Kanti Mitra, BCOM, ACA, FCMA, AICWA, BE 12 Sector, 1, Ist Floor, salt Lake City, Calcutta-700064 (Membership No. 1156) with effect from 9th June, 1997 on account of death.

D. JAGANNATHAN, Secy.

Calcutta, the 12th February, 1999

No. 16-CWR/(1250-1253/)99—In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959 it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1)(a) of Section 20 of the Cost and Works Accountant Act, 1959 the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Mebmers, the names of (1) Shri P.M.S.R. Krishna Sarma, MCOM, AICWA, 205, Anand Sagar, Sector 17, Vashi Navi Mumbai-400705 (Membership No. 1001) with effect from 4th January, 1998, (2) Shri Uday A. Ashtekar, BE (MECH), AICWA, Flat No. 104, 'Nisargandhar' Apt, Dhananjay Society Kothrud, Pune-411029 (Membership No. 15141) with effect from 18th November, 1998, (3) Shri Ram Subhag Pande, BA, AICWA, 117/L-35, Naveen Nagar, Kanpur-208025 (Membership No. 386) with effect from 19th December, 1998 and (4) Shri Amitava Bandyopadhyay, BCOM, LLB, AICWA, 6, Iswar Chowdhury Road, Calcutta-700029 (Membership No. 4714) with effect from 30th January, 1999 on account of death

D. JAGANNATHAN, Secy.

Calcutta, the 15th February, 1999

No. 16-CWR(1254-1255)/99—In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959 it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1) (a) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 the Council of the Institute of Cost and Works Accountants Act of India has removed from the Register of Members, the names of (1) Shri Sahadev Mookherjee, BCOM, AICWA, 7, South Road, Calcutta-700075, (Membership No. 5436) with effect from 4th January 1998 and (2) Shri Hari Shankar Prasad Sinha, BA, FICWA, MIG-B-105, Harmu Housing Colony, Harmu Ranchi-834012 (Membership No. 513) with effect from 12th January 1999, on account of death.

D. JAGANNATHAN, Secy.

Calcutta, the 5th December 1997

No. 18-CWR(321)/97—It is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959 that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has restored Register of Members, the name of Shri Saumendra Kumar, Datta, MCOM, LLB, AICWA, 20A, Shankar Halder Lane, P.O. Hathkhola, Calcutta-700005 (Membership No. 2222) with effect from 26th September, 1997.

D. JAGANNATHAN Secy.

Calcutta, the 15th July, 1998

No. 18-CWR (322-326)/98—It is hereby notified in pursuance of Regulation 18 to of the Cost and Works Accountant Regulation ,1959 that in exercise of the powers conferreds by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has restored to the Register of Members, the name of (1) Shri Jugal Kishore Luthra, BA, AICWA, Dy. Finance Manager, I.D.P.L. Complex, Dundahera industrial Complex, Delhi Gurgaon Road, Gurgaon (Membership No. 4935) with effect from Ist April, 1998, (2) Shri Radhey Shyam Sharma, BA, BCOM, AICWA, Deputy Manager, (F&A) Oil and Natural Gas Corporation Ltd., Jeevan Bharti (Tower II) connaught Circus, New Delhi-110001 (Membership No. 5815) with effect from Ist April, 1998, (3) N.S. Subramaniam, MA, AICWA, 8, Shankar Niketan, Central

Avenue Road, Chembur, Mumbai-400071 (Membership No. 3134) with effect from 18th May, 1998, (4) Shri Pabitra Kumar Gupta, BSC, AICWA, Office of the General Manager, Lingaraj Area, P.O. Daulbera, Talcher-759102-(Membership No. 5767) with effect from 10th june, 1998 and (5) Shri Khadin Ali Siddiqui, BSC, (HONS) AICWA), Manager (Finance),a Sail 2, Fairlie Place, 4th Floor, Calcutta-700001, (Membership No. 5024) with effect from 10th June 1998.

D. JAGANNATHAN
Secy.

The 27th November 1998

No. 18-CWR (327)/98—It is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has restored to the Register of members, the name of Shri Swapan Kumar Saha, BSC, AICWA, Dy. C.F.M. Northern Coalffelds Ltd. Qr. No. D-6, P.O. Kakri Project-231220 Dt.Sonebhadra (Membership No. 4397) with effect from 27th November, 1998.

D. JAGANNATHAN
Secy.

---

the 6th January 1999

No. 18-CWR (328)/99—It is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has restore to the Register of Members the name of Shri P.S. R. Seshaih MA, (Math)AICWA, 12-13-72, Nagarjuna Colony, Street No. 20, Taranaka, Hyderabad-500017, (Membershi) No. 3977) with effect from 6th January, 1999.

D. JAGANNATHAN
Secy.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, The 30th March 1999

No. U-16/53/1/94-Med. II(Kerala)—In continuation and partial modification of notification dated 30-10-98 appeared in part-III, Section IV at page 3980 & 4048 of Gazette of India No. 49, dated 5-12-1998, I hereby authorised Dr. A. K. Sudha Rathnam to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms from the date she assumed charge for one year or till a full time Medical Referee Joins, whichever earlier for the centre Kozhikode in Kerala for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them whem correctness of the original certificates is in doubt.

Dr.(MRS.) SUBHASH SINGH
MedicalCommissioner

New Delhi dated the 4th May, 1999

No. V-33(13)-9/98-Estt. IV—In pursuance of Section-25 of the ESI Act, 1948 (34 of 1948) read with Reguation 10 of the ESI (General) Regulation 1950 the Chairman,ESI Corporation hereby constitutes the Regional Board Madhya Pradesh State which shall consist of the following member namely:—

1.	Minister for Labour Govt. of Madhya Pradesh.	Chairman
2.	Minister for Public Health & Family welfare Deptt. Govt. of Madhya Pradesh.	Vice-Chairman
3.	Labour Commissioner Madhya Pradesh, Indore.	Member
4.	Director ESI Scheme Indore.	Member
5.	Regional Dy. Medical Commissioner ESI Corpn. North West Zone, Ahmedabad (Guj)	Member
6.	Shri K.K.L. Das Senior Vice-President Grasim Staple Fibre Birla Gram, Nagda Distt. Ujjain.	Employeers Representative
7.	Factory Manager J.B. Mangharam Pvt. Ltd. Golaka Mandir P.O. Residency, Gwalior.	Employers Addl. Representative
8.	Shri B.D. Pandey Vice President (personnel) M/s Batna Cement works P.O. Virla Vikas Satna.	-Do.
9.	Shri P. N. Khandelwal Jt. Secretary Urla Industries Asso Raipur.	Do.
10.	Shri Mangilal Porwar 44/26, South T.T. Nagar, Bhopal-462003	Employees representative
11.	Shri Preetam Choukse AITUC 495, M.G. Road Indore.	Employees Addl. Representative
12	Shri Sunder Singh Shukrawar Advocate & State President B.M.S. Kailashpuri, Near Old Power House Chhindwada	Do.
13.	Shri Tara Singh Viyogi Secretary INTUC 20-Vikas Nagar, Gwalior (MP)	Ex-Officio member
14.	Secretary to the Govt. of Madhya Pradesh Labour Deptt. Bhopal	Ex-Officio member
15.	Regional Director ESI Corporation Indore.	Member Secretary

D. C. Gupta
Director General

UNIT TRUST OF INDIA

Mumbai, the 23rd April 1999

No. UT/DBDM/R-177/SPD/57/98-99—The amendments to the provisions of the Omni Unit Scheme, 1991 made under section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) and approved in the Executive Committee Meeting held on 22nd February 1999 is published herebelow.

A. G. JOSHI
Chief General Manager
Business Development and Marketing

ANNEXURE

(1) Clause XVIII on 'Income Distribution' in the provisions of the Omni Unit Scheme 1991 is amended as :

Income for any year shall be paid on a pro-rata basis depending upon the entry into the Scheme Income distribution will be calculated on a 365 day factor, The rate at which income is distributed by the Trust shall be the Bank Rate minus two percentage points. However, for a Unit holder remaining in the scheme for a period of less than 15 days income will be distributed at the Savings Bank Rate of State Bank of India. No interest shall be payable on income distributable, by the Trust. This provision shall be read in conjunction with the following paragrapgh.

No. UT/DBDM/R/177/SPD-71-I/98-99—The amendments to the provisions of Monthly Income Plan 95 (II), Monthly Income Plan 95 (III), Monthly Income Plan 96, Monthly Income Plan 96 (II), Monthly Income Plan 96 (III), Monthly Income Plan 96 (IV), Deferred Income Plan 95 and Deferred Income 91 formulated under Section 19 (1) (8) (c) of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) in relation to the unit schemes, the Monthly Income Scheme 95 (II), Monthly Income Scheme 95 (III),Monthly Income Scheme 96, Monthly Income Scheme 96(II), Monthly Income Scheme 96 (III), Monthly Income Scheme 96(IV), Deferred Income Scheme 95 and Deferred Income Unit Scheme 91 respectively, made under section 21 of the said Act and approved in the Executive Committee Meeting held on 24th December, 1996 are published here below.

A.G. JOSHI
Chief General Manager
Business Development and Marketing

ANNEXURE

1. Amendments to the provisions of Monthly Income Scheme 1995, (II) and the plan made ther reunder :—

(a) The 3rd paragraph under clause VI on 'Limitation expenses' is amended as :

In addition to the initial issue expenses the following expenses will be charged to the Scheme on recurring basis which shall not exceed 3% of the average monthly net asset value during any accounting year.

(b) The 4th paragraph under clause VI on 'Limtation on expenses' is amended as :

The above expenses are estimates and are subject to change inter se as per actual expenses incurred. However the total expenses would be within the limit of 6% of the funds collected for initial issue expenses and 3% of the monthly average net asset value during any accounting year for recurring expenses, in accordance with SEBI (Mutual Fund Regulations, 1993. Further administrative expenses contribution to Development Reserve Fund and contribution to staff welfare Trust will not exceed 1·25% of the monthly average NAV of the plan during the accounting year.

(c) The first sentence of the first paragraph under Clause VIII on Development Reserve Fund (DRF) Contribution' is amended as :

0·10% of the monthly average Net Asset Value shall be set aside as contribution towards the DRF of the Trust every year.

(d) The first sentence of the first paragraph under Clause IX on 'Staff Welfare Trust Contribution' is amended as :
0·10%of the monthly average Net Asset Value shall be set aside every year as contribution to the Staff welfare trust.

II. Amendm ents to the provisions of Monthly Income Scheme 1995 (III) and the plan made thereunder.

(a) The 3rd paragraph under clause VI on 'Limitation on expenses' is amended as :

In addition to the initial issue expenses the following expenses will be charged to the Scheme on a recurring basis which shall not exceed 3% of the average monthly net asset value during any accounting year.

(b) The 4th paragraph under clause VI on 'Limitation on expenses' is amended as :

The above expenses are estimates and are subject to change inter se as per actual expenses incurred. However the total expenses would be within the limit of 6% of the funds collected for initial issue expenses and 3%of the monthly average net asset value during any accounting year for recurring expense in accordance with SEBI (Mutual Funds) Regulation 1993 Further administrative expenses contribution to Development Reserve Fund and contribution to Staff Welfare, Trust will not exceed 1·25 of the monthly average NAV of the plan during the accounting year.

(c) The first sentence of the first paragraph under Clause VIII on 'Development Reserve Fund (DRF) Contribution' is amended as :

0·10% of the monthly average Net Asset Value shall be set aside as contribution towards the DRF of the Trust ever year.

(d) The first sentence of the first paragraph under Clause IX on 'Staff Welfare Trust Contribution' is amended as :

0·10% of the monthly averageNet Asset Value shall beset aside every year as contribution to the Staff Welfare Trust.

III. Amendments to the provisions of Monthly Income Scheme 1996 and the plan made thereunder

(a) The 3rd paragraph under clause VI on 'Limitation on expenses' is amended as :

In addition to the initial issue expenses the following expenses will be charged to the Scheme on a recurring basis which shall not exceed 3% of the average monthly net asset value during any accounting year.

(b) The 4th paragraph under clause VI on 'Limitation on expenses' is amended as :

The above expenses are estimates and are subject to change inter se as per actual expenses incurred. However the total expenses would be within the limit of 6% of ffunds collected for initial issue expenses and3% of the monthly average net asset value during any accounting year for recurring expenses, in accordance with SEBI (Mutual Funds Regulations, 1993. Further, administrative expneses, contribution to Development Reserve Fund and contribution to Staff Welfare Trust will not exceed 1·25 % of the monthly average NAV of the plan during the accounting year.

(c) The first sentence of the first paragraph under Clause VIII on Development Reserve Fund (DRF) Contribution, is amended as :

0·10% of the monthly average Net Asset Value shall be set aside as contribution towards the DRF of the Trust every year.

(d) The first sentence of the first paragraph under Clause IX on 'Staff Welfare Trust Contribution' is amended as 0·10 % of the monthly average Net Asset Value shall be set aside every year as contribution to the Staff Welfare Trust.

IV. Amendments to the provisions of Monthly Income Scheme, 1996 (II) and the plan made thereunder:

(a) The 3rd Paragraph under clause VI on Limitation on expenses is amended as:

In addition to the initia' issue expenses the following expenses will be charged to the Scheme on a recurring basis which shall not exceed 3% of the average monthly net asset value during any accounting year.

(b) The 4th paragraph under clause VI on 'Limitation expenses' is amended as :

The above expenses are estimates and are subject to change inter se as per actual expenses incurred. However, the total expenses would be within the limit of 6% of thefunds collec ted for initial issue expenses and 3% of the monthly avera ge net asset value during any accounting year. for recurring expenses in accordnce with SEBI (Mutual Funds) regulation, 1993. Further, administrative expenses contribution to Development Reserve Fund and contribution to Staff Welfare Trust will not exceed 1·25% of the monthly average NAV of the plan during the accounting year.

(c) The first sentence of the first paragraph under clause VIII on 'Development Reserv, Fund (DRF) Contribution' is amended as :

0·10% of the monthly average Net Asset value shall be set aside as contribution towards the DRF of the Trust every year.

(d) The first sentence of the first paragraph under Clause IX on 'Staff Welfare Trust Contribution' is amended as :

0·10%of the monthly average Net Asset Value shall be set aside every year as contribution to the Staff Welfare Mru.t

V. Amendments to the provisions of Monthly Income Scheme, 1996 (III) and the plan made thereunder

(a) The 3rd paragraph under clause VI on 'Limitation on expenses' is amended as :

In addition to the initial issue expenses the following expenses will be charged to the Scheme on a recurring basis which shall not exceed 3% of the average monthly net asset value during any accounting year.

b) The 4th paragraph under clause VI on' Limitation on expenses' is amended as :

The above expenses are estimates and are subject to change *Inter* se as per actual expenses incurred. However the total expenses would be within the limit of 6% of the funds collected for initial issue expenses and 3% of the monthly average net asset value during any accounting year for recurring expenses in accordance with SEBI, (Mutual Fund), Regulations, 1993. Further, administrative expenses contribution to Development Reserve Fund and contribution to Staff Welfare Trust will not exceed 1·25% of the monthly average NAV of the plan during the accounting year.

(c) The first sentence of the first paragraph under Clause VIII on 'Development Reserve Fund (DRF) Contribution' is amended as :

0·10% of the monthly average Net Asset Value shall be set aside as contribution towards the DRF of the Trust every year.

(d) The first sentence of the first paragraph under Clause IX on 'Staff Welfare Trust Contribution' is amended as :

0·10% of the monthly average Net Asset Value shall be set aside every year as contribution to the Staff Welfare Trust.

VI. Amendments to the provisions of Monthly Income Scheme, 1996 (IV) and the plan made thereunder

(a) The 3rd paragraph under clause V on 'Limitation on expenses' is amended as :

In addition to the initial issue expenses the following expenses will be charged to the Scheme on a recurring basis which shall not exceed 3% of the average monthly net asset value during any accounting year.

(b) The 4th paragraph under clause V on 'Limitation on expenses' is amended as :

The above expenses are estimates and are subject to change *Inter* se as per actual expenses incurred. However the total expenses would be within the limit of 6% of the funds collected for initial issue expenses and 3% of the monthly average net asset value during any accounting year for recurring expenses, in accordance with SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1993. Further, administra tive expenses, contribution to Development Reserve Fund and contribution to Staff Welfare Trust will not exceed 1.25% of the monthly average NAV of the plan during the accounting year.

(c) The first sentence of the first paragraph under Clause VIII on 'Development Reserve Fund (DRF) Contribution' is amended as:

0·10% of the monthly average Net Asset Value shall be set aside as contribution towards the DRF of the Trust every year.

(d) The first sentence of the first paragraph under Clause IX on 'Staff Welfare Trust Contribution' is amended as:

0·10% of the monthly average Net Asset Value shall be set aside at every year as contribution to the Staff Welfare Trust.

VII. Amendments to the provisions of Deferred Income Scheme, 1995 and the plan made thereunder

(a) The 3rd paragraph under clause VI on 'Limitation on expenses' is amended as:

In addition to the initial issue expenses the following expenses will be charged to the Scheme on a recurring basis which shall not exceed 3% of the average monthly net asset value during any accounting year.

(b) The 4th paragraph under clause VI on 'Limitation on expenses' is amended as:

The above expenses are estimates and are subject to change inter se as per actual expenses incurred. However the total expenses would be within the limit of 6% of the funds collected for initial issue expenses and 3% of the monthly average net asset value during any accounting year for recurring expenses, in accordance with SEBI (Mutual Funds Regulations, 1993. Further, administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and contribution to Staff Welfare Trust will not exceed 1.25% of the monthly average NAV of the plan during the accounting year.

(c) The first sentence of the first paragraph underclause VIII on 'Development Reserve Fund (DRF) Contribution is amended as:

0·10% of the monthly average Net Asset Value shall be set aside as contribution towards the DRF of the Trust every year.

(d) The first sentence of the first paragraph under clause IX on 'Staff Welfare Trust Contribution' is amended as:

0·10% of the monthly average Net Asset Value shall be set aside every year as contribution to the Staff Welfare trust.

VIII. Amendments to the provisions of Deferred Income Unit Scheme. 1991 and the plan made thereunder

(a) The 3rd paragraph under clause V on 'Limitation of expenses' is amended as:

In addition to the initial issue expenses the following expenses will be charged to the plan on a recurring basis which shall not exceed 3% of the average monthly net asset value during any accounting year.

(b) The 4th paragraph under clause V on 'Limitation on expenses' is amended as:

The above expenses are estimates and are subject to change inter se as per actual expenses incurred. However the total expenses would be within the limit of 6% of the funds collected for initial issue expenses and 3% of the monthly average net asset value any accounting year for recurring expenses, in accordance with SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1993. Further, administrative expenses, Contribution to Development Reserve Fund and Contribution to Staff Welfare Trust will not exceed 1·25% of the monthly average NAV of the plan during the accounting year.

(c) The first sentence of the first paragraph under clause VI on 'Development Reserve Fund (DRF) Contributions amended as:

0·10% of the monthly average Net Asset Value shall be set aside as contribution towards the DRF of the Trust every year.

(d) The first sentence of the first paragraph under Clause VII on 'Staff Welfare Trust Contribution' is amended as:

0.10% of the monthly average Net Asset Value shall be set aside every year as Contribution to the Staff Welfare Trust.

UNIT TRUST OF INDIA

Mumbai, the 23rd April, 1999

No. UT/DBD M/R-177/SPD-77/98-99—The amendments to the provisions of Mutual Fund (Subsidiary) Unit Scheme, 86, Capital Gains Unit Scheme-92, Grandmaster Unit Scheme-93 and Mastergrowth Unit Scheme-93 made under section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963(52 of 1963) and approved in the Executive Committee Meeting held on 28th August, 1998 is published herebelow.

A.G. JOSHI
Chief General Manager
Business Development and Marketing

Mastershare 86

ANNEXURE

(1) Item (m) of clause II on "Definitions", may be amended as:

(*m*) "Person holding units or unitholder", means one or more individuals, bodies corporate, companies who for the time being hold units and all the eligible trusts who have already made the investment in the scheme as original allottee pursuant to the provisions of the scheme as well as those who have become unitholders persuant to transfer/transmission of the units in their favour including the person holding units in the depository mode."

(2) A second para may be inserted in Clause IX on "Application and transfer forms signed by Attorneys".

A Power of Attorney holder can operate in the depositor mode on behalf of his principal. In such case the Power of Attorney holder will be governed by such rules/regulations as may be in force governing the application/transfer of securities in a depository mode.

(3) In clause X pertaining to "Register of Unitholders" the first two lines may be amended as:

The following provisions shall have effect with regard to the registration of unitholders wherever required:

(4) The following may be inserted as item (k) in clause XI on "Transfer of units subsequent to issue":

(k) In case of transfer of units by a holder of units in depository mode to another person or vice-versa, the transfer will be effected in accordance with such rules/regulations as may be in force governing transfer of securities in a depository mode.

(5) Sub-clause 2 of clause XIII(A) on Redemption of Units may be amended as:

Redemption or repurchase of the units including those units held in depository mode shall be at the sole discretion of the Trust.

(6) The following may be inserted as item (h) in clause XIV, on "Distribution of income to unitholders"

(h) Income distribution to the unitholders holding units in depository mode shall be made in accordance with such rules/regulations as may be formulated from time to time.

(7) The following may be inserted as item (g) in clause XVII on "Trading of Units".

(g) In case of transfer of units by a holder of units in depository mode to another person or vice-versa, the transfer will be effected in accordance with such rules/regulations as may be in force governing transfer of securities in a depository mode.

(8) Sub-clause (a) of clause XIX, on "Scheme to be binding on unitholders:" may be amended as:

The terms of this scheme including any amendments thereof made from time to time (provided such amendments do not vary the basic character and the purpose of this scheme seeks to achieve) shall be binding on each unitholder including a unitholder holding units in depository mode and any person or persons claiming through or under him as if he/they had expressly agreed that they should be so binding.

Master gain 92
(Capital Gains
Unit Scheme-92)

ANNEXURE

(1) Item(na) of clause III on "Definitions" may be amended as:

(na) "Unitholder" means a person who hold units for the time being including the person holding units in the depository mode."

(2) Paragraph (c) of sub-clause (6) of clause 5 on "Applications for Units" may be amended as follows:

A unit certificate will be sent if required. The certificate if sent will be by registered post, with or without acknowledgement due to the address given by the applicant; and the Trust will not incur any liability for loss, damage, misdelivery or non-delivery of the unit certificate, so sent.

(3) A second para under Clause 8 on "Sale of Units" may be inserted as:

No unit certificate will be issued if units are held in depository mode.

(4) The following may be inserted as Sub-clause (g) of clause 10 on "Trading of Units".

(g) In case of transfer of units by a holder of units in depository mode to another person or vice-versa, the transfer will be effected in accordance with such rules/regulations as may be in force governing transfer of securities in a depository mode.

(5) The following shall be inserted as item (e) of clause 11 on "Repurchase of Units":

(e) A holder of units in the depository mode desiring to have the units repurchased shall follow such rules/guidelines/procedures as may be formulated from time to time.

(6) The following shall be inserted as a second paragraph in clause 14 on "Applicant to comply with requirements under the scheme before being issued units".

Provided in such an event, in respect of holder of units in depository mode, the Trust shall follow such rules/guidelines procedures as may be formulated from time to time.

(7) In clause 20 pertaining to "Trust not to be recognised regarding units" the words "including person who is the holder of units in depositories' are required to be added after the words 'the person who is registered as the holder and in whose name the unit certificate is issued' in second line so as to read as "the person who is registered as the holder and in whose name the unit certificate is issued including person who is the holder of units in depository mode."

(8) In clause 22 pertaining to "Register of unit holders" the first two lines may be amended as ;

The following provisions shall have effect with regard to the registration of unitholders wherever required:—

(9) The following may be inserted as sub-clause (4) in clause 25 on "Transfer of Units".

(4) In case of transfer of units by a holder of units in depository mode to another person or vice-versa, the transfer will be effected in accordance with such rules/regulation as may be in force governing transfer of securities in a depository mode.

(10) In clause 36 on "Relaxation/Variation/Modification of provisions" the following Explanation maybe added:

Explanation:

The power to relax, vary or modify the scheme provisions may also be exercised for the purpose of enabling the unitholder to hold and trade the units in depository mode.

Grandmaster 93

ANNEXURE

(1) Item (pa) of clause II on "Definitions" may be amended as ;

(pa) "Unitholder" menas a person who hold units for the time being including the person holding units in the depository mode."

(2) The following Paragraph may be inserted as subclause 'l" in the clause VI on "Sale of units";

A unit certificate will be sent if required. The certificate if sent will be by registered post, with or without acknowledgement due to the address given by the applicant; and the trust will not incur any liability for the loss damage mis-delivery or non-delivery of the unit certificate, so sent.

(3) In clause X pertaining to "Register of unit holders" the first two lines may be amended as:

The following provisions shall have effect with regard to the registration of unitholders wherever require :—

(4) The following may be Inserted as sub-clause (m) in clause XI on "Transfer of Units subsequent to issue"

(4) In case of transfer of units by a holder of units in depository mode to another person or vice versa, the transfer will be effected in accordance with such rules regulation as may be in force governing transfer of securities in a depository mode.

(5) The following shall be inserted as item (e) of clause XV on "Repurchase of Units":

(e) A holder of units in the depository mode desiring to have the units repurchased shall follow such rules/guidelines/procedures as may be formulated from time to time.

(6) The following shall be inserted as a second paragraph in claue XVIII on "Applicant to comply with requirements under the scheme before being issued units."

Provided in such an event, in respect of holder of unit: in depository mode, the Trust shall follow such rules/guidelines/procedures as may be formulated from time to time.

(7) The following line may be inserted as item (h) in clause XXI on "Distribution of income to unitholders"

(h) Income distribution to the unit holders holding units in depository mode shall be made in accordance with such rules/regulations as may be forumlated from time to time.

(8) The following may be inserted as Sub-clause (f) clause XXIV on "Trading of Units".

(f) In case of transfer of units by a holder of units in depository mode to another person or vice-versa, the transfer will be effected in accordance with such rules/regulations as may be in force governing transfer of securities in a depository mode.

(9) A second para under Clause XXVI on "Form of unit Certificate" may be inserted as :

No unit certificate will be issued if units are held in depository mode.

(10) In clause XXVIII pertaining to "Trust not to be recognised regarding units" the words 'including person who is the holder of units in depositories' are required to be added after the words 'the person who is registered as the holder and in whose name the unit certificate is issued' in second line so as to read as "the person who is registered as the holder and in whose name the unit certificate is issued including person who is the holder of units in depository mode".

(11) In clause XXXVI on "Relaxation/Variation/Modification of provisions" the following explanation may be added :

Explanation :

The power to relax, vary or modify the scheme provisions may also be exercised for the purpose of enabling the unitholder to hold and trade the units in depository maode.

Mastergrowth Unit Scheme 1993

ANNEXURE

(1) Item (k) of clause II on "Definitions" may be amended as :

(k) "Person holding units or unitholder" means a person who hold units for the time being including the person holding units in the depository mode".

(2) A second para may be inserted in Clause VIII on "Application and transfer forms signed by Attorneys"

A Power of Attorney holder can operate in the depository mode on behalf of his principal. In such case the Power of Attorney holder will be governed by such rules/regulations as may be in force governing the application/transfer of securities in a depository mode.

(3) In clause IX pertaining to "Register of Unitholders" the first two lines may be amended as:

The following provision shall have effect with regard to the registration of unitholders wherever required :

(4) The following may be inserted as item (m) in clause X, on "Transfer of units subsequent to issue".

(m) In case of transfer of units by a holder of units in depository mode to another person or vice versa, the transfer will be effected in accordance with such rules/regulations as may be in force governing transfer of securities in a depository mode.

(5) The following line may be inserted as a second para under Sub-clause 2 of clause XIV on Redemption of Units :

In exceptional circumstances, the Trust shall have the right to redeem or repurchase the units including those units held in depository mode on terms and conditions as may be decided in this regard even before the period of 7 years.

(6) The following may be inserted as item (h) in clause XV, on "Distribution of income to unitholders".

(h) Income distribution to the unitholders holding units in depository mode shall be made in accordance with such rules/regulations as may be formulated from time to time.

(7) The following may be inserted as item (f) in clause XVIII on "Trading of Units".

(f) In case of transfer of units by a holder of units in depository mode to another person or vice versa, the transfer will be effected in accordance with such rules/regulations as may be in force governing transfer of securities in a depository mode.

(8) A second para under Clause XX on "Form of unit Certificate" may be inserted as:

No Unit certificate will, be issued if units are held in depository mode.

(9) In clause XXII pertaining to "Trust not to be recognised regarding units" the words "including person who is the holder of units in depositories' are required to be added after the words "the person who is registered as the holder and in whose name the unit certificate is issued in Second line so as to read as "the person who is registered asthe holder and in whose name the unit certificate is issued including person who is the hoder of units in depository mode."

(10) Sub-clause (a) of clause XXIV. on "Scheme to be binding on unitholders:" "may be amended as :—

The terms of this scheme including any amendments thereof made from time to time (provided such amendments do not vary the basic character and the purpose of this scheme seeks to achieve) shall be binding on each unitholder including a unitholder holding units in depository mode and any person or persons claiming through or under him as if he/they had expressly agreed that they should be so binding.

(11) In clause XXVIII on "Relaxation/Variation/ medification of provisions" the following Explanation may be added :—

Explanation:

The power to relax, vary or modify the scheme provision may also be exercised for the purpose of enabling the unitholder to hold and trade the units in depository made.

UNIT TRUST OF INDIA

Mumbai, the 23rd April 1999

No. UT/DBDM/R-177/SPD-102/98-99 The amendment to the provisions of the UTI-Bond Fund made under section 19(1)(8)(c) of the unit Trust of India Act 1963, 52/of 1963) in relation to the unit scheme, UTI-Bond Fund Scheme made under section 21 of the said Act and approved by the Executive Committee in the meeting held on 25th November, 1998 are published herebelow.

A. G. JOSHI
Chief General Manager,
Business Development and Marketing.

ANNEXURE

(1) The first line of Clause IV on 'Minimum amount of investment' is amended as :

Application shall be made for a minimum of Rs. 5,000/-

(2) Item I of (2) (a) under sub-clause (iv) of clause VII on 'Mode of payment' is amended as:

I. the initial investment is less then the minium investment of Rs. 5,000/-

(3) The last line of third paragraph under iteme (1) of Sub Clause (2) of clause IX. on 'Repurchae of units' is amended as :

Partial repurchase will be allowed, provided that no repurchase so made should result in the members' holding falling below Rs. 5000/-

(4) The last line of second paragraph under item (9) of clause IX. on 'Repurchase of units' is amended as:

The fund may clause an investor's folio if the balance falls below Rs. 5,000/- (based on the applicable NAV) within 30 days after a written intimation in this regard is sent to the Member.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1999

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 1999